खण्ड-133, अंक-4
गुरूवार, 11 चैत्र, शक संवत् 1876
(1 अप्रैल, 1954 ई0)

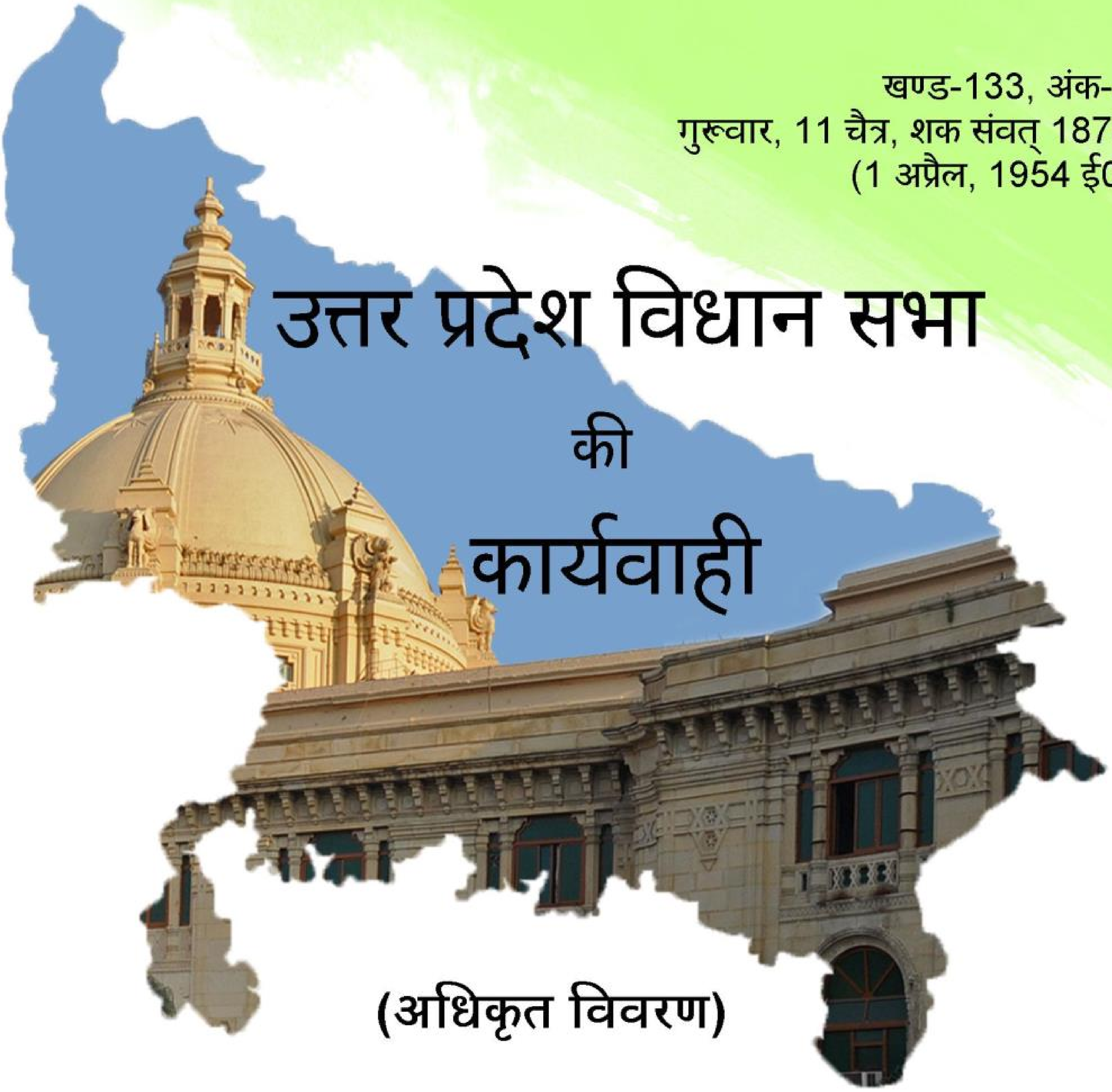

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 133 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, १ अप्रैल, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की, अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६०)

अंसमान सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेश चन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याण चन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याण राय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपा शंकर, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री

गोविन्द बल्लभ पंत, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानुशरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदा लाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहनसिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेंद्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दन राम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री

बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाबीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महाबीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुना प्रसाद, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेश चन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवाल, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहाय, श्री

रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विश्राम राय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री

सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमानप्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हर सहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

गन्ने के न्यूनतम निर्धारित मूल्य

*१—श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि अगले सीजन में गन्ने की कीमत क्या होगी ?

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—केन्द्रीय सरकार ने १९५३–५४ और १९५४–५५ सीजन के लिये गन्ने के निम्नलिखित न्यूनतम मूल्य निर्धारित किये हैं:—

मिल गेट पर	..	१ रु० ७ आ० प्रतिमन
रेल सेंटर पर	..	१ रु० ५ आ० प्रतिमन

*२—श्री गेंदासिंह—क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा यू० पी० सरकार से गन्ने के दाम सम्बन्धी सलाह मांगी गई है ? यदि हां, तो इस सरकार ने उन्हें क्या सलाह दी है?

श्री हुकुमसिंह—जी हां, प्रदेशीय सरकार ने जो सलाह दी थी वह गोपनीय है और उसकी सूचना देना सार्वजनिक हित में नहीं होगा।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय उद्योग मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या रेलवे स्टेशन और मिल के ऊपर दो प्रकार की कीमत रखने की सलाह सरकार ने दी थी ?-

श्री हुकुमसिंह—मैंने गत बैठक और गत मौके पर भी कहा था कि सलाह की बात गोपनीय है।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय उद्योग मंत्री जी को मालूम है कि जो कुछ इस सरकार ने दिया है उसको केन्द्रीय सरकार ने गोपनीय न समझ कर खोल दिया है ?

श्री हुकुमसिंह—मुझे यह नहीं मालूम है।

श्री बलवन्तसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो ४ आने फी मन गन्ने के दाम बढ़ाये गये हैं वह अगले साल भी बढ़े हुये रहेंगे ?

श्री हुकुमसिंह—यह केन्द्रीय सरकार के फैसले पर निर्भर है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि गतवर्ष के मुकाबले में इस वर्ष गुड़ और चीनी का भाव ४ रु० या ५ रु० फी मन के करीब बढ़ा हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—क्या माननीय उद्योग मंत्री जी बतलायेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने जो गन्ने की कीमत निर्धारित की है उसमें प्रादेशिक सरकार ने सलाह दी थी अथवा नहीं ?

श्री हुकुमसिंह—सलाह दी थी इसी वजह से तो कहता हूं कि गोपनीय है वरना गोपनीय कहने की क्या जरूरत थी।

श्री कमलासिंह (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार से गन्ने की कीमत के संबंध में जनता ने कोई मांग की थी ?

श्री हुकुमसिंह—जनता की कोई फार्मल मांग मेरे सामने नहीं आई।

श्री गेंदासिंह—क्या उत्तर प्रदेश के केन कोआपरेटिव फेडरेशन ने सरकार के सामने कोई मांग नहीं रखी थी ?

श्री हुकुमसिंह—कुछ आई तो थी मगर मतभेद था।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या इस बात को देखते हुये कि पैदा किया हुआ गन्ना ज्यादातर गुड़ बनाने में जा रहा है, सरकार ५४–५५ में गन्ने के दाम बढ़ाने की सिफारिश कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह—अगले साल कंट्रोल बोर्ड की जब बैठक होगी और उसमें जो राय होगी वह भेजी जायगी।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या सरकार को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेशीय गन्ना सहकारी समिति संघ ने दो-तीन दफा प्रस्ताव पास करके कम से कम १ रु० १२ आने गन्ने की कीमत नियुक्त करने के लिये सरकार से प्रार्थना की थी ?

श्री हुकुम सिंह—माननीय सदस्य कहते हैं तो ठीक होगा।

श्री नारायण दत्ततिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग में यू० पी० सरकार की तरफ से कम से कम कितने दाम नियुक्त करने की सिफारिश की गई थी ?

श्री हुकमसिंह—वह भी गोपनीय है जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया।

*३–५—श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी (जिला लखनऊ)—[स्थगित किये गये।]

जौनपुर जिले में श्रमदान सम्बन्धी कार्य

*६—श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में श्रमदान के सम्बन्ध में कितना-कितना कार्य किन-किन तहसीलों में हुआ है ?

नियोजन उप-मंत्री (श्री फूलसिंह)—जौनपुर जिले में श्रमदान के सम्बन्ध में जितना कार्य हुआ उसकी एक सूची माननीय सदस्य की मेज पर रक्खी है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३०६ पर।)

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिले में जहां कि श्रमदान कार्य अच्छा हुआ है वहां जनता को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की गयी है ?

श्री फूलसिंह—जो जिले अच्छा काम करेंगे उनके लिये अलग इनाम रखा गया है और हर जिले में अच्छा काम करने वाली गांव सभावों और बाकी संस्थाओं के लिये दो हजार रुपये तक का इनाम रखा गया है।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो श्रमदान के सम्बन्ध में कार्य किया गया है उसमें कुछ सरकारी धन भी व्यय हुआ है ?

श्री फूलसिंह—साधारण तौर से तो उसमें सरकारी धन व्यय नहीं हुआ है पर पुल आदि बनाने में सरकारी धन व्यय होगा।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जहां श्रमदान कार्य अच्छा हुआ है वहां सरकार की तरफ से कोई पुरस्कार भी दिया गया है ?

श्री फूल सिंह—पुरस्कार की बात तो मैं कह चुका हूं।

जिला मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय विस्तार सेवा के अन्तर्गत लिए गये गांवों को सहायता

*७—श्री बलवन्तसिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला मुजफ्फरनगर में सरकार ने कौन-कौन से गांव National Extension Service के अन्तर्गत लिये है ?

श्री फूलसिंह—जिला मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय विस्तार सेवा (एन० ई० एस०) के एक सौ गांव की सूची माननीय सदस्य की मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३०७–३०८ पर)

*८—श्री बलवन्तसिंह—क्या सरकार यह बतायेगी कि जो गांव एन० ई० एस० में लिये गये हैं सरकार उनको क्या-क्या सहायता देगी और वहां क्या-क्या काम करेगी ?

श्री फूलसिंह—एन० ई० एस० के क्षेत्र में निम्नलिखित आर्थिक सहायता ३ साल की अवधि में दी जायगी।

(१) सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये १,५०,००० रु० की सहायता।

(२) सामाजिक शिक्षा के लिये २०,००० रुपये।

(३) कार्यालय, बीज गोदाम, खेती के यन्त्रों और भवनों इत्यादि के लिये ५०,००० रुपये।

(४) छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये कर्जे में एक लाख रुपये।

(५) थोड़ी अवधि के लिये आवश्यक कर्जा सहकारी संस्थायें देंगी।

(६) विभिन्न विभागों में टैक्निकल एडवाइस।

राष्ट्रीय विस्तार संगठन (एन० ई० एस०) का उद्देश्य सामुहिक ग्राम विकास है। कृषि सुधार, पशु पालन, जन-स्वास्थ्य व सफाई, जन-मनोरंजन तथा सामाजिक संस्थाओं का संगठन व विस्तार पंचायतों व स्वयं सेवा संगठनों का सुदृढ़ करना इत्यादि इस योजना के प्रमुख कार्य क्रम हैं।

श्री बलवन्तसिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि कुल कितना रुपया एक सेंटर पर सरकार खर्च करने जा रही है ?

श्री फूलसिंह—एक सेंटर पर ७ लाख २० हजार रुपया खर्च होगा।

श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना भाग है ?

श्री फूलसिंह—इसमें जो एक लाख रुपया कर्जे का है वह सेंट्रल गवर्नमेंट से आयेगा और जो तीन लाख रुपये का शार्ट टर्म लोन है उसमें से भी कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट से आयेगा, बाकी तफसील के लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री बलवन्तसिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि कर्जे के लिये इस ७ लाख २० हजार रुपये में से कितनी रकम दी जा रही है ?

श्री फूलसिंह—४ लाख रुपया ।

श्री बलवन्तसिंह—उसकी शरह सूद क्या होगी जो कर्जा दिया जा रहा है ?

श्री फूलसिंह—एक लाख रुपये की तो शरह सूद वही है जो आम तौर से तकावी की होती है। जो तीन लाख रुपये का शार्ट टर्म लोन है वह कम शरह सूद पर मिलेगा ।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी उद्योग-धन्धों में सहायता देने का विचार रखते हैं ?

श्री फूलसिंह—जी हां ।

श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सामाजिक शिक्षा, जिसका कि कुछ ब्योरा अभी माननीय मंत्री जी ने दिया वह किस प्रकार, किस आधार पर और किस तरीके पर दी जायगी ?

श्री फूलसिंह—सामाजिक शिक्षा हम एक नये तरीके से शुरू करना चाहते हैं और जितनी हमारी योजनाएं हैं उनका प्रचार हम भजनों, कथाओं, नाटकों और जलसों द्वारा करना चाहते हैं ।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह नेशनल एक्सटेंशन सर्विस कब से आरम्भ होगी और कब समाप्त होगी ?

श्री फूलसिंह—आरम्भ तो हो चुकी है मगर चूंकि जो आदमी भर्ती किये गये हैं वे अभी तक ट्रेनिंग में हैं तो जब ट्रेनिंग पाकर वे वापस जायंगे तो काम शुरू कर देंगे ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मुजफ्फरनगर जिले में जहां पर एन० ई० एस० सेंटर्स खोले गये हैं वहां की जनता से भी कुछ रुपया इकट्ठा किया गया है ?

श्री फूलसिंह—वह तो रुपये के खर्च करने का कायदा ही है कि जनता रुपया देगी तो वह खर्च होगा ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ७ लाख २० हजार रुपये कितने साल में व्यय किये जायेंगे ?

श्री फूलसिंह—तीन साल में ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो मदें अलग-अलग विभागों के सम्बन्ध में एन० ई० एस० ब्लाक के लिये रखी गई हैं उनका गांवों में वितरण कौन अथारिटी करेगी ?

श्री फूलसिंह—एक ब्लाक ऐडवाइजरी बोर्ड बनता है ।

श्री बलवन्तसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस एन० ई० एस० ब्लाक में पिछड़े हुये वर्ग और स्त्रियों की उन्नति के लिये भी कोई प्रबन्ध किया जा रहा है ।

श्री फूलसिंह—जी हां ।

श्री बलवन्तसिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि वह क्या है?

श्री फूलसिंह—यह जो रुपये का एलाटमेंट है इसको खर्च करने की काफी आजादी ऐडवाइजरी बोर्ड को होगी वहां के क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार।

मऊ, जिला आजमगढ़ में राजकीय डाइंग तथा फिनिशिंग फैक्टरी पर व्यय

*९—श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि मऊ, जिला आजमगढ़ में रंगाई और धुनाई का कोई कारखाना सरकार की ओर से सन् ४९ में खोला गया था? यदि हां, तो अब तक उस पर सरकार का कितना व्यय हो चुका है?

श्री हुकुमसिंह—मऊ, जिला आजमगढ़ में राजकीय ड्राइंग तथा फिनिशिंग फैक्टरी को स्थापित करने का कार्य सन् १९४९ में आरम्भ हुआ। फैक्टरी की बिल्डिंग सन् १९५१ ई० में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पूरी की गई और उसका हस्तांतरण उद्योग विभाग को सन् १९५२ ई० में हुआ। इस फैक्टरी पर जनवरी सन् १९५४ तक हुये खर्च का ब्योरा यों है:

१—मशीन व फिटिंग आदि पर	..	३,१८,६८० रु०
२—इमारत पर	..	१,२४,२२७ रु०
३—कर्मचारियों के वेतन आदि पर	..	१,०९,४३८ रु०
		५,४२,३४५ रु०

*१०—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि सम्प्रति इस कारखाने में कितने कर्मचारी काम करते हैं और उनका कुल वेतन कितना माहवारी होता है?

श्री हुकुमसिंह—इस कारखाने में २५ व्यक्ति मासिक वेतन पर लगे हुये हैं जिन पर लगभग २,३६० रुपया प्रति मास व्यय होता है।

*११—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या उद्योग मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि उपर्युक्त कारखाने की ब्वायलर मशीन स्थापित करने का जो घर बनाया गया था वह अपने आप गिर गया? यदि हां, तो सरकार का उस पर कितना व्यय हुआ था?

श्री हुकुमसिंह—(अ) जी हां।

(ब) गिरी हुई दीवालों का सारा सामान पुनः दीवाल बनाने के काम में ले आया गया। मजदूरी और मसाले पर लगभग ८०० रुपये और खर्च हुए।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या उद्योग मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ५,४२,३४५ रुपया खर्च करने के बावजूद भी इस कारखाने में कोई काम नहीं हो रहा है?

श्री हुकुमसिंह—काम तो जरूर हो रहा है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस वर्ष उसमें कितना काम हुआ है?

श्री हुकुमसिंह—इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि सन् १९४९ से अभी तक कितने ट्रेनीज उससे शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं?

श्री हुकुमसिंह—उसमें कोई ट्रेनी नहीं है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या यह सही है कि इसमें जो कर्मचारी रखे हुए हैं, उनका ६ महीने से वेतन बाकी है?

श्री हुकुमसिंह—इसके लिए नोटिस की जरूरत है।

श्री गेंदासिंह—क्या इस कारखाने की कोई बैलेंस शीट आज तक प्रकाशित हुई है और अगर हुई है, तो उसमें कितना मुनाफा हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह—बजट से ही ये आंकड़े निकाले गये हैं।

श्री कमलासिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो इमारत गिर गयी है, उसकी मरम्मत के सिलसिले में कितनी बार सूचना दी गयी और सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री हुकुमसिंह—इमारत जो गिर गयी थी, वह बनवा दी गयी है। यह जवाब मैंने दिया है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या यह सही है कि जो मकान गिर गया है, वह वहीं के कर्मचारियों से बनवाया गया है ?

श्री हुकुमसिंह—उनकी देख-रेख में जरूर बनी होगी।

श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह कारखाना कामयाबी के साथ चल रहा है, और सरकार को उससे सन्तोष है ?

श्री हुकुमसिंह—जरूर है और मई से वह और भी ठीक तरह से चलने लगेगा जब कि वहां पर ब्वायलर काम करने लगेगा।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या यह सही है कि वहां पर जो घर गिर गया था, उसमें मिट्टी गारे की और एक ईंट की जुड़ाई हुई थी ?

श्री हुकुमसिंह—नोटिस की जरूरत है। मैं इस वक्त इसका जवाब नहीं दे सकता।

मिर्जापुर जिले के निवासियों पर बनारस स्टेट के जंगलों से ईंधन लेने की रुकावट

*१२—श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भूतपूर्व बनारस स्टेट के जंगलों से, जो अब बनारस जिले के नौगढ़ रेंज के अन्तर्गत है सूखी जलावनी लकड़ी अपनी जरूरत के लिए बनारस जिले के निवासियों को मुफ्त लेने का अधिकार है, किन्तु निकटस्थ मिर्जापुर जिले के निवासियों को उन जंगलों से निजी प्रयोग के लिए सूखी जलावनी लकड़ी लेने पर रोक लगायी जाती है ?

वन उपमंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)—बनारस राज्य के विलीन होने के पूर्व से वहां के जंगलों में जिसमें नौगढ़ रेंज शामिल है, केवल चकिया के निवासियों को अपनी आवश्यकता के लिए सर बोझ लकड़ी मुफ्त लेने का अधिकार प्राप्त है।

*१३—श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या सरकार उक्त जंगलों के निकटस्थ मिर्जापुर जिले के निवासियों को भी, जिन्हें जलावनी लकड़ी के लिये दूसरा कोई जंगल प्राप्त नहीं है, मुफ्त लकड़ी मिलने की सुविधा प्रदान करेगी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह सुविधा इन्हें मिर्जापुर के जंगलों से प्राप्त है।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नौगढ़ जंगल से मिले हुए मिर्जापुर जिले के जो गांव हैं उनको नौगढ़ जंगल के अलावा मिर्जापुर जिले में लकड़ी के लिए दूसरा जंगल नहीं है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—वहां मिर्जापुर जिले के जंगल नहीं हैं, तो जहां उनके हकूक हैं, वहां उनको मिलते होंगे।

श्री व्रजभूषण मिश्र—इन गांवों को लकड़ी लेने के लिए दूसरा जंगल नहीं है। यह मेरा प्रश्न है।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यदि पड़ोस में नहीं है, तो दूर से लाते होंगे।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय (जिला मिर्जापुर)—क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में मिर्जापुर जिले के ग्राम निवासियों ने हड़ताल करने का निश्चय किया है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इसकी सरकार को कोई सूचना नहीं है।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय मन्त्री जी को मालूम है कि प्रति बोझ ४ आना और प्रति गाड़ी एक रुपया फारेस्ट गार्ड्स चार्ज करते हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—नहीं, अपने इस्तेमाल के लिए सर बोझ मुफ्त में दिया जाता है, अगर बिक्री के लिए ले जाते हैं, तो परमिट पर उनको दी जाती है।

जौनपुर जिले में प्लानिंग विभाग द्वारा बनवाई गई सड़कें

*१४—**श्री बाबूनन्दन**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्लानिंग विभाग, जौनपुर द्वारा जौनपुर में कितनी कच्ची सड़कें बनीं और कितनी बन रही हैं ?

श्री फूलसिंह—९१ मील ५ फर्लांग १९० गज नयी कच्ची सड़कें बनी हैं और ३२८ मील ६ फर्लांग ६९ गज सड़कों की मरम्मत हुई है। इस समय चूंकि किसान कटाई में लगे हैं, इसलिए कोई सड़क नहीं बन रही है।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सड़क प्लानिंग विभाग द्वारा बनायी गयी है या मरम्मत हुई है, उसको सरकार पक्की बनवाने की कृपा करेगी ?

श्री फूलसिंह—ऐसा कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सड़क बनायी गयी है, उसमें जहां पुल बनाने की आवश्यकता है, उसमें सरकार सहायता प्रदान करने की कृपा करेगी ?

श्री फूलसिंह—जी हां।

*१५—**श्री रमेश चन्द्र शर्मा** (जिला जौनपुर)—[स्थगित किया गया।]

*१६-१७—**श्री धर्मसिंह** (जिला बुलन्दशहर)—[स्थानान्तरित किये गये।]

*१८-२०—**श्री व्रजभूषण मिश्र**—[स्थगित किये गये।]

*२१—**श्री राजाराम शर्मा** (जिला बस्ती)—[स्थगित किया गया।]

*२२-२४—**श्री दीनदयालु शास्त्री** (जिला सहारनपुर)—[स्थगित किये गये।]

*२५-२६—**श्री धर्मदत्त वैद्य** (जिला बरेली)—[स्थगित किये गये।]

*२७-२९—**श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय** (जिला गोरखपुर)—[स्थगित किये गये।]

जिला बस्ती में गृह उद्योगों की उन्नति के लिए सहायता

*३०—श्री राजाराम शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती में गृह उद्योगों की उन्नति के लिए सन् ५२–५३ में कितनी-कितनी सहायता उसने किस-किस को दी है ?

श्री हुकुमसिंह—वित्तीय वर्ष १९५२–५३ में बस्ती जिले में गृह उद्योगों की उन्नति के लिए केवल एक व्यक्ति श्री सुखई राम को १,००० रु० का ऋण दिया गया था।

श्री राजाराम शर्मा—क्या माननीय मन्त्री महोदय सुखई राम का पता बताने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह—जिला बस्ती।

श्री राजाराम शर्मा—क्या सरकार कृपा कर बतलायेंगे कि सुखई राम ने किस उद्योग में रुपया लगाया और वह उद्योग कैसा चल रहा है ?

श्री हुकुमसिंह—चमड़े का काम कर रहे हैं और उन्होंने रुपये का सदुपयोग किया है, बल्कि किस्त भी अदा की है।

श्री राजाराम शर्मा—क्या सरकार बतायेगी की कितनी दरख्वास्तें गृह उद्योग में सहायता के लिए आयीं बस्ती जिले से और उनमें से कितनी स्वीकार हुईं ?

श्री हुकुमसिंह—इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है।

कानपुर जिले में उद्योग-धन्धों के लिए हरिजनों को सहायता

*३१—श्री रामजीलाल सहाय (जिला मेरठ)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५२–५३ में हरिजनों को उद्योग-धन्धे चालू करने के लिए कितना-कितना रुपया, कानपुर, इलाहाबाद तथा मेरठ जिलों को दिया गया ?

श्री हुकुमसिंह—सन् १९५२–५३ में उद्योग-धन्धे चालू करने के लिए इलाहाबाद तथा मेरठ जिलों में किसी हरिजन को ऋण तथा अनुदान योजना के अन्तर्गत ऋण तथा अनुदान नहीं दिया गया। कानपुर जिले में वित्तीय वर्ष १९५२–५३ में निम्नलिखित ५ हरिजनों को ऋण तथा अनुदान दिया गया जिसका विवरण इस प्रकार है :

क्रमांक	नाम		ऋण	अनुदान
			रु०	रु०
१	श्री हीरालाल कुरील	..	१,०००	२५०
२	श्री ज्ञानदास हरिजन	..	१,०००	..
३	श्री मैकूलाल हरिजन	..	१,०००	..
४	श्री लुक्कई दास	..	१,०००	..
५	श्री बजरंगी लाल हरिजन	..	१,०००	..

श्री रामजीलाल सहायक—क्या मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस तालिका में दिये गये प्रत्येक व्यक्ति को किन-किन उद्योगों को चालू करने के लिए ऋण दिये गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह—चमड़े का काम है ज्यादातर।

श्री रामजीलाल सहायक---क्या मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि मेरठ और इलाहाबाद में किसी को क्यों नहीं ऋण दिये गये ?

श्री हुकुमसिंह---किसी ठीक आदमी की दरख्वास्त नहीं आयी।

श्री हरिसिंह (जिला मेरठ)---क्या सरकार के पास इस ऋण के मुक्त होने के कुछ आवेदन-पत्र भी आये हैं ?

श्री हुकुमसिंह---इन पांचों आदमियों में से किसी के आवेदन-पत्र आये हैं, यह कहना इस वक्त मुश्किल है मेरे लिए।

श्री रामजीलाल सहायक---क्या मन्त्री जी कृपया बतलायेंगे कि दिये हुए ऋण को सरकार किस दर से वापस लेती है ?

श्री हुकुमसिंह---उसमें कायदा है, उसकी तरफ मैं अपने मित्र की तवज्जह दिलाता हूं। उसमें सब दिया हुआ है कि किस तरह से दिया जाय।

श्री रामदास आर्य---क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन उद्योगों को ऋण दिया गया है, उनके कार्यों की सरकार देखभाल रखती है, और अगर रखती है तो क्या यह कार्य सन्तोषजनक हुआ ?

श्री हुकुमसिंह---जी हां, युटिलाइजेशन सार्टिफिकेट आये हैं कि उन्होंने ठीक तरह से रुपये का इस्तेमाल किया है।

श्री हरिसिंह---क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो आवेदन-पत्र सरकार के पास आये हैं, उनको ऋण से मुक्त करने का विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह---मैंने तो कहा नहीं कि उनमें से किसी के आये हैं।

श्री रामदास आर्य---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन उद्योगों में सहायता दी जाती है, और उन उद्योगों से जो वस्तुएं बनती हैं, उनकी बिक्री की सुव्यवस्था पर सरकार विचार रखती है ?

श्री हुकुमसिंह---हां, जो आज चमड़े के माल बनाये जाते हैं वह यू० पी० हैन्डी क्रैफ्ट्स में भी आते हैं और उसके जरिये से भी बिक्री की सुविधा की जाती है।

श्री गणेश प्रसाद जायसवाल (जिला इलाहाबाद)---क्या सरकार इलाहाबाद में भूमि का काम करने वाले हरिजनों को भी कुछ सहायता देने का कार्य कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह---उसके सम्बन्ध में मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री भगवती प्रसाद (जिला बाराबंकी)---यह जो ऋण दिया जाता है, यह कितने वर्ष न वापस करने के बाद सरकार इसको बट्टे खाते में डाल देती है ?

श्री हुकुमसिंह---बट्टे खाते में मैं नहीं डालता। एक-एक पाई वसूल करने की चेष्टा करता हूं।

*३२-३४---**श्री नवल किशोर** (जिला बरेली)---[वापस लिये गये।]

*३५---**श्री चन्द्रसिंह रावत** (जिला गढ़वाल)---[स्थगित किया गया।]

घरेलू उद्योग-धन्धों के लिये सहायता

*३६---**श्री राम कृष्ण जैसवार** (जिला मिर्जापुर)---क्या सरकार प्रत्येक जिले में घरेलू उद्योग-धन्धों के लिए जिले की परिस्थिति को देखते हुए प्रत्येक वर्ष उसका कोटा निर्धारित करने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह—जी नहीं।

श्री रामकृष्ण जैसवार—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि किस आधार पर घरेलू उद्योग-धन्धों को प्रत्येक जिले में सहायता दी जाती है ?

श्री हुकुमसिंह—जब कोई दरख्वास्त देता है, तो उसकी तहकीकात करायी जाती है, वहां जब यह पाया जाता है कि फलां-फलां उद्योग ठीक तरह से चलेगा, तब दी जाती है।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह तहकीकात किस विभाग द्वारा करायी जाती है ?

श्री हुकुमसिंह—वही इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट।

श्री रामकृष्ण जैसवार—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो हरिजन सहायक विभाग से काटेज इन्डस्ट्रीज के लिए सहायता दी जाती है, उसमें और आपके उद्योग विभाग से जो मदद दी जाती है, उसमें क्या अन्तर है ?

श्री हुकुमसिंह—यह कहना इस वक्त मेरे लिए नामुमकिन है।

*३७-३८—श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)—[स्थगित किये गये।]

बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के इंडियन टेक्निकल कोर्स के पास शुदा ड्राफ्ट्समैन

*३९—श्री गणेश प्रसाद जायसवाल—क्या सरकार जंगल विभाग के लिए बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी के इन्डियन टेक्निकल कोर्स के द्वितीय ग्रेड को पास शुदा ड्राफ्ट्समैन मानती है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जी नहीं।

श्री गणेश प्रसाद जायसवाल—क्या सरकार को पता है कि बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी के इन्डियन टेक्निकल कोर्स के द्वितीय ग्रेड को केन्द्रीय सरकार पासशुदा ड्राफ्ट्समैन मानती है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह तो मुझे पता नहीं कि भारत सरकार मानती है या नहीं। मगर फाइव इयर्स कोर्स ड्राफ्ट्समैनशिप का जो बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी का है, उसको हम मानते हैं।

श्री गणेश प्रसाद जायसवाल—क्या सरकार इस प्रश्न पर पुनः विचार करके इसे मान्यता प्रदान करेगी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—विचार तो गवर्नमेंट हर वक्त करने के लिए तैयार रहती है मगर यह कहना सम्भव नहीं होगा इस वक्त, क्योंकि इस वक्त पी० डब्ल्यू० डी० के जो स्टैन्डर्ड हैं, उन्हीं के अनुसार रुड़की यूनिवर्सिटीज के और फाइव इयर्स कोर्स बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के जो हैं, उन्हीं को हम मानते हैं।

*४०—श्री रामजीलाल सहायक—[स्थगित किया गया।]

*४१-४२—श्री बाबू नन्दन—[स्थगित किये गये।]

करघों के लिये विभिन्न नम्बरों के सूत की आवश्यकता

*४३—श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के हाथ के करघों पर कपड़े तैयार करने के लिए किस-किस नम्बर के कितने-कितने सूत की आवश्यकता होती है ?

श्री हुकुमसिंह---इस प्रदेश में २,५३,००० करघे हैं। यदि सब करघों को पूरा काम मिल जाय तो सूत की आवश्यकता इस प्रकार होगी :—

				गांठ
१ से १६ नम्बर तक	..	..	..	८१,४५६
१७ से ३५ नम्बर तक	..	..	..	१,५५,१६०
३६ से ४७ नम्बर तक	..	..	..	१२,९३६
४८ अथवा इससे ऊपर	..	..	..	९,०४८

*४४---श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में हाथ के करघों पर कपड़े तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश के बाहर से किस किस नम्बर का कितना सूत खरीदा जाता है ?

श्री हुकुमसिंह---बाहर से सूत मंगाने की कोई संख्या निश्चित नहीं है। सन् १९५१ में २७,७६७ गांठ और १९५२ में २१,६९१ गांठ सूत बाहर की मिलों से खरीदा गया। खरीदे हुए सूत का नम्बर बताना सम्भव नहीं है।

*४५---श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश की कौन-कौन सी काटन मिल किस किस नम्बर का सूत अपनी आवश्यकता से अधिक बनाती है ?

श्री हुकुमसिंह---यह प्रश्न केन्द्रीय सरकार से सम्बन्ध रखता है।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कुल कितने करघों को काम मिला है ?

श्री हुकुमसिंह---इसके लिए नोटिस की जरूरत है।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी---क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश से कितना सूत खरीदा गया ?

श्री हुकुमसिंह---यह तो सवाल ४४ के जवाब में ५२-५३ तक का ब्योरा दे दिया गया है।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी---अध्यक्ष महोदय, सवाल तो यह है कि बाहर से कितना खरीदा गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यू० पी० से कितना खरीदा गया ?

श्री हुकुमसिंह---इसके लिए भी नोटिस की आवश्यकता है।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---माननीय मन्त्री महोदय को कोई ऐसी शिकायत की सूचना मिली है कि बुनकरों को जिस नम्बर के सूत मिलने चाहिए वह न मिल कर और नम्बर के मिलते हैं ?

श्री हुकुमसिंह---कन्ट्रोल के जमाने में ऐसी शिकायत थी। अब तो आजादी है।

श्री नेकराम शर्मा---क्या माननीय मन्त्री महोदय बतलाने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो सूत की मिलें हैं, वे प्रत्येक वर्ष कितने गज सूत तैयार करती हैं ?

श्री हुकुमसिंह---इसका रेकार्ड सेन्ट्रल गवर्नमेंट के यहां मिल सकता है हमारे यहां नहीं।

श्री रामदास आर्य---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सूत की कमी के कारण बहुत से करघे बेकार पड़े हुए हैं ?

श्री हुकुमसिंह---सूत की कमी से बेकार नहीं हैं । पैसे के अभाव से चाहे पड़े हों।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी---क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की सूत मिलें, उत्तर प्रदेश में सूत न खरीदने के कारण बन्द पड़ी हैं ?

श्री हुकुमसिंह---कुछ मिलें बन्द हैं । लेकिन यह कहना कि न खरीदने की वजह से महज बन्द हैं यह तो ठीक नहीं होगा ।

श्री नेकराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश में इतने सूत की कमी है कि उन्हें बाहर से सूत मंगाना पड़ता है ?

श्री हुकुमसिंह---कोई खास वजह मैं नहीं बतला सकता । लेकिन शायद बाहर से मंगाना प्राफिटेबिल है इस वजह से बाहर से मंगाते हैं ।

श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)---क्या यह सही है कि जो यू० पी० की मिलें बेकार पड़ी हैं उनके तैयार किये हुए सूत की मांग यहां पर नहीं है ?

श्री हुकुमसिंह---मैं इसके लिए कतयी नहीं कह सकता कि उनके तागे की कतयी मांग नहीं है ।

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार कोई ऐसा प्रयत्न करने जा रही है जिससे सूत बाहर से मंगाने की आवश्यकता न पड़े ?

श्री हुकुमसिंह---प्रश्न विचाराधीन अवश्य है ।

श्री चन्द्रसिंह रावत---क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश में १९५२-५३ में सूत का प्रोडक्शन क्या है ?

श्री हुकुमसिंह---नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो मिल बन्द पड़े हैं उनको गवर्नमेंट खुद चलाये या दूसरे से चलवाये, इसका विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह---हाथरस वाली मिल सरकार न चलायेगी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी के पास शिकायतें आयी हैं कि मिलें जो सूत का भाव रखती हैं उससे बहुत ज्यादा महंगे दामों में सूत देती हैं ?

श्री हुकुमसिंह---कुछ छुटपुट शिकायतें ऐसी आयी हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी यह बताएंगे कि इन शिकायतों को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया है ?

श्री हुकुमसिंह---अभी कुछ सोचा नहीं है ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नों का उत्तर देते समय, उन पर आज की तारीख का भी कुछ असर पड़ रहा है ?

श्री अध्यक्ष--मालूम होता है कि सुनने वालों पर भी पड़ रहा है ।

श्री हुकुम सिंह--हम पर नहीं हमारे दोस्त पर जरूर पड़ रहा है ।

*४६-४८--श्री रामसुन्दर पाण्डेय--[स्थगित किये गये ।]

*४९--श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया)--[स्थानान्तरित किया गया ।]

बस्ती जिले में बुनकरों को सहायता

*५०--श्री राजाराम शर्मा--वर्तमान मन्दी से बचाने के लिये सरकार ने बस्ती जिला के बुनकरों के हित में सन् १९५३-५४ में कौन-कौन से कार्य किये हैं और सन् १९५४-५५ में क्या-क्या करना चाहती है ?

श्री हुकुमसिंह--१९५३-५४ में कर्घा उद्योग के सहायतार्थ बस्ती जिले में दो सहकारी उत्पादन समितियां, जिनमें कि दस दस प्राइमरी समितियां सम्मिलित हैं, चालू की गई हैं । इससे अतिरिक्त एक रंगाई केन्द्र तथा बिक्री केन्द्र की स्थापना भी की गई है । १९५४-५५ में इस जिले में मगहर में जो क्लेन्डरिंग प्लांट अपूर्ण अवस्था में है उसे पूरा करके चलाने का आयोजन किया जा रहा है ।

श्री राजाराम शर्मा--मगहर में जो कलरिंग प्लान्ट लगा हुआ है । उसमें कितना खर्च लगता है और उस खर्चे में सरकारी सहायता कितनी है ?

श्री हुकुमसिंह--नोटिस आने पर विवरण दे सकूंगा ।

श्री राजाराम शर्मा--यह कलरिंग प्लान्ट कब लगाया गया है और अब तक क्यों अधूरा ही पड़ा रहा ?

श्री हुकुमसिंह--जरूरी पुर्जे न मिलने की वजह से अपूर्ण रहा ।

श्री राजाराम शर्मा--क्या सरकार बतलायेगी कि सहकारी उत्पादन केन्द्र कहां कहां हैं और उनकी पूंजी क्या है ?

श्री हुकुमसिंह--सब जगहों के तो नहीं बतला सकता लेकिन खलीलाबाद में एक है इसकी इत्तिला मुझे है ।

*५१--श्रीमती चन्द्रवती (जिला बिजनौर)--[स्थगित किया गया ।]

*५२-५३--श्री मन्नीलाल गुरुदेव (जिला हमीरपुर)--[स्थगित किये गये ।]

सामूहिक योजना सम्बन्धी नवीन केन्द्र

*५४--श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष उसने सामूहिक योजना (Community project) के सम्बन्ध में इस प्रदेश में कितने केन्द्र नये खोले हैं और वे किन-किन स्थानों पर हैं तथा नवीन वर्ष में कितने केन्द्र और आरम्भ किये जायेंगे ?

श्री फूलसिंह--वित्तीय वर्ष १९५३-५४ में इस प्रदेश में सामूहिक योजना सम्बन्धी १७ केन्द्र खोले गये । स्थानों की सूची माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है । नवीन वर्ष में कोई नए केन्द्र खोलने का विचार नहीं है ।

*५५--श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ--क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसी योजना में श्रम धन एकत्रित करने और जनसेवा भावना उत्पन्न करने तथा प्रोत्साहन देने के लिये सरकार की क्या योजना है ?

श्री फूलसिंह--सामूहिक विकास योजनाओं में श्रमधन एकत्रित करने, जनसेवा भावना उत्पन्न करने तथा प्रोत्साहन देने के लिए कार्यक्रम का एक विवरण माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत कर दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३०९ पर ।)

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो प्रचार सम्बन्धी योजनायें विचार में रक्खी गई हैं उनके लिये गांव सभाओं में चारों तरफ कोई क्षेत्र निर्धारित किया गया है ?

श्री फूलसिंह--सामूहिक विकास योजनायें खुद ही क्षेत्र हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन सामूहिक विकास योजनाओं के नये केन्द्र न खोलने के क्या कारण हैं ?

श्री फूलसिंह--अभी तक प्लानिंग कमीशन से कोई आदेश नहीं आया है ।

श्री बलवन्त सिंह--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट की कितनी आयु होती है और कितना रुपया सरकार उस पर खर्च करती है ?

श्री फूलसिंह--कम्युनिटी प्रोजेक्ट की आयु तीन साल की होती है । तीन ब्लाक वाले प्रोजेक्ट पर ६५ लाख और एक ब्लाक वाले ब्लाक पर १ लाख रुपये खर्च होते हैं ।

श्री बलवन्त सिंह--क्या सरकार बतलायेगी कि जो रुपया कम्युनिटी प्रोजेक्ट पर खर्चा होता है यह कहां से आता है ?

श्री फूलसिंह--उसका एक अंश हम देते हैं और कुछ केन्द्रीय सरकार देती है ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--क्या यह सच है कि इन सामूहिक विकास योजनाओं में उन इलाकों की मुख्य समस्याओं को, जिनको जनता चाहती है, छोड़ दिया जाता है और सरकारी अफसरों की इच्छा पर काम किया जाता है जो कि असफल रहती है ?

श्री फूलसिंह--जी नहीं । सामूहिक विकास योजनाओं के लिये हर क्षेत्र में एक एडवाइजरी बोर्ड बना हुआ है और उस क्षेत्र के एम० एल० एज० उसके सदस्य हैं जो उसको सलाह देते हैं ।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी को विदित है कि उस कमेटी की राय को सरकारी अधिकारियों ने मान्यता नहीं दी है ?

श्री फूलसिंह--मुझे ऐसी कोई इत्तिला नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार के पास ऐसी शिकायतें सार्वजनिक सेवा समिति के कार्यकर्ताओं की तरफ से आयी हैं कि यह कम्युनिटी प्रोजेक्ट यहां के वातावरण और देश काल के अनुकूल नहीं है ?

श्री फूलसिंह---कुछ लोगों ने ऐसी आलोचना जरूर की है मगर मेरे ख्याल में हमारे प्रोजेक्ट तो इन सब बातों का विचार रखकर ही चल रहे हैं ।

श्री सत्यसिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इन प्रोजेक्ट में मीराबेन का प्रोजेक्ट भी शामिल है और अगर नहीं है तो वह कब से शामिल होने वाला है ?

श्री फूलसिंह---वह भी इसमें शामिल है मगर उसमें अभी थोड़ी कठिनाई है मीराबेन की वजह से । अगर वह मान जायं तो काम फिर चले ।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या यह सही है कि टेहरी-गढ़वाल में अभी कम्युनिटी प्रोजेक्ट इसीलिये खटाई में पड़ा हुआ है कि चूंकि वह गान्धीवादी दृष्टिकोण के आधार पर कम्युनिटी विकास योजनाओं को नहीं मानती ?

श्री फूलसिंह---यह सही नहीं है । उन्होंने जो एतराज किये हैं उन एतराजों में काफी त्रुटि है ।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मीराबेन का मुख्य एतराज क्या था ?

श्री फूलसिंह---उनके कई तरह के एतराज थे । एक तो उनका एतराज यह था कि चन्दा वगैरा उनसे वहां पर न लिया जाय । इस एतराज को तो हमने मान लिया था । फिर रुपये का खर्च करने का उनका जो ढंग था वह ठीक नहीं बैठता था । जो तमाम कामों पर खर्च होता वह तो एक दो स्थान पर खर्च हो जायगा ।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह---क्या माननीय मंत्री जी के उत्तर का मतलब यह है कि पूरी योजना खटाई में पड़ी हुयी है ?

श्री फूलसिंह---योजना खटाई में नहीं पड़ी हुयी है । चेष्टा इस बात की है कि उनको साथ लेकर काम किया जाय । मेरा स्वयं भी वहां जाने का विचार है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट के प्रत्येक ब्लाक में जो २२ लाख रुपया खर्च होता है या कम्युनिटी प्रोजेक्ट के तीनों ब्लाकों में जो ६५ लाख रुपया खर्च होना बताया जाता है उसमें अमेरिकन इकानामिक एड का कितना सिस्सा होता है ?

श्री फूलसिंह---अब यह फौरन तो नहीं बतला सकता मगर जो सामान बाहर से मंगाना होता है वह तक़रीबन सब वहीं से आता है ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि श्रीमती मीराबेन ने इसीलिये टेहरी-गढ़वाल की प्लानिंग कमेटी के अन्तर्गत काम करने से इन्कार कर दिया है ?

श्री फूलसिंह---मीराबेन जी का कोई ऐसा एतराज नहीं है । मीराबेन का बड़ा ऊंचा स्थान है यह सब जानते हैं । उनको साथ लेकर यदि काम किया जाय तो उसमें हमको बड़ी सुविधा है । उनके एतराजों की तफसील में जाकर तमाम एतराजों को दूर करके उनकी सहायता से काम करने का इरादा है ।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस कम्युनिटी प्रोजेक्ट के संचालन में अमेरिकन एडवाइजर की भी मदद ली जाती है और अगर ली जाती है तो कितनी ?

श्री फूलसिंह---कोई मदद उनसे नहीं ली जाती है । वह निरीक्षण करने जाते हैं और अपनी रिपोर्ट भेजते रहते हैं और कुछ सुझाव भी देते रहते हैं ।

टेहरी-गढ़वाल जिले में शरणार्थियों को बसाने की योजना

*५६---श्री सत्य सिंह राणा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टेहरी जिले के अन्तर्गत इस समय कितने शरणार्थी (पुरुषार्थी) परिवार कहां-कहां पर हैं ?

श्री हुकुमसिंह---टेहरी जिले से लगभग ४१६ उद्वासित व्यक्ति हैं उनकी भिन्न भिन्न स्थानों पर परिवारों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

*५७---श्री सत्य सिंह राणा---उनको बसाने व सहायता के सम्बन्ध में क्या सरकार के विचाराधीन कोई योजना है ?

श्री हुकुमसिंह---टेहरी जिले में आये हुए शरणार्थियों के बसाने व सहायता देने के लिये विशेष योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है । परंतु जो सुविधायें शरणार्थियों को इस प्रदेश में और स्थानों पर दी गई हैं वे टेहरी में भी उपलब्ध हैं ।

श्री सत्य सिंह राणा---जब सरकार को इस बात की सूचना नहीं है कि टेहरी जिले में विभिन्न स्थानों पर कितने उनके परिवारों की संख्या है तो यह ४१६ अन्दाजा ही बताया है और अगर अन्दाजा नहीं है तो फिर यह फिगर्स कहां से मिले ?

श्री हुकुमसिंह---यह बताना कठिन है कि यह फिगर्स कहां से मिले । लेकिन कुछ रेकार्ड थे उनसे ही यह फिगर्स मिले ।

श्री सत्य सिंह राणा---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि टेहरी में शरणार्थियों को कितनी और कैसे सहायता दी गई ?

श्री हुकुमसिंह---लड़कों को वजीफा दिया । जो काम करना चाहते थे उनको क़र्ज़े की शक्ल में मुख़्तलिफ़ सहायता जैसे यहां दी गई वैसे ही वहां भी दी गई ।

*५८-५९---श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर) ---[स्थगित किये गये ।]

जौनपुर जिले के गृह उद्योग-धन्धे

*६०---श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में मुख्यतः कौन कौन गृह उद्योग-धन्धे प्रचलित हैं ?

श्री हुकुमसिंह---जौनपुर जिले में मुख्यतः ऊनी गलीचा बनाना, टाट-पट्टी, मिट्टी के बर्तन, बीड़ी बनाना, सुतली व मूंज की चटाई, खादी की बुनाई तथा कताई, कुप्पी बनाना, खुशबूदार तेल बनाना, चर्मकला, लोहारी तथा सोनारी, कांच के मोती बनाना घरेलू उद्योग प्रचलित हैं ।

श्री नागेश्वर द्विवेदी---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जौनपुर जिले में करघा उद्योग, कपड़े की रंगाई-छपाई, तेल का निकालना, तम्बाकू, बांस की टोकरी बनाने का काम, बीड़ी का काम और साबुन का काम भी गृह उद्योग-धन्धे प्रचलित हैं ?

श्री हुकुमसिंह---इन सबके बारे में ठीक मालूम नहीं है लेकिन मोटी मूली उगाई जाती है जौनपुर में ।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर प्लानिंग कमेटी की ओर से कुछ उद्योग-धंधों के लिये सरकार से सिफारिश की गई है ?

श्री हुकुमसिंह---इस वक्त मालूम नहीं है ।

श्री बाबू नन्दन---कौन-कौन से और उद्योग धंधे प्रचलित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

श्री हुकुमसिंह---सूअर की ब्रीडिंग का भी प्रश्न है जैसा कि हमारे एक मित्र ने कहा था ।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---क्या सरकार समझती है कि बीड़ी भी उद्योग-धंधे में शामिल है ।

श्री हुकुमसिंह---बनाना शामिल है, पीना नहीं है ।

श्री नागेश्वर द्विवेदी---क्या माननीय मंत्री जी जौनपुर की मूली खपाने का प्रबन्ध करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह---उसी जिले में सब खप जाती है ।

फिजिकल कल्चर कार्य के लिये जिला बोर्डों को सहायता देने का आदेश

*६१---श्री प्रतिपाल सिंह (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सेक्रेटरी, फिजिकल कल्चर, यू०पी० के पत्र संख्या २०७५ सी० पी० सी०/१४-३-७२-५०, दिनांक २९-६-५० द्वारा जिला बोर्डों को यह आश्वासन दिया गया था कि सरकार प्रत्येक बोर्ड को फिजिकल कल्चर के कार्य के लिये उतनी सहायता देगी जितनी कि बोर्ड इसी कार्य के लिये अपने फन्ड से खर्च करेगी ?

श्री फूलसिंह---कोई आश्वासन नहीं दिया था पर केवल यह सूचित किया गया था कि किन किन बातों को ध्यान में रखते सहायता दी जायगी ।

*६२---श्री प्रतिपाल सिंह---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शाहजहांपुर जिला बोर्ड ने उक्त पत्र की शर्तों को पूरा किया ? यदि हां, तो उसे आवश्यक सहायता क्यों नहीं दी गई ?

श्री फूलसिंह---सरकार ने बाद में निश्चय किया कि ५०-५१ में कोई अनुदान न दिये जायं। अतः प्रश्न नहीं उठता ।

श्री प्रतिपाल सिंह---क्या सरकार कारण बताने की कृपा करेगी कि जिससे प्रेरित होकर सेक्रेटरी, फ़िज़ीकल कल्चर, यू०पी० ने सरकार के निश्चय से पूर्व इस प्रकार का सरकुलेशन करना जरूरी समझा ?

श्री फूलसिंह---धन की कमी की वजह से यह ग्रांट वापस ले ली गई थी ।

श्री प्रतिपाल सिंह---क्या जिला बोर्ड, शाजहांपुर यदि इस संबंध में पुनः प्रार्थनापत्र भेजे तो सरकार उस पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री फूलसिंह--जो पत्र यहां से गया था उसमें यह लिखा था कि वही बोर्ड एप्लाई करे जिन्होंने पिछले साल की रक़म ख़र्च कर दी है और १५ जुलाई से पहले दरख्वास्त आनी चाहिये। शाहजहांपुर जिला बोर्ड ने न तो पिछले साल का रुपया व्यय किया था और न नियत तिथि से पहले उनकी दरख्वास्त आई थी।

बुनकरों की तरक्की के लिये केन्द्रीय सरकार से सहायता

*६३--श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फ़ैजाबाद)--क्या उद्योग मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि इस वर्ष उद्योग विभाग को केन्द्रीय सरकार से बुनकरों की तरक्की के लिये कितनी सहायता प्राप्त हुई ?

श्री हुकुमसिंह--२०,२९,७८३ रुपया ग्रान्ट तथा १७,७१,८२५ रुपया ऋण के रूप में मिला।

*६४--श्री रामनारायण त्रिपाठी--उक्त सहायता को सरकार किस प्रकार उपयोग में ला रही है ?

श्री हुकुमसिंह--सरकार ने उक्त रुपये को खर्च करने की एक योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित मदों पर रुपया खर्च हो रहा है तथा आगे भी होगा --

ग्रान्ट

१--हैन्डलूम कपड़े की बिक्री पर रिबेट।
२--मोबायल वान्स।
३--सेल्स डिपो।
४--अन्तर्राजीय डिपो।
५--प्रचार तथा नुमायशें।
६--इम्प्रूव्ड एपलाइन्सेस।
७--छोटे रंगाई गृह।
८--प्रतियोगिताओं में इनाम।
९--संगठन करने वाला स्टाफ।
१०--क्वालिटी मार्किंग योजना।
११--मार्केटिंग संघटन।
१२--मध्य आकार के रंगाई गृह।
१३--फिनिशिंग फैक्टरी, मऊ।

ऋण

१--शेयर कैपिटल।
२--वर्किंग कैपिटल।
३--क्वालिटी मार्किंग योजना।
४--रेडी मेड वार्प्स की सप्लाई।
५--टेकनिकल स्टाफ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सब रुपया खर्च कर लिया गया है या कुछ बचा है ?

श्री हुकुमसिंह---अभी सब थोड़े ही खर्च होगा, अगले साल में भी खर्च होगा ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या माननीय मंत्री जी बुनकरों की ऐसी सोसाईटीज स्थापित करने की आवश्यकता समझते हैं कि जिससे आढ़तियों द्वारा बुनकरों का कपड़ा न दिलाकर उसका लेन-देन इन सोसाईटीज द्वारा हो सके ?

श्री हुकुमसिंह---उनके कपड़े की बिक्री की सुविधा भी हम करना चाहते हैं ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्रान्ट और लोन के रूप में विभिन्न मदों में कितना-कितना रुपया रखा गया है ?

श्री हुकुमसिंह---प्रश्न संख्या ६३ के जवाब में बताया गया है कि २० लाख रुपये की ग्रान्ट दी जाती है और १७ लाख रुपया लोन दिया जाता है विभिन्न मदों के लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---सरकार ऐसी कौन-सी व्यवस्था करने जा रही है जिससे कि बुनकरों के कपड़ों के लेन-देन की व्यवस्था ठीक हो सके ?

श्री हुकुमसिंह---इसके लिये सरकार सेल्स शाप्स खोलने जा रही है, उनके लिये मारकेट ढूंढ़ रही है, बाहर से आर्डर्स सिक्योर कर रही है तथा यू० पी० हैंडीक्राफ्ट के जरिये से बिक्री की कोशिश कर रही है ।

*६५---श्री बाबूनन्दन---[स्थगित किया गया ।]

*६६-६७---श्री श्रीचन्द---[स्थानान्तरित किये गये ।]

रविदास जयन्ती मनाने के लिए गजटेड छुट्टी की मांग

*६८---श्री रामकृष्ण जैसवार---क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रदेश के प्रायः प्रत्येक जिले में प्रति वर्ष हरिजनों द्वारा माघ पूर्णिमा के दिन महात्मा रविदास की जयन्ती मनायी जाती है और हरिजनों द्वारा प्रस्ताव पास करके महात्मा रविदास के जन्म-दिवस (माघ पूर्णिमा) पर सावजनिक छुट्टी (Gazetted Holiday) की मांग सरकार से की गई है ? यदि हां, तो सरकार ने उसकी क्या व्यवस्था की ?

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)---प्रश्न में बताई गई जानकारी कुछ हद तक सरकार को है । सरकार इसको जहां आवश्यक हो स्थानीय (लोकल) छुट्टियों में शामिल करने का विचार कर रही है ।

श्री रामकृष्ण जैसवार---माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया कि जानकारी कुछ हद तक है । जब सरकार के सामने महात्मा रविदास की जयंती की यह सार्वजनिक मांग है तो सरकार को गजटेड हालीडे करने में क्या आपत्ति है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---इसकी मांग की गयी है, यह तो मालूम है । लेकिन जहां तक छुट्टी की बात है हर जिले में लोकल ४ छुट्टियां रहती हैं, उनको इत्तला दी गयी है कि अगर हो सके तो किसी छुट्टी को कम करके जहां जरूरत हो वहां यह छुट्टी दे दी जाया करे ।

श्री रामकृष्ण जैसवार---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किन-किन महापुरुषों के जन्म-दिवस पर छुट्टी दी जाती है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---गांधी जी के जन्म-दिवस पर होती है, शायद गुरु नानक के जन्म-दिवस पर होती है, इसके अलावा कुछ और भी छुट्टी हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि प्रायः प्रत्येक जिले में महात्मा रविदास की जयन्ती मनायी जाती है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---मुझे इसका इल्म नहीं है कि हर एक जिले में मनायी जाती है या नहीं ।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है जिससे प्रत्येक सम्प्रदाय के महात्माओं के जन्म-दिवस को छुट्टी में शामिल कर दिया जावे ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---जहां तक महात्माओं की तादाद है वह तो हर शख्स अपनी बढ़ाता जाता है और बाज तो श्री झारखंडे राय जी को भी महात्मा कहने लगें तो कोई ताज्जुब नहीं है लिहाजा सब महात्माओं के लिये छुट्टी की जा सके तब तो काम करने का कोई दिन रहेगा ही नहीं। मगर जितनी छुट्टियां हैं उसके अन्दर अगर बदलाव करके कोई अच्छा तरीका निकल सके जिससे सबकी तमन्ना पूरी हो सके तो ज्यादा अच्छा है ।

बस्ती जिले की बांसी तहसील में वन विभाग को दी गई भूमि

*६९---श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती जिले की बांसी तहसील में किस-किस ग्राम की भूमि वन विभाग को दी गयी है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---एक सूची मेज पर रक्खी है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३१० पर।)

*७०---श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि ग्रामों की भूमि को वन विभाग को देने का सरकार ने क्या आधार बनाया है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---आधार यह था कि प्रत्येक गांव के जोत के क्षेत्रफल के कम से कम आधे के बराबर अकृष्ट भूमि गांव समाजों की सुपुर्दगी में छोड़कर शेष अकृष्ट भूमि यदि वह १०० एकड़ से अधिक हो, वन विभाग को सौंप दी जायगी ।

श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय---क्या मंत्री महोदय को ज्ञात है कि सूची में दिये हुए गांवों के अलावा बांसी तहसील के बर्डपुर नं० २, बर्डपुर नं० ३, बर्डपुर नं० ४, गायघाट, अलिदापुर, पल्टादेवी, सूरजकुंड़िया, जमुहवा और बजहा पर भी वन विभाग ने कब्जा कर लिया है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---इसके लिये तो अगर माननीय सदस्य ११ अक्टूबर, सन् १९५२ का गजट देखें तो उनको पता चल जायगा, क्योंकि अगर मैं सारे गजट को देखूं तब तो हाउस का बहुत ज्यादा समय लग जायेगा ।

बस्ती जिले के अभावग्रस्त क्षेत्र में कोआपरेटिव विभाग द्वारा वसूली

*७१---श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि बस्ती जिले के कोआपरेटिव विभाग में ऐसा कोई सरकारी आदेश गया है कि वहां जो विगत कई सालों से अभावग्रस्त तथा बाढ़पीड़ित क्षेत्र हैं वहां भी कोआपरेटिव विभाग की वसूली जारी रहे ?

सहकारिता उपमंत्री (श्री मंगला प्रसाद)--जुलाई सन् १९५२ के राजकीय आदेश द्वारा बस्ती जिला अभावग्रस्त तथा पीड़ित क्षेत्र घोषित हुआ था। जिसके फलस्वरूप १३५९ फस्ली की वसूली तथा पुराने बीज बकाये की वसूली १३६० फस्ली (खरीफ) तक स्थगित कर दी गयी थी और स्थगित बकाया पर तावान तथा सूद भी माफ कर देने का आदेश सरकार द्वारा जारी हुआ था। उक्त आदेश का पालन करने के लिये संबंधित अधिकारियों को सूचना दे दी थी।

इसके पश्चात् ९ दिसम्बर, १९५२ को संशोधित आदेश जारी हुए थे जिसके अनुसार १३६० फस्ली (खरीफ) की वसूली तथा इसके पहिले के बकाये की वसूली प्रारंभ हुयी।

जुलाई सन् १९५३ में सरकार ने एक और आदेश जारी किया जिसके द्वारा पहिले दी गयी रियायतों में कुछ परिवर्तन किये गये हैं और उसी के अनुसार इस जिले में बीज भंडार की वसूली हो रही है।

अतारांकित प्रश्न

बलिया जिले में विकास केन्द्र पर व्यय

१--श्री गेंदासिंह--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बलिया जिले के किस विकास केन्द्र पर कितने रुपये अब तक स्वीकृत किये गये हैं और किस मद पर कितने रुपये अब तक व्यय हुये हैं तथा क्या कार्य हुये हैं?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--बलिया जिले के रतनपुरा विकास केन्द्र में पहले पाइलट प्रोजेक्ट योजना कार्यान्वित की गयी जो फरवरी, १९५१ से अगस्त, १९५२ तक रही। तत्पश्चात् सितम्बर, १९५२ से सामुदायिक विकास योजना कार्य कर रही है। पाइलट प्रोजेक्ट की अवधि में ६९,६६७ रु० स्वीकृत किये गये और कुल व्यय ४१,०४४ रु० हुआ। सामुदायिक विकास योजना में प्रारंभ से लेकर ३१ मार्च, १९५४ तक कुल १०,९९,६६७ रु० ११ आना की धनराशि स्वीकृत है और ३१ अक्तूबर, १९५३ तक कुल व्यय ३,३८,०४४ रु० हुआ है। स्वीकृत तथा व्यय की गयी धनराशि का पूर्ण विवरण किये गये कार्यों के विवरण सहित माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत कर दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३११-३१३ पर।)

२--श्री गेंदा सिंह--जो रुपये बलिया जिले के विकास केन्द्र पर अब तक व्यय हुये हैं उनमें कितनी रकम सरकार ने दी है और कितनी रकम स्थानीय लोगों से चन्दे अथवा दान से प्राप्त हुई है?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--विकास केन्द्र रतनपुरा पर जो धनराशि ३१ अक्तूबर, १९५३ तक व्यय हुयी है, उसका विवरण प्रश्न ३ के उत्तर में दे दिया गया है। इस प्रश्न द्वारा माननीय मेम्बर सम्भवतः यह जानना चाहते हैं कि सरकार द्वारा जननिर्माण कार्यों के लिए कितनी सहायता दी गयी तथा कितनी धनराशि स्थानीय लोगों से जननिर्माण कार्यों के लिए प्राप्त हुयी। इसका एक विवरण माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत कर दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३१४-३१६ पर।)

गोरखपुर और लखनऊ के बीच ट्रेन में बम विस्फोट दुर्घटना से सम्बद्ध दो कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष--मेरे पास दो कामरोको प्रस्ताव आये हैं। एक श्री झारखंडे राय का है तथा दूसरा श्री नारायणदत्त तिवारी का है। विषय दोनों का एक ही है। कोई बम नौतनवा

[श्री अध्यक्ष]

(गोरखपुर) से लखनऊ लाया जा रहा था पुलिस द्वारा जांच के लिये। उसके फटने से ४० व्यक्ति मर चुके हैं और कुछ घायल हैं। यह खबर है कि एक डिब्बे में आग भी लगी। इसी दुर्घटना पर विचार करने के लिये यह कामरोको प्रस्ताव आया है। सूचना इतनी अस्पष्ट सी है और मालूम होता है शायद वह अखबारों से ही ली गयी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी अगर उनको कुछ बातें मालूम हों तो वह सदन को सूचित कर दें और तब मैं इस पर विचार करूंगा कि इस पर विचार करने का महत्व इस वक्त है या नहीं।

गृह मंत्री (डाक्टर संपूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, जो सूचना अखबारों में निकली है उसके अलावा ज्यादा सूचना तो मेरे पास भी अभी नहीं है। मुझे भी इतना ही मालूम है कि गेलिगनाइट स्टिक नाम का एक विस्फोटक पदार्थ होता है उसकी १५०० स्टिक नेपाल को जा रही थीं और जो पुलिस के हाथ लग गयी थीं और जिनको गलत डेसक्रिपशन देकर भेजा जा रहा था और पुलिस ने उनको रोक लिया था। वह रेल में पुलिस द्वारा ले जायी जा रही थीं और वह किसी वजह से एक्सप्लोड हो गयीं। इससे अधिक खबर मेरे पास भी नहीं है और शायद अभी १५-२० दिन तक पूरी सूचना मिल सकेगी। क्योंकि एक तरफ रेलवे अपनी तरफ से जांच करेगी और दूसरी तरफ पुलिस भी जांच करेगी। इसमें काफी समय लग जाता है और जांच के बाद ही पता चलता है कि किसका क़सूर है किसका नहीं है। तो मेरे पास न तो अभी इसकी सूचना है और न आगे दस बीस दिन तक हो सकती है। इसलिये जब तक रेलवे की और पुलिस की जांच खत्म नहीं हो जाती तब तक मैं कोई सूचना देने में असमर्थ हूं। अखबार में जो छपा है उसको मैंने भी पढ़ा है कि दो बार ट्रेन में बिजली फेल हो गयी और मालूम होता है कि बिजली की करेंट खराब होने से ही यह चीज हो गयी। ठीक बात का पता तो पुलिस और रेलवे की जांच के बाद ही चल सकता है। जिनका देहान्त हुआ उनके लिये हमें बहुत दुख है और उनके परिवार के लोगों के साथ हमारी सहानुभूति है। जिनको चोटें लगी हैं उनके साथ भी हमारी पूरी सहानुभूति है और हम उम्मेद करते हैं कि वे घायल शीघ्र ही अच्छे हो जायेंगे। इस समय मैं इससे ज्यादा और कुछ निवेदन करने में असमर्थ हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि हमारे प्रस्ताव में जो बात है वह पुलिस की असावधानी के बारे में है कि पुलिस ऐसे विस्फोटक पदार्थ को लेकर.....

श्री अध्यक्ष--आपने यह मालूमात कहां से प्राप्त कीं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--मालूमात तो.....मैंने विश्वस्त सूत्र से खबर हासिल की है।

श्री अध्यक्ष--आप कृपया बैठ जायं। वाकयात के सम्बन्ध में अभी कोई निश्चित मालूमात नहीं है और मैं समझता हूं कि अभी बहुत शीघ्रता होगी कि बिना मालूमात के सदन अपना कार्य स्थगित करके इस पर विचार करे। जब मालूमात ही अभी नहीं हैं, तो इस अनिश्चितता के कारण मैं उचित नहीं समझता कि इसके लिये अनुमति दूं कि यह प्रस्ताव सदन की अनुमति के लिये पेश किया जाय। इसलिये मैं इसको अनिश्चित तथा अवैध करार देता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या जब जांच पूरी हो जायगी और सरकार के पास पूरी सूचना आ जायेगी उस समय हमें इस पर विचार करने का मौका दिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष---उस वक्त जैसा मौका होगा, जैसा प्रस्ताव आयेगा उसको देखकर फैसला दिया जायगा लेकिन एक बात अवश्य है कि ऐसा प्रश्न जिसको सदन समझता है कि महत्वपूर्ण है उस पर सरकार को स्वयं ही अपना स्टेटमेंट देकर कुछ प्रकाश डालना चाहिये, मैं सुझाव की तरह यह कहता हूं । कामरोको प्रस्ताव ही फिर लाने की जरूरत नहीं होगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या सरकार जांच पूरी होने पर स्वयं कोई सूचना देगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जिस वक्त जांच पूरी हो जायगी उस वक्त जो कुछ सूचना मेरे पास होगी वह सदन के सामने रख दूंगा ।

विभिन्न समितियों के निर्वाचन के कार्यक्रम में परिवर्तन

श्री अध्यक्ष---एक सूचना मैं सदन को और देना चाहता हूं कि यहां पर जो समितियों का निर्वाचन होने वाला था उसमें प्राक्कलन समिति, वित्त समिति, सार्वजनिक लेखा समिति और मंत्रियों को परामर्श देने वाली समिति हैं। इनके लिये मैंने ६ तारीख मुकर्रर की थी नामिनेशन वगैरह के लिये लेकिन चूंकि अब सदन २ तारीख को उठने वाला है और दूसरी किसी तारीख से फिर बैठेगा इसलिये परिवर्तन करने की उसमें आवश्यकता पड़ी । वह परिवर्तन का कार्यक्रम यह रहेगा :---

(१) नाम निर्देशन पत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि २२ अप्रैल, १९५४ को १ बजे तक।

(२) नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा २३ अप्रैल, १९५४ को ३ बजे तक।

(३) नाम वापस लेने की अंतिम तिथि और समय २८ अप्रैल, १९५४ को ३ बजे तक।

(४) निर्वाचन की तिथि, समय और स्थान यदि आवश्यक हो तो बाद में सूचित कर दिया जायगा ।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी विधेयक, १९५३

श्री अध्यक्ष---मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी विधेयक, १९५३ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २ अप्रैल, १९५३ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २० अप्रैल, १९५३ की बैठक में पारित किया था। राष्ट्रपति की अनुमति ४ मार्च, १९५४ को प्राप्त हो गयी और वह १९५४ का उत्तर प्रदेश का पांचवां अधिनियम बन गया।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---मैं श्रीमन्, इस सम्बन्ध में एक सफाई चाहता हूं। श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि कोई भी अधिनियम, जैसी कि आपने अभी एक की घोषणा की है, तो क्या यह अधिनियम आज की तारीख से बना हुआ माना जायगा या जिस तारीख को राष्ट्रपति ने अनुमति दी उस तारीख से ?

श्री अध्यक्ष---४ तारीख को राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी उस तारीख से। यह तो मेरी सूचना सदन को है। इसलिये मेरा तो यह अन्दाज है लेकिन यह कानूनी प्रश्न है । इस विषय में मेरी अंतिम राय उतनी मान्य नहीं होगी जितनी कि अदालत की । जब कभी यह प्रश्न उठेगा तो फैसला उनका ही होगा । लेकिन मैं प्राइमाफेसी यह समझता हूं कि उस दिन से लागू होगी ।

श्री नारायण दत्त तिवारी---मैं इस सम्बन्ध में श्रीमन् एक बात और जानना चाहता हूं । श्रीमन् जब यह स्पष्ट नहीं है कि कोई भी अधिनियम कब बना हुआ माना जायगा---राष्ट्रपति की अनुमति मिलने की तिथि से अथवा उनकी अनुमति की घोषणा सदन में होने की तिथि से ?

श्री अध्यक्ष---मैंने तो यह घोषणा की है लेकिन अधिनियम या तो उस दिन से लागू होगा जिस दिन राष्ट्रपति की अनुमति मिली हो या अगर राष्ट्रपति ने अनुमति यह दे दी हो कि फलां तारीख से जो उस विधेयक में लिखी हुई है उस तिथि से लागू होगा तो उस रोज से लागू होगा ।

श्री नारायण दत्त तिवारी---तो उसमें कैसे संशोधन विधेयक आ सकता है जब तक वह लागू न हो । जैसे जोतों का चकबन्दी विधेयक के ऊपर एक संशोधन विधेयक प्रस्तावित हुआ । तो क्या ऐसे संशोधन पर विधेयक ला सकते हैं जब तक कि मूल विधेयक बना हुआ नहीं माना जाय ?

श्री अध्यक्ष---जब वह विधेयक संशोधन करने का उपस्थित था तब आपने यह आपत्ति नहीं उठायी थी । मैं इस घोषणा के समय इस बात की अनुमति नहीं दे सकता कि आप किसी दूसरे समय में कोई दूसरा प्रश्न उठा दें ।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---अभी तो वह शुरू नहीं हुआ है ।

श्री अध्यक्ष---तो जब वह शुरू हो उस समय यदि कोई आपत्ति हो तो उठा सकते हैं । इस समय यह नहीं आ सकता ।

नेता विरोधी दल की सुविधाओं के विधेयक, १९५४ को कार्य-क्रम में न रखने पर आपत्ति

श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---श्रीमन्, आज के एजेंडे को देखने से मालूम हुआ कि माननीय विरोधी दल के नेता की सुविधाओं का विधेयक, १९५४ इस पर नहीं है । इसका क्या कारण है और यदि आज नहीं हो सकता तो यदि बीच में असेम्बली प्रोरोग हो गयी तो फिर वह खत्म हो जायगा । इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उसके कारण की समीक्षा करें । हमारी ओर से तो कोई देर नहीं हुई है । मैं समझता हूं कि कोई अन्य ही कारण है जिसकी वजह से देर हुई है ।

श्री अध्यक्ष---वह विधेयक इस कारण नहीं आ सकता है कि अभी मेरे पास श्री राज्यपाल की सिफारिश नहीं पहुंची है कि वह पेश कर सकें । उसमें श्री राज्यपाल की सिफारिश की आवश्यकता है क्योंकि खर्च का सवाल है । इसका परिणाम अब यह होगा कि उसके लिए अब फिर से बैलेट की आवश्यकता नहीं होगी । अगर श्री राज्यपाल की सिफारिश और उनकी मंजूरी आ गयी तो फिर किसी असरकारी दिन कार्यक्रम में विधेयक रख दिया जायगा । लेकिन एक बात मैं अवश्य कह देना चाहता हूं कि सदन प्रोरोग होने से जो परिणाम होंगे उन परिणामों को मैं नहीं रोक सकता । अगर यह सदन जारी रहे तो बैलेट करने की जो आवश्यकता होती है वह आवश्यकता अब इस सम्बन्ध में नहीं होगी ।

पांडीचेरी और गोआ के संबंध में सहानुभूति का प्रस्ताव लाने का सुझाव

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---श्रीमन्, पांडीचेरी और गोआ के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव दिया गया था क्या उसके सम्बन्ध में आप कुछ बतायेंगे ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी अगर कुछ प्रकाश डालना चाहें तो डाल दें ।

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)---पांडीचेरी और गोआ के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव शायद दिया गया है लेकिन वह प्रस्ताव साधारणतया हमारा इस सदन का जो क्षेत्र है उससे कुछ आगे जाता है। जहां तक पांडीचेरी और गोआ से हमारी सबकी सहानुभूति का सम्बन्ध है और जो लोग पांडीचेरी और गोआ को भारत के साथ मिलाने की धारणा रखते हैं और उसके लिये यत्न कर रहे हैं उसमें कोई शंका नहीं हो सकती और हमारी उनके साथ पूरी सहानुभूति है। लेकिन उस प्रस्ताव को यहां पर फार्मल तरीके पर लाने की गुंजाइश है या नहीं या अगर लाया जाय तो किस ढंग से लाया जाय, उस पर हम विचार कर रहे हैं ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, साउथ अफरीका का जब स्ट्रगल (संघर्ष) चल रहा था, इस सदन ने प्रस्ताव पास किया था और अपनी शुभकामना भेजी थी । ऐसी चीज श्रीमन्, यह हाउस कर चुका है और उसी को मद्देनजर रखते हुये यह प्रस्ताव दिया गया था। वहां पर भारत में मिलाने के लिए जो स्ट्रगल चल रहा है वह बहुत ही शांतिपूर्ण स्ट्रगल है इसलिये वहां हमारी सहानुभूति और सद्भावना जानी चाहिये।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---हम सहानुभूति और सद्भावना प्रकट कर चुके सब की ओर से और वह चली जायगी, लेकिन उसके बारे में जाब्ते से कोई चीज यहां लायी जाय या नहीं, उस पर मैं विचार कर रहा हूं। अभी मैं भूला नहीं हूं कि साउथ अफरीका का प्रस्ताव आया था और उसको भी मैं समझता हूं कि मैंने चाहा था यहां और आज भी मेरे विचार इस सम्बन्ध में लोग समझ सकते हैं। यहां पर कोई राजनैतिक मतभेद नहीं है बल्कि सारे देश भर में सबकी एक धारणा और विचार है लेकिन जाब्ते से कोई चीज हो, क्योंकि एक स्थिति एक किस्म की होती है और दूसरी स्थिति दूसरे किस्म की होती है, उस पर विचार करना होता है।

पाक-अमरीकी सैनिक सहायता संधि के संबंध में प्रस्ताव लाने का सुझाव

श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी (जिला लखनऊ)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान जो पाकिस्तान और अमरीका का मिलिट्री पैक्ट हुआ है उसकी ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि उसके संबंध में यहां एक गैर सरकारी प्रस्ताव पेश करने की आज्ञा आप प्रदान करें, यदि माननीय मुख्य मंत्री जी भी उससे सहमत हों। यद्यपि यह प्रस्ताव बैलेट में नहीं आ सका क्योंकि इतना अवकाश नहीं मिला कि बैलेट में दिया जा सके। मैं समझता हूं कि अन्य विरोधी दल के नेता भी इससे सहमत होंगे और वे यह उचित समझेंगे कि इस प्रकार का प्रस्ताव सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया जाय। आपको नियमों के अनुसार अधिकार है कि आप गैर सरकारी बिलों में इस प्रकार की आज्ञा प्रदान करें और यदि सम्भव हो तो इसको प्राथमिकता दी जाय।

श्री अध्यक्ष---यह बैलट में तो अभी गया नहीं।

श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी---जी नहीं।

श्री अध्यक्ष---इसके लिये अगर सर्वसम्मति से कोई बात होती हो तो इस विषय पर आज तो शायद वक्त न मिले लेकिन कल के लिये विचार हो सकता है अगर माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर विचार कर लें, क्योंकि बगैर नोटिस के जब कोई प्रस्ताव आता है तो उस पर लीडर आफ दि हाउस का विचार लेना आवश्यक हो जाता है।

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)---जहां तक मेरा सम्बन्ध है मुझे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि आज और कल नानआफिशिल डेज हैं । कोई भी प्रस्ताव आ जाय, इसके बारे में तो सबकी नीति मालूम है । इसलिये मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---तो मैं समझता हूं कि वाजपेयी भी जरा इस प्रस्ताव को और लोगों को बतला दें और अगर सर्वसम्मति से पास होने वाली कोई चीज आती है तो मैं उसको इजाजत दे दूंगा ।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---श्रीमन्, वाजपेयी जी ने कल दो प्रस्ताव हमको इस सम्बन्ध में दिखाये थे । जहां तक पाक-अमरीकी संधि की बात है उसके बारे में हर व्यक्ति की राय, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा, सब को मालूम है । हमने उनको अपनी बात बतला दी थी कि हमको कोई आपत्ति नहीं है । हां, प्रस्ताव की भाषा ऐसी होनी चाहिये जिसमें किसी एक व्यक्ति विशेष की प्रशंसामात्र न हो बल्कि स्पष्ट नीति क्या होनी चाहिये, किस तरीके से हम अमरीका और पाकिस्तान की जो संधि है उसको खत्म करके एक प्रगतिशील विचार धारा रख सकते हैं और विश्वबन्धुत्व कायम रख सकते हैं, यह आना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि इसके ऊपर अगर कंट्रोवर्सी होने वाली है तो मैं इजाजत नहीं दूंगा । इसलिये अगर आप एक ऐसा प्रस्ताव बना करके मेरे सामने दे दें, जिसको सर्वसम्मति से सदन पास कर ले, तो बैलेट में रखने की आवश्यकता नहीं होगी । नहीं तो बैलेट में दूसरे नानआफिशियल डे को आ जायगा । माननीय वाजपेयी जी इस पर विचार कर लें और दोपहर या शाम तक, यदि संभव हो, तो प्रस्ताव दे दें ।

श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी---माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ी कृपा है आप की कि बिला बैलट के मुझे इस सदन में प्रस्ताव उपस्थित करने की आज्ञा देने की आपने तत्परता प्रकट की है । जहां तक प्रस्ताव का सम्बन्ध है उसके विषय के ऊपर किसी को आपत्ति नहीं है और सभी सदन के सम्मानित सदस्य, विरोधी दल के नेता और विरोधी दल के अन्य सदस्य इस बात से सहमत हैं कि इस सम्बन्ध में प्रस्ताव लाया जाय । परन्तु प्रस्ताव क्या हो, उसकी भाषा क्या हो, इसके सम्बन्ध में भले ही कुछ सदस्यों का मतभेद हो, पर उनको अपना संशोधन पेश करने का अधिकार रहेगा । जहां तक इस प्रस्ताव के उद्देश्य का सम्बन्ध है उससे इस सदन के सभी सदस्य सहमत हैं और मैं समझता हूं कि प्रस्ताव पेश करने की आज्ञा मुझे दी जाय । जिनको किसी प्रकार का संशोधन पेश करने की इच्छा होगी, वे अपना संशोधन पेश कर लेंगे और उस पर यह सदन विचार कर लेगा ।

श्री अध्यक्ष---मैंने इस बारे में फैसला दे दिया है । संशोधनों में अगर कोई शाब्दिक फर्क हो, तो कोई सवाल नहीं पैदा होता है । लेकिन अगर प्रस्ताव में कंट्रोवर्सी पैदा होने वाली है तो मैं इजाजत नहीं दूंगा क्योंकि इस विषय में मैं कुछ उसूल बनाये हुए हूं और ऐसे प्रश्न और भी उठ सकते हैं जब कि बार-बार नियमों को भंग करने की आवश्यकता पड़ सकती है । इसलिये पहले से मैं ऐसी प्रथा डाल देना चाहता हूं कि अगर किसी प्रश्न की नियमानुसार नोटिस नहीं आती है तो उसको सदन में सर्वसम्मति से ही आना चाहिये । ऐसी दशा में अगर आप विचार कर लें और मुझे ऐसा प्रस्ताव अगर भेज दें जो सर्वसम्मति से पास हो जाय, तो मैं उसके लिये इजाजत दे दूंगा ।

कार्यक्रम के विभिन्न विषयों के लिये समय विभाजन का सुझाव

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज के कार्यक्रम के सम्बन्ध में चाहूंगा कि अगर सदन चाहे तो समय का विभाजन कर दिया जाय । आज तीन प्रस्ताव ले लिये जायं । पहला संकल्प इस वक्त ले लिया जाय और दो संकल्प उस वक्त ले लिये जायं और दोनों के लिये बराबर समय दे दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---आज तीन प्रस्ताव आप चाहते हैं ?

श्री व्रजभूषण मिश्र--जी हां।

श्री अध्यक्ष--यह आप नहीं कर सकते हैं। जितना कार्यक्रम आया है वह आज क लिये है। अगर समय बांटना है तो सब के लिये बांटना चाहिये। आज का विषय दूसरे दिन के लिये जारी रहे या न रहे यह सदन में विवाद समाप्त होने पर निश्चय हो सकता है। लेकिन अभी से आप यह तय नहीं कर सकते हैं कि आज का कोई संकल्प कल के लिये रक्खा जाय।

श्री व्रजभूषण मिश्र--अगर यह संभव नहीं है तो मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

समस्त राज्य में हाई स्कूल तक की शिक्षा निःशुल्क करने का प्रयत्न

श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत कर रहा हूं कि इस विधान सभा का यह निश्चित मत है कि समस्त राज्य में हाई स्कूल तक की शिक्षा निःशुल्क कर दी जाय। श्रीमान्जी, मैं इन सब बातों पर विचार कर के कि आर्थिक दशा कुछ ऐसी है जिससे इसमें कठिनाई उत्पन्न हो सकती है, इस प्रस्ताव को रखा है क्योंकि हमें भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से इस बात के लिये संकेत मिलता है कि १४ वर्ष की आयु तक के बालकों के लिये बिना मूल्य और बाध्य अनिवार्य शिक्षा दी जायगी। भारत के संविधान की धारा ४४ में स्पष्ट है कि राज्य इस संविधान के प्रारम्भ से १० वर्ष की कालावधि के भीतर सब बालकों को १४ वर्ष की अवस्था समाप्त तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिये उपबन्ध करने का प्रयास करेगा। इन सब बातों पर विचार कर के मैं यह समझता हूं कि इस पवित्र कार्य के लिये अग्रसर होना परमावश्यक है और आर्थिक दृष्टि से विचार करने से तो यह होता है कि हमारे बहुत से कार्य ऐसे हैं जिनका पता नहीं कब सामने आ सकें। उदाहरण के रूप में हमारे यहां मद्य-निषेध का प्रश्न है। उसके ऊपर जब बात होती है तब यह कहा जाता है कि ठीक है, अच्छी चीज है परन्तु आर्थिक कठिनाई के कारण वह समस्त प्रदेश में लागू नहीं किया जाता है। इसी प्रकार से निःशुल्क शिक्षा के सम्बन्ध में भी यह प्रश्न बना रहेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रायः जो हमारे बजट बनते हैं वे घाटे के ही होते हैं और न जाने कब ऐसी दशा होगी जब हमारे प्रदेश के बजट घाटे के न बन कर मुनाफ़े के बनें। इसको देखते हुये हमें यह संभव नहीं प्रतीत हो रहा है कि यह शिक्षा का जो एक बड़ा पुनीत कार्य है वह कभी कार्यरूप में भी परिणत हो सकेगा। इसलिये इन सब बातों पर विचार करके और साथ ही साथ इस बात को भी मानते हुये कि शिक्षा का कोई मूल्य नहीं होना चाहिये, विद्या की अपार महिमा है हमें इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिये।

विद्या के सम्बन्ध में प्राचीन काल से हमें यह बतलाया जाता है कि यह ऐसा धन है जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती है, सब धनों में श्रेष्ठ है। फिर उस धन को प्राप्त करने के लिये पैसा लगाया जाय इससे यह प्रश्न और जटिल होता है। इससे हमारे यहां विद्या की जो महिमा है वह कम हो जाती है। विद्या के सम्बन्ध में मैं अधिक निवेदन कर के समय इसलिये नहीं लेना चाहता हूं कि इस बात से सभी माननीय सदस्य सहमत होंगे कि विद्या की अपार महिमा है और पैसा लगा कर उसे प्राप्त करने से उसकी महिमा घट जाती है। हमारा उद्देश्य उच्च होना चाहिये। शिक्षा भिक्षा के लिये नहीं है, भिक्षा भले ही शिक्षा के लिये हो। शिक्षा वास्तव में मानवता प्रदान करने के लिये है। हमारे यहां उसके उदाहरण मिलते हैं। हमारे यहां जिस समय गुरुकुलों की स्थापना हुई थी श्री स्वामी दर्शनानन्द जी ने इस उद्देश्य को ले कर कि शिक्षा निःशुल्क कर दी जाय ज्वालापुर में एक विद्यालय की स्थापना की। इस दिशा में और भी विद्यालय स्थापित हुये हैं। इसके साथ ही साथ जब वर्तमान बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिये पैसे को खर्च करेंगे तो आगे चल कर उनकी यही भावना होगी कि जो पैसा उन्होंने खर्च किया है उसकी प्राप्ति की जाय। जिस प्रकार से आज शिक्षा का उद्देश्य पैसा प्राप्त करना रह गया है और पढ़े-लिखे लोगों के सामने केवल नौकरी पाने का ही प्रश्न रह गया है, इस प्रकार से पैसा प्राप्त करने का ही प्रश्न रह गया है। उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने में पैसा व्यय किया है इसलिये उन्होंने

[श्री रणंजय सिंह]

बचपन से ही सीखा है कि पैसा लगाने से ही विद्या प्राप्त हुई है और पैसा प्राप्त करन के लिये ही वह पढ़े हैं। यदि इस प्रकार से पैसा पैदा करने के लिये पढ़ें तो इसका परिणाम यह होगा कि पैसा कहां तक मिलेगा और नौकरी भी कहां तक मिलेगी और हमारे देश में बेकारी बढ़ जायगी।

इस प्रकार से मैं यह देखता हूं कि गत वर्ष जब-जब अध्यापकों के वेतन बढ़ाने का प्रश्न सदन के सामने आया था, तो मैंने देखाकि कई माननीय सदस्यों ने बहुत ही सुन्दर शब्दों में समझाया कि प्राचीन काल में ऋषि मुनि शिक्षा देते थे तो वह पैसा कहां से लेते थे, जो हमारे अध्यापकगण शिक्षा के सम्बन्ध में हड़ताल कर रहे हैं। मैं उस समय भी सोच रहा था कि यदि अध्यापकों को शिक्षा दी जाती है कि वे ऋषि मुनियों का अनुकरण करें तो फिर हमको भी प्राचीन काल की शिक्षा का अनुकरण करना चाहिए। जैसे प्राचीन काल में गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी, सदाचार का पाठ पढाया जाता था और पैसा पैदा करने के लिये स्कूल तथा पाठशालायें नहीं खुलती थीं अपितु विद्या प्रदान करने के लिये, एक अच्छा व्यक्ति उत्पन्न करने के लिये यह कार्य किया जाता था। आज वह सेवाभाव नहीं है, निस्स्वार्थ सेवा भाव नहीं है अपितु पैसा पैदा करने के लिये आज कल शिक्षा दी जाती है। इसका कारण यह है कि बचपन से पैसा पैदा करने का प्रश्न उनके सामने आता है।

इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी बातें हैं जैसे आज कल लोगों की ऐसी मनोवृत्ति हो गयी है कि वह अवस्था कम लिखाते हैं। कम से कम दो वर्ष तो कम अवस्था लिखायेंगे ही जिससे पेंशन मिलने में सुविधा हो। जैसा इसमें है कि १४वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा हो और जब दो वर्ष कम लिखाई जायगी तो वह १६ वर्ष का होगा। इसलिये मैंने सोच विचार कर रखा है कि १४ वर्ष की अवस्था में बालक कहां तक पहुंच सकता है। इसलिये मैंने लिखा है कि हाई स्कूल या जूनियर हाई स्कूल तक शिक्षा प्राप्त कर सके। इसलिये मैंने हाई स्कूल तक निःशुल्क शिक्षा का प्रस्ताव रखा है जिससे बालक बिना मूल्य शिक्षा प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें।

कभी-कभी हमारे यहां उदाहरण दिये जाते हैं और वह उदाहरण ऐसे दिये जाते हैं जो हमारे यहां के नहीं होते बल्कि वह विदेशों के होते हैं और कहा जाता है कि उस देश में शिक्षा का ऐसा प्रबन्ध है। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे सामने उन देशों का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिये जो सब से अच्छे आदर्श के हों। विदेशों में एक देश स्वीडन है। वहां विश्वविद्यालय तक में सबको शिक्षा निःशुल्क दी जाती है। मैं इस देश को अत्यन्त उत्तम मानता हूं क्योंकि पाश्चात्य देशों में महायुद्ध हुआ लेकिन स्वीडन उससे बचा रहा। वहां बहुत सी अच्छी-अच्छी बातें हैं। इसलिये हमें वहां का अनुकरण करना चाहिये जहां अर्द्ध रात्रि में सूर्य चमकता है। इसका उदाहरण ले कर यदि हम चलें तो ठीक है अन्यथा हमारा देश सारे संसार का गुरू रहा है। वह किसी के पीछे चले ऐसी बात नहीं है। हम सब के गुरू रहे हैं। हमें अपने पुराने ग्रन्थों को देखना चाहिये, अपने प्राचीन इतिहास को देखना चाहिये। इससे हमें मालूम होगा कि हमारे यहां कितनी बड़ी बातें रही होंगी।

इस प्रकार मैं समझता हूं कि प्राचीन काल में जो बातें हमारे यहां थीं बहुत ही अच्छी थीं। हमारे यहां के बड़े-बड़े राजे महाराजे अपने बच्चों को शिक्षा के लिये गुरुकुलों में किस प्रकार भेजते थे। हम जब इस बात को मान कर चलें तभी हमारे अध्यापक भी ऋषि मुनियों की तरह हो सकते हैं। हमारे रामचन्द्र जी के पुत्र लव और कुश ऋषियों के आश्रम में जा कर शिक्षा प्राप्त किया करते थे और उनसे किसी से शुल्क नहीं लिया जाता था विद्या प्राप्त करने के पश्चात् जब बालक पढ़ लिख कर निकलता था तो वह अपनी इच्छानुसार गुरु दक्षिणा दिया करता था। लेकिन आज का प्रश्न यह है कि पैसा दे कर पढ़ना है और पढ़ कर पैसा प्राप्त करना है। यही चीज रह गयी और इससे हमारे देश के जीवन को बहुत बड़ा धक्का पहुंचता है। हमारे उच्च उद्देश्य मिट्टी में मिलते चले जा रहे हैं और बेकारों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और आज बहुत सी बातें इसी कारण गड़बड़ी की हैं कि जो हमारे यहां प्राचीन आदर्श थे हम उनको न लेकर पाश्चात्य आदर्श

को लेकर चले और हमारे देश में जो विदेशी शासकों ने प्रणाली स्थापित कर दी हम उसी पर चलते चले गये। माना कि शिक्षा में सुधार हो रहा है और किया जायगा और सुधार आवश्यक है, परन्तु साथ ही साथ कम से कम इन हाई स्कूल तक के बच्चों के लिये, १४ वर्ष तक की अवस्था के बालकों के लिये शिक्षा निःशुल्क कर दी जायगी तो इसमें कोई संदेह नहीं कि उससे बड़ी सुविधा होगी। वह यह समझेंगे कि हम न पैसा दे कर पढ़ते हैं और न पैसे के लिये पढ़ते हैं, बल्कि मानव, मनुष्य, बनने के लिये पढ़ते हैं। इसलिये उनके सामने उच्च आदर्श होगा और देश का कल्याण होगा। इसका फल यह होगा कि जितनी बातें होती हैं उन सब में सुधार हो जायगा और आगे चल कर उनके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि जो राष्ट्र के लिये बड़ा अच्छा सिद्ध होगा।

एक विशेष बात और ध्यान में आ गयी, वह मैं कहूंगा और मैं इतना ही निवेदन करता हूं कि जो हमारे उद्देश्य हैं भारत के संविधान के अनुसार कि शिक्षा निःशुल्क कर दी जाय, उसको चलाने के लिये बहुत से उपाय हो सकते हैं। उनको काम में लाया जाय। एक बात और मेरी समझ में आ गयी कि बालकों से श्रमदान की बात होती है। प्रारंभिक पाठशालाओं में सड़क या बाटिका बनाने के लिये बालकों को श्रमदान की बातें सिखलाई जाती हैं। मैं इसको बहुत उचित और अच्छा समझता हूं। उस कार्य के लिये उनको कोई पैसा नहीं दिया जाता और काम लिया जाता है। यह इसलिये किया जाता है कि राष्ट्र के हित के लिये यह बड़ा उपयोगी कार्य है। जब श्रमदान जैसा कार्य बालकों से लिया जाता है तो कृपा कर के उनके लिये निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध और कर दिया जाय तो इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। और अन्य उपायों से धनोपार्जन किया जाय और उनका प्रबन्ध किया जाय। इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव को प्रस्तुत कर रहा हूं और मुझे आशा है कि सदन इस पर विचार करेगा और निष्पक्षरूप से मेरे इस उद्देश्य को समझ कर और प्राचीन गौरव को मानते हुये, शिक्षा के महत्व को समझते हुये वह निःशुल्क शिक्षा के लिये अपनी सम्मति देगा और स्वीकार करेगा।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से श्री रणंजय सिंह जी के प्रस्ताव में निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं—

> संकल्प की पंक्ति १ में "निश्चित मत है कि" और शब्द "समस्त राज्य" के बीच में शब्द "जैसे ही राज्य सरकार के पास धन तथा दूसरे साधन उपलब्ध हों तो" जोड़ दिये जायं।

अध्यक्ष महोदय, जो उद्देश्य श्री रणंजय सिंह जी का है, मैं समझता हूं कि इस सदन में और इस सदन के बाहर कोई इससे असहमत न होगा। हर इन्सान यह चाहता है कि अधिक से अधिक शिक्षा निःशुल्क और बिना किसी पैसे के और क़ीमत लगाये हुये मिल जाय। तो जो कुछ श्री रणंजय सिंह जी ने कहा, मैं समझता हूं कि जहां तक उसका उद्देश्य है, मन्तव्य है उसमें दो राय नहीं हो सकतीं। किन्तु देखना यह है कि जो कुछ वह चाहते हैं वह हमारी सोसाइटी और हमारे प्रदेश की परिस्थितियों के अनुसार इस समय सम्भव भी है या नहीं। कोई प्रस्ताव कर दिया जाय और वह प्रस्ताव आगे चल कर कार्यान्वित न हो सके तो मैं समझता हूं कि ऐसे प्रस्ताव को सदन के सामने लाना अवांछनीय है। देखना यह है कि जो प्रस्ताव आप कर रहे हैं कि हाई स्कूल तक की शिक्षा निःशुल्क कर दी जाय, वह किसी तरह से मुमकिन भी है कि नहीं। हाई स्कूल तक की शिक्षा को निःशुल्क करने के माने यह हैं कि प्राइमरी स्टेज की और जूनियर हाई स्कूल स्टेज की शिक्षा को भी आप को निःशुल्क करना पड़ेगा। जब तक कि नीचे की स्टेजेज की शिक्षा को आप निःशुल्क नहीं करते तब तक हाई स्कूल की शिक्षा भी बिना फीस के आप नहीं कर सकते। इसके साथ ही साथ जहां पर मौजूदा आप के स्कूल बने हुये हैं या जितनी सुविधायें आप ने इस समय अपने प्रान्त में शिक्षा के लिये दी हुई हैं उन्हीं से आप का काम नहीं चल सकेगा। मैं समझता हूं जब कि सरकार ने यह तय कर दिया

[श्री बलवन्त सिंह]

कि शिक्षा हमारे प्रान्त में निःशुल्क होगी तो हर एक नागरिक को और हर एक बालक को यह पूर्ण अधिकार हो जाता है कि वह ऐसे साधन सरकार से मांगे कि मुझे आप निःशुल्क शिक्षा या बिना फीस की शिक्षा देने के साधन भी उपलब्ध कीजियेगा। अब इस समय हमारे प्रान्त में ऐसी परिस्थिति है कि कहीं-कहीं पर तो चार-चार और तीन-तीन मील के फासले पर हमारे प्राइमरी स्कूल बने हुये हैं। तो जब कि आप ने निःशुल्क शिक्षा हमारे प्रान्त में कर दी तो क्या उस दूर बसे हुये गांव के बालक का यह अधिकार नहीं है कि वह भी सरकार से यह कहे कि मेरे पास ही आप स्कूल को लाइयेगा। या दूसरी बात मैं यह कहता हूं, यह तो मैंने प्राइमरी की बात कही, इससे आगे अगर आप बढ़कर देखें तो हमारे यहां जो जूनियर हाई स्कूल हैं वह चार पांच मील के फासले पर हैं और अगर हाई स्कूलों के लोकेशन को आप देखें तो आप इस नतीजे पर आइयेगा कि हाई स्कूल को तो दस-दस और बारह-बारह मील के फासले पर भी केवल उन अच्छे जिलों में हैं जहां पर कि लोग शिक्षा को अपने हाथ से चला रहे हैं। मैं मुजफ्फरनगर और मेरठ की बात को जानता हूं। मुजफ्फरनगर और मेरठ में बहुत से इलाके ऐसे हैं कि जहां गांवों से बारह-बारह, चौदह-चौदह और पन्द्रह-पन्द्रह मील के फासले पर हाई स्कूल हैं।

तो मैं आप से पूछना चाहता हूं कि अगर आप इस बात को निश्चित कर देते हैं कि कोई फीस प्राइमरी, जूनियर हाई स्कूल या हाई स्कूल में नहीं ली जायगी तो क्या उस बच्चे से जो कि १२-१२ और १५-१५ मील के फासले पर बसा हुआ है उससे आप यह कहेंगे कि शिक्षा तो निःशुल्क होगी मगर तुमको आना पड़ेगा। अमुक स्थान पर और बोर्डिंग में रहना पड़ेगा और ३० रुपया, ४० रुपया या ५० रुपया माहवार खर्च करना पड़ेगा ? तो वह ५० रुपया कैसे खर्च कर पायेगा ? आप ५ रु० की फीस तो माफ करना चाहते हैं और उससे ५० रुपया खर्च कराना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव जो माननीय रणंजय सिंह जी की तरफ से रखा गया है यह ऐसा प्रस्ताव है जिसका इस दशा में जिसमें कि उन्होंने रखा है, कार्यान्वित होना बहुत कठिन है और इसलिये मैंने उसमें यह संशोधन जोड़ने की कोशिश की है कि जिस समय सरकार की ऐसी परिस्थिति हो कि उसके पास साधन उपलब्ध हों, उसके पास इतना धन हो कि वह अपने प्रान्त में निःशुल्क शिक्षा कर सके तो मैं समझता हूं कि हमारे प्रान्त की सरकार भी ऐसी नहीं है कि जब उसके पास पैसा हो जायगा तो वह अपने प्रान्त में शिक्षा निःशुल्क नहीं करेगी। अब हम जानते हैं कि हमारे यहां इस समय में नौ करोड़ के करीब रुपया शिक्षा के ऊपर खर्च हो रहा है और हमारे प्रान्त की सरकार इस बात की कोशिश कर रही है कि अधिक से अधिक संख्या में स्कूल बनाये जायं और अधिक से अधिक सुविधायें जहां तक कि लिखने-पढ़ने का सवाल है, उसमें प्रान्त के बालकों को दी जायं। लेकिन अगर आप अपने प्रान्त की सरकार को बांध देते हैं कि वह हाई स्कूल तक की शिक्षा को निःशुल्क कर दे तो इसका इम्प्लीकेशन जहां तक कि धन का सवाल है कितना बढ़ जायगा और आप तो यह खुद समझते हैं कि यह रुपया आयेगा कहां से ? मान लीजिएगा कि हमने यह तय कर दिया और प्रान्तीय सरकार को इस बात का आदेश दे दिया कि शिक्षा निःशुल्क की जाय। हाई स्कूल तक तो सवाल यह पैदा होगा कि यह धन जो कि निःशुल्क शिक्षा के लिए चाहिए वह कहां से आये, इसके लिए हमें फिर टैक्सेशन के लिए जाना पड़ेगा। टैक्स लगाने का तात्पर्य यह होगा कि कितनी और असुविधाएं हमारी बढ़ जायंगी। यह तो हम खुद ही समझते हैं कि हमारे प्रान्त की जनता इस समय जितना टैक्सेशन है, उससे काफी फेडअप है, और मैं समझता हूं कि अब हमारे यहां गुंजाइश नहीं है कि और ज्यादा टैक्स लगा दिया जाय। तो इस प्रस्ताव को देखते हुए अगर हम यह निश्चय कर दें कि हमारे यहां निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए तो मैं समझता हूं कि हमारे प्रान्त के ऊपर इतना बड़ा बोझा पड़ जायगा जिसको हम बरदाश्त नहीं कर सकेंगे। क्योंकि निःशुल्क शिक्षा के मानी यह हैं कि बहुत से स्कूल बनाने पड़ेंगे, बिल्डिंग्ज बनानी पड़ेंगी, शिक्षक अधिक संख्या में रखने पड़ेंगे और इसके साथ-साथ जो आपकी आमदनी हुआ करती थी, वह नहीं होगी।

मैं अपने मित्र महोदय को बतला देना चाहता हूं कि आजकल जितने एडेड स्कूल हैं, यह ऐसे स्कूल हैं जिनको सरकार इस समय एड भी नहीं दे रही है। मैं अपने जिले की बात जानता हूं। हमारे जिले में कितने ही हाई स्कूल ऐसे हैं, जिनको सरकार की ओर से कतई कोई एड नहीं मिल रही है, जब कि उनको चले हुए कई-कई साल हो चुके हैं। वहां का मैनेजमेंट कितनी कठिनाई महसूस कर रहा है, जिन लोगों का उनसे सम्बन्ध है, वही जानते हैं। माननीय मन्त्री जी इत्तफाक से चले गये। मैं उनको बतला देना चाहता था कि वहां पर जो शिक्षक हैं, उनसे एक-एक या दो-दो महीने की तनख्वाह मांगी जाती है तब स्कूल चल पाते हैं। यह आप समझियेगा कि यदि आपने यह भी उन स्कूलों पर प्रतिबन्ध लगा दिया कि आप फीस नहीं ले सकेंगे, तो मेरा तो पूरा ख्याल है कि सिवा उन स्कूलों के, जो सरकारी हाई स्कूल हैं, जिले भर में या प्रान्त भर में जितने स्कूल चल रहे हैं, वह सब के सब एकदम से बन्द कर देने पड़ेंगे। जरा इस इम्पलीकेशन को आप समझियेगा। पहले आप को नीचे से शुरू करना पड़ेगा। पहले प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क करनी पड़ेगी। फिर जूनियर हाई स्कूल की शिक्षा निःशुल्क करनी पड़ेगी, तब जा कर कहीं हाई स्कूल में निःशुल्क शिक्षा हो सकेगी। मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव को पास कर देने के बाद हाई स्कूल की शिक्षा निःशुल्क हो, एक तरीके से मैं यह समझता हूं कि लोगों को आप मजबूर कर रहे हैं कि वह अपने बच्चों को शिक्षा देना ही बिलकुल बन्द कर दें, क्योंकि जब शिक्षा संस्थायें नहीं होंगी तो बच्चों को शिक्षा दें कहां से ? जैसा कि मैंने कहा आजकल की शिक्षा संस्थाएं बिना फीस के चल नहीं सकती हैं। प्रान्त में जरा आंकड़े लीजियेगा कि कितने ऐसे स्कूल हैं, जिनको बोर्ड से मान्यता तो प्राप्त है, किन्तु एक पैसा आपकी सरकार नहीं दे रही है। तो मैं कह सकता हूं कि बिना फीस लिये हुए जो सरकारी हाई स्कूल हैं, केवल वही चल सकेंगे और दूसरे प्राइमरी जूनियर और हाई स्कूल किसी प्रकार चल ही नहीं सकते हैं।

क्या आपको यह मालूम नहीं है कि आपके डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड जिन जूनियर हाई स्कूल्स को चला रहे हैं, प्राइमरी स्कूल्स को चला रहे हैं, उनकी दशा कैसी है ? अभी थोड़े दिनों की बात है जब वे अपने जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूलों के टीचर्स की तनख्वाहें नहीं दे सके तो हमने उनकी मदद की, जिससे वे अपने टीचर्स को पेअप कर सकें। इसलिए मैं समझता हूं कि अगर इस प्रस्ताव में मेरा अमेंडमेंट मंजूर कर लिया जाता है तो शायद यह चालू भी हो सके, वर्ना जो प्रस्ताव आपका है, इसके मानी यह हैं कि आप अपने प्रान्त की एकानामी को अस्त-व्यस्त करना चाहते हैं। प्रस्ताव तो आपका पास हो जायगा, लेकिन सरकार उसे चालू नहीं कर सकेगी। या तो सरकार को इस्तीफा देना होगा या आपका प्रस्ताव किसी प्रकार से भी नहीं चल पायेगा। तो उसके अन्दर यह अमेंडमेंट, जो मैंने पेश किया है, अवश्य रक्खा जाय।

श्री रणंजय सिंह---मैं यह निवेदन कर दूं कि मेरा अभिप्राय हाई स्कूल से जूनियर सेकेंडरी हाई स्कूलों से ही है, जो कि आठवें दर्जे तक हैं न कि हायर सेकेन्डरी स्कूलों से।

श्री अध्यक्ष---आप उनका संशोधन मंजूर कर लीजियेगा तब वह ठीक हो जायगा।

श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय रणञ्जय सिंह के संकल्प में नीचे लिखा संशोधन पेश करना चाहता हूं---

> संकल्प की पंक्ति १ में शब्द "हाई स्कूल" के स्थान पर "जूनियर हाई स्कूल" शब्द रख दिये जायं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई सन्देह नहीं कि जो यह प्रस्ताव आया है, यह हमारे देश के लिए बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है। हमारे देश में ही नहीं दुनिया के किसी भी देश में जहां तक शिक्षा का प्रश्न है यह निःशुल्क हुआ करती थी। हमारे देश में ऊंची से ऊंची संस्कृत शिक्षा प्राचीन काल से आज तक निःशुल्क ही दी जाती है। इसी तरह से मैं जहां तक जानता हूं, अरबी और फारसी के जो मक्तब हैं, उनमें भी निःशुल्क ही शिक्षा दी जाती है।

[श्री नागेश्वर द्विवेदी]

जब से अंग्रेजी सरकार का प्रभुत्व हुआ और अंग्रेजी का प्रचार हुआ, तब से हमारी शिक्षा में सम्भवतः शुल्क का प्रचलन हुआ। वास्तव में शिक्षा ऐसी वस्तु है जिसको क्रय-विक्रय की वस्तु नहीं बना लेना है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य को नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है, मनुष्य का वास्तविक विकास किया जाता है,लेकिन इसमें कुछ शुल्क का प्रतिबन्ध लगाने से रुकावट पैदा हो जाती है उन लोगों के लिए जिनके पास पैसा नहीं है। इसी कारण आज समाज में गरीबों और अमीरों में अन्तर पड़ गया है और जिनके पास पैसे हैं वे तो शुल्क देकर ऊंची से ऊंची शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, वह चाहे कितना ही कुशाग्र बुद्धि हो और कितना भी समय देकर आगे शिक्षा प्राप्त करना चाहे, और आगे बढ़ना चाहे उसके मार्ग में बाधा होती है। मैं मानता हूं कि सरकार की तरफ से कहा जा सकता है कि हम ऐसे कुशाग्र बुद्धि के छात्रों को कुछ वजीफा देकर इस बात का अवसर देते हैं कि वे आगे बढ़ें लेकिन यह वजीफा कितने आदमियों को दिया जा सकता है और इसका लाभ कितने आदमी उठा सकते हैं। ऐसी हालत में यह मांग कि चाहे किसी प्रकार की शिक्षा हो, वह निःशुल्क हो, उचित प्रतीत होती है। इसके लिए हमारे संविधान में व्यवस्था भी की गयी है कि माध्यमिक स्कूल तक की शिक्षा निःशुल्क होगी। लेकिन आज जो परिस्थिति है, जैसा कि अभी माननीय बलवन्त सिंह जी ने कहा कि हमारे प्रान्त में शिक्षा पर लगभग ९ करोड़ रुपया खर्च होता है। अगर सम्पूर्ण शिक्षा निःशुल्क कर दी जायगी, तो ९ करोड़ का भार. जिसका बहुत कुछ हिस्सा शुल्क द्वारा प्राप्त होता है, बहुत बढ़ जायगा और इस प्रकार से सरकार के लिए इस भार को उठाना मुश्किल हो जायगा। इसी-लिए मैंने यह चाहा कि पूरा-पूरा भार न उठाया जाय। इस दिशा में थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ने के लिए इस प्रकार से क्रम रखा जाय कि माध्यमिक शिक्षा से शुरू करें और फिर उस प्रकार से बढ़ते जायं, जिस प्रकार से प्रान्त की आर्थिक शक्ति को देखते हुए शक्ति के अनुसार बढ़ सकें, और इस प्रकार आगे चल कर सारी शिक्षा को निःशुल्क कर सकते हैं। इसमें शक नहीं है कि आज जो शिक्षा पर इतना बड़ा भार पड़ा हुआ है, उसका प्रमुख कारण ऊंचे-ऊंचे वेतन और पढ़ाई की वर्तमान व्यवस्था है। बड़े-बड़े नगरों के आस-पास, बड़े-बड़े कालेज यूनिवर्सिटी बना देना और उनके लिये बड़ी-बड़ी इमारतें बना कर सब से अधिक पैसा खर्च कर देना, फर्नीचर पर काफी व्यय करना वगैरह ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से शिक्षा का भार और भी बढ़ जाता है। अगर हम इस दिशा में बढ़ना चाहते हैं, और शिक्षा को निःशुल्क करना चाहते हैं, तो ऐसी हालत में हमें इस गन्दे वातावरण से इन शिक्षालयों को, इन विद्यालयों को हटा कर ऐसी जगह रखना पड़ेगा जहां का वातावरण शान्त, सुन्दर और शुद्ध हो और जिस वातावरण में स्वयं मनुष्य ऊंचे उठने और आगे बढ़ने की शिक्षा प्राप्त कर सके। आज हमारी शिक्षा के क्षेत्र में सब से ज्यादा कठिनाई यह होती है कि स्कूल, कालेज, विद्यालय और यूनिवर्सिटीज शहरों के आसपास हो, जहां पर सड़कें, रेल या और ऐसी ही चीजों की सुविधा होती हैं, वहीं पर बनाने को सोचते हैं, और ऐसी जगह पर ही अधिकांशतः शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। अगर इस बात को ही दृष्टि में रख कर आगे काम किया तो आर्थिक कठिनाई तो पड़ेगी ही, काम चलाना भी मुश्किल हो जायगा। इसलिए हमको इस क्षेत्र में बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार करना है और बहुत सोचसमझ कर कदम उठाना होगा।

इसीलिए मैंने यह सुझाव दिया है कि पहले माध्यमिक शिक्षा तक निःशुल्क कर दिया जाय। इसके लिए एक वातावरण भी पैदा होने जा रहा है। इस प्रांत में माध्यमिक विद्यालयों में इसी जुलाई से बहुत कुछ शिक्षा का कार्य खेती द्वारा प्रारम्भ किया जायगा। खेती के द्वारा काम शुरू होता है, और अध्यापक तथा छात्र मिल कर वास्तव में खेती बारी का लगन से काम करते हैं, तो आसानी से ऐसा किया जा सकता है। यदि हम खेती-बाड़ी द्वारा सारी पढ़ाई चालू करना चाहते हैं, तो उससे खासी आमदनी तो हो ही सकती है, अच्छी तरह पढ़ाई भी हो सकती है। जो लोग नौकरी में नहीं जाना चाहते हैं, जिन लोगों की जीविका का सारा दारोमदार खेती-बाड़ी ही है, और जो खेती की शिक्षा द्वारा खेती के काम को अच्छी तरह जान सकें, उनके लिए आवश्यक होगा कि वह इस तरह से काम करें कि इस पद्धति को पूरी सफलता प्राप्त हो।

विद्यालय को खेती की आय से, वेतन, स्कूल की इमारत और फर्नीचर के व्यय की कुछ पूर्ति हो सके। अगर हम इस बात को सोचते रहे कि हम शुल्क लेकर शिक्षा चालू रक्खें और विद्यालय की खेती के काम करने के लिए मजदूर रक्खें, तो फिर वही हालत होगी जो कि इस प्रान्त में प्राइमरी स्कूलों की बुनियादी शिक्षा की हुई थी। वह शिक्षा हमारे प्रान्त में वास्तव में सफल नहीं हुई। अगर इसी प्रकार से सारा वेतन अध्यापकों को सरकारी कोष से मिलता रहा और खेती की तरफ हमने इस दृष्टि से ध्यान नहीं दिया कि वह शिक्षक के वेतन के एक अंश की पूर्ति करे और इसके द्वारा हमने स्कूलों पर होने वाले व्यय के एक अंश की पूर्ति नहीं की, तो शिक्षा के क्षेत्र में कृषि लाने से कोई लाभ नहीं हो सकेगा। मुझे भय है कि अध्यापक लोग स्कूल के खेत को शिकमी पर उठा देंगे, कई जगह यह बात देखने में भी आयी है जहां खेती का काम होता है। कृषि का आपका थोड़ा सा अंश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में जमा करके दिखला देंगे कि थोड़ी सी आमदनी हो गयी है। इस तरह से हम खेती का लाभ नहीं उठा सकेंगे और न शिक्षा ही समुचित रूप से दे सकेंगे।

इसलिए हमारा सुझाव है कि कृषि द्वारा शिक्षा देने की पद्धति को आर्थिक दृष्टि से महत्व दिया जाय और इस प्रकार व्यय भार को कृषि की आय से पूरा करके माध्यमिक स्कूलों तक की शिक्षा को निःशुल्क करके संविधान की मंशा की पूर्ति की जाय। इन आधारों पर मुझे पूरी आशा है कि मेरे संशोधन को स्वीकार करते हुए संकल्प को मान्यता दी जायगी।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से श्री रणञ्जय सिंह जी के संकल्प में यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि संकल्प की पंक्ति १ में शब्द "हाई स्कूल" के स्थान पर शब्द "प्राइमरी स्कूल" रख दिये जायें।

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, हमको इस प्रकार से कार्य करना चाहिए कि जैसी हमारी शक्ति और सामर्थ्य हो। इस संकल्प से हमें १०वीं कक्षा तक फीस छोड़नी होगी। इस प्रकार यदि विद्यार्थियों की संख्या देखी जाय और फीस का हिसाब लगाया जाय तो मैं समझता हूं कि १० लाख विद्यार्थी कम से कम होंगे, और फीस का रुपया भी १ करोड़ से अधिक होगा। यदि यह फीस छोड़ें, तो यह १ करोड़ से भी अधिक रुपया किस मद से आवेगा? इस समय टैक्सेशन की इतनी भरमार है कि अधिक टैक्स लगाना हमारी शक्ति के बाहर है। मैंने यह संशोधन इसलिए रक्खा है कि जो बात निभ जाय, और कार्यरूप में लायी जा सके। यह सम्भव है कि कक्षा ५ तक प्राइमरी स्कूल की फीस न ली जाय, क्योंकि प्राइमरी स्कूल तक फीस बहुत कम रहती है। वह पैसों में होती है और उसका भार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या, म्युनिसपल बोर्ड, नोटिफाइड एरिया या टाउन एरिया सहन कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि उतना ही कार्य हमें इस समय करना चाहिए जितना कि हम अपनी शक्ति के अन्दर कर सकते हैं। रहा यह कि हमारे देश की शिक्षा सम्बन्धी क्या प्रगति होगी, यदि हाई स्कूल तक के विद्यार्थियों से फीस नहीं ली जाती है, तो मैं समझता हूं कि देहात में जितने भी स्कूल हैं, वे सब या तो बन्द हो जायेंगे या सरकार को लेने होंगे। प्रायः देखने में आता है कि हाई स्कूल तक की शिक्षा देने वाले स्कूल विद्यार्थियों से प्राप्त फीस पर ही चलते हैं। अब वह समय आगया है कि देहात से स्कूलों के लिए भी चन्दा होना असम्भव सी बात हो गयी है। मैं अपने जिले के बहुत से हाई स्कूलों को देख रहा हूं कि यदि चन्दा जमा करने की कोशिश की जाती है तो वह नहीं हो पाता है, जो कुछ भी अध्यापकों को वेतन दिया जा रहा है, वह विद्यार्थियों की फीस से ही दिया जाता है और वह फीस भी बन्द करदी गयी तो सब स्कूल बन्द हो जायेंगे, क्योंकि सरकार में भी इतनी शक्ति नहीं है कि वह उनका भार संभाल सके।

इसके साथ ही साथ दूसरी बात अनावर्त्त व्यय (नान-रेकरिंग एक्सपेंडीचर) की है, जो इमारत इत्यादि के लिए चाहिए। इसका भी भार सरकार को ही उठाना होगा। यदि वहां के खर्चे को विद्यालय सहन कर रहे हैं या समिति सहन कर रही है और बिल्डिंग का खर्चा भी उन्हीं के ऊपर है तो ऐसी हालत में वह सारा का सारा व्यय सरकार के ऊपर ही आ

[श्री श्रीचन्द]

पड़ेगा। मैंने श्रीमन्, निवेदन किया कि टीचर्स की तनख्वाहों का खर्चा करोड़ों की संख्या में होगा। इसके अतिरिक्त यदि प्राइमरी कक्षाओं (क्लासेज) तक की शिक्षा निःशुल्क कर दी जाय, तो न तो सरकार के ऊपर ही इतना बोझा पड़ेगा, दूसरे गरीबों के बच्चे भी पढ़ जायेंगे। उनमें भी पढ़ने का उत्साह होगा। यह भी देखने में आ रहा है कि प्राइमरी स्कूल की यह फीस गरीब किसान और हरिजनों के बच्चे नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए हमारी सरकार का यदि यह पहला कदम हो तो अच्छा है। इससे गरीबों को अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजने में उत्साह मिलेगा। पहले हमें वही कदम उठाना चाहिए जिसे हम निभा सकें। ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जो हमारी सामर्थ्य के बाहर हो। हमें वही कार्य करना चाहिए जो हम इस समय कर सकते हों। मेरी समझ में यह पास कर देना कि हाई स्कूल तक हम निःशुल्क शिक्षा दें, एक बहुत गलत बात होगी और जो आजकल शिक्षा का ढांचा है, वह भी समाप्त हो जायगा। इस लिए यही अच्छा होगा कि आप प्राइमरी स्कूल तक की शिक्षा को निःशुल्क कर दें और उसको कार्यरूप में परिणत करने का प्रयत्न करें। इससे हमारी गरीब जनता पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आगे चल कर जब हमारी सरकार में यह सामर्थ्य हो जाय कि हाई स्कूल तक का व्यय सहन कर सके, तब हाई स्कूल तक की शिक्षा निःशुल्क कर दे। इसके लिए तब दूसरा प्रस्ताव भी आ सकता है। इसलिए मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे संशोधन को मंजूर कर लिया जाय, क्योंकि यह करने योग्य है और ऐसा कार्य न होना चाहिए जिसका भार हम सहन न कर सकें।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय रणञ्जय सिंह जी के प्रस्तुत संकल्प में अपना संशोधन पेश करता हूं। संकल्प की पहली पंक्ति में शब्द "हाई स्कूल" के स्थान पर शब्द "उच्चतम माध्यमिक कक्षाओं" रख दिये जायं।

अध्यक्ष महोदय, हमारा देश शिक्षा में सारे देशों से आगे था और सारे देश यहां से शिक्षा प्राप्त करके जाते थे। उस समय हमारी शिक्षा पद्धति जिस प्रकार की थी, वह आज नहीं है। उस समय भवन इत्यादि पर विशेष जोर नहीं दिया जाता था, पेड़ों के नीचे लोग पढ़ लिया करते थे। जंगलों में गुरुकुल होते थे, जहां गुरु लोग पढ़ाया करते थे। गांव-गांव और घर-घर बच्चों के लिए अनाज और कपड़ों आदि का प्रबन्ध किया जाता था। सब लोग उसमें रुचि लेते थे। पहले इस प्रणाली से शिक्षा दी जाती थी। आज हमारे देश में ८७ प्रतिशत आदमी अपढ़ हैं, केवल १३ फीसदी लोग पढ़े-लिखे हैं। कारण यह है कि गरीब लोग अपनी गरीबी के कारण अपने बच्चों को शिक्षा देने में असमर्थ रहते हैं। हमारे मजदूर और गरीब किसान अपने बच्चों को शिक्षा क्या दिलायें, वे उनके खाने-पीने और कपड़े इत्यादि का तो प्रबन्ध कर ही नहीं पाते। हमारा देश गरीब है, इस कारण उच्च शिक्षा पाने में हमारे देश के बच्चे सदैव पीछे रहते हैं। तो अब आवश्यकता इस बात की है कि जब कि हमारा देश शिक्षा में पीछे है तो इसे दूसरे देशों से आगे बढ़ना चाहिये। इंगलैण्ड जैसा देश शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ रहा है। दूसरे मदों में चाहे खर्चा न हो लेकिन मेरी इच्छा है कि शिक्षा पर अधिकांश खर्च होना चाहिये तभी देश उन्नत हो सकता है और यह देश सारे देशों से आगे बढ़ सकता है। क्योंकि शिक्षा एक पूंजी है, जब शिक्षा हमारे देश में रहेगी ही नहीं तो फिर हम आगे दूसरे सूबों में कैसे बढ़ सकेंगे? जहां तक देश की गरीबी का प्रश्न है, उस आधार पर उस दृष्टिकोण से देश के लिये आवश्यक है कि उच्चतम माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क हो। आज बोर्डिंग हाउस तथा छात्रावासों में जो लड़के रहते हैं उनकी दशा कैसी है? गरीबों के बच्चों के रहने के लिये कोई मकान भी नहीं है। वे शहरों में ऐसे मकानों में रहते हैं जैसे कि कोई उजड़ा हुआ मकान पड़ा हो, तो जिस देश के बच्चों की परिस्थिति इस प्रकार की हो कि रहने का कोई ठीक प्रबंध भी न हो तो फिर वह देश कैसे शिक्षा में उन्नति कर सकता है। मैं यह नहीं कहता हूं कि सरकार ने इसके लिये कुछ नहीं किया है, मैं माननीय सरकार को इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि उसने शिक्षा की तरफ एक अच्छा कदम उठाया है, लेकिन इस कदम से ही काम नहीं चलेगा। कदम तो बहुत अच्छा उठाया गया है और मैं

समझता हूं कि शिक्षा के लिये अगर हमारे देश के रहने वालों पर कोई टैक्स भी लगाया जाय तो वह भले ही लगे लेकिन उच्चतम माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क हो तभी हमारे देश का उत्थान हो सकता है और हमारे देश के लोग आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यह शिक्षा किस प्रकार की हो ? मेरी राय है कि यह ऐसी स्वावलम्बी हो जिससे जो बच्चे शिक्षा पाकर निकलें वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें ताकि वे अपने समाज तथा अपने मां-बाप की भी मदद कर सकें और अपने जीवन में किसी के मुंहताज न रहें।

आजकल के विद्यार्थी जिस प्रकार की शिक्षा पा रहे हैं वह सब को विदित ही है कि आज के ग्रेजुएट लोग झाड़ू लगाना भी हेय समझते हैं, अपना बिस्तर लगाना भी अच्छा नहीं समझते और उसके लिये भी दूसरों के मुंहताज रहते हैं और अपना समय काटने के लिए इधर-उधर घूमते रहते हैं, किसी काम में उनकी तबियत ही नहीं लगती है। उसका कारण यह है कि शिक्षा का तरीका ऐसा नहीं है जो अपने पैरों पर खड़ा करने वाला हो। हमारी सरकार ने इस तरफ कदम उठाया है कि स्वावलम्बी शिक्षा दी जाय और उसने इस तरह बेसिक शिक्षा देने का काम शुरू भी कर दिया है। हमारी भगवान से प्रार्थना है कि वह सफल हो। सरकार पहले बेसिक ढंग की शिक्षा दे रही थी लेकिन सामान अपर्याप्त रहा, शिक्षा अधूरी रही, उससे उतना लाभ नहीं हो सका जितना होना चाहिये था। तो इन सारी बातों को देखते हुए और देश की गरीबी को देखते हुए हमारी इच्छा है कि सारे देश के लिये उच्चतम माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क हो, चाहे शिक्षा का टैक्स लग जाय।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि संकल्प की पंक्ति १ में शब्द "निःशुल्क" के आगे शब्द "और अनिवार्य" बढ़ा दिये जायं।

अध्यक्ष महोदय, मैंने जहां तक समझा है, हाई स्कूल के माने शायद माननीय रणंजय सिंह जी ने जूनियर हाई स्कूल का ही अर्थ रखा है।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठ जायं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वे स्पष्टीकरण कर दें ताकि कोई गड़बड़ी न हो। जूनियर हाई स्कूल और उच्चतम माध्यमिक कक्षायें, ये तीनों आज की परिस्थिति में एक ही हैं या अलग-अलग हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डाक्टर सीताराम)—तीनों तीन चीजें हैं।

श्री अध्यक्ष—हाई स्कूल का मतलब क्या है ?

डाक्टर सीताराम—हाई स्कूल में ९,१०,११ और १२ वीं, ये चार कक्षायें हैं। तो हाई स्कूल में चारों क्लास आ जाते हैं और उच्चतम माध्यमिक क्लास में ९,१० ११ और बारहवीं क्लास।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—मैं कुछ स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि उच्चतम माध्यमिक से मतलब अब है ९वीं, १०वीं और ११ वीं और १२वीं कक्षा वाले स्कूल। जूनियर हाई स्कूल से मतलब है केवल ८ वें तक और नवें, दसवें तक हाई स्कूल होगा। हायर सेकेंडरी वही हैं जिनको हम उच्चतम माध्यमिक कहते हैं और जिनको हम ११वीं कक्षा तक इजाजत देते हैं।

***श्री रमेश चन्द्र शर्मा**—अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में हमारी सरकार बहुत पैसा खर्च करती चली आ रही है। जिस दिन से अंग्रेजी सरकार हमारे प्रदेश से खत्म हुई उसी दिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रमेशचन्द्र शर्मा]

से तमाम क्षेत्रों में जूनियर हाई स्कूल बहुत से बढ़ चुके हैं परन्तु अभी तक सरकार ने अनिवार्य शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया है जिससे गांव की जनता को अधिक लाभ हो सकता है। इसलिये मैं इस प्रस्ताव में यह सम्मिलित कर देना चाहता हूं कि माननीय रणंजय सिंह जी के संशोधन में जो "निःशुल्क" की बात है उस के साथ-साथ "अनिवार्य" और जोड़ दिया जाय। अगर जूनियर हाई स्कूल तक कोशिश अनिवार्य कर दी जाय तो गांव के लोगों की उन्नति हो सकती है और दूसरी तरफ वह सरकार के लिये भी खास लाभ की चीज हो जाती है। कुछ बड़े शहरों में इस का प्रबन्ध किया गया है लेकिन अगर गांव में भी सब जगह अनिवार्य कर दिया जाय तो काफी लाभ हो सकता है।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर अधिष्ठाता श्री मलखान सिंह की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

श्री रणंजय सिंह—श्रीमन्, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। यहां पर एक प्रश्न उपस्थित हो गया है कि हाई स्कूल किसे कहते हैं। जूनियर हाई स्कूल किसे कहते हैं और हायर सेकेंडरी स्कूल किसे कहते हैं। जूनियर हाई स्कूल पूर्व माध्यमिक विद्यालय कहा जाता है और हायर सेकेंडरी स्कूल को हिन्दी में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कहा जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि हिन्दी में हाई स्कूल को क्या कहा जाता है?

डाक्टर सीताराम—माध्यमिक शिक्षा।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—अधिष्ठाता महोदय, मैंने यह कहा कि इस प्रदेश की सरकार ने जिस प्रकार से शिक्षा में अपने कदम को अन्य प्रदेशों की अपेक्षा आगे बढ़ाया है उसी तरह से इस प्रदेश की सरकार को अनिवार्य शिक्षा के लिये एक आदर्श रूप में अपने कदम को उठाना चाहिये। अभी इस प्रदेश की सरकार ने जूनियर हाई स्कूलों के लिये १० एकड़ जमीन को कृषि भूमि के लिये दिलाने और उसमें फार्म खोलने का इरादा किया है जिसके लिये ३२ सौ अध्यापक इस प्रदेश में भर्ती किये जा रहे हैं और शायद वह किया भी गया है। तो जहां इस सरकार का यह लक्ष्य है कि हिन्दुस्तान के प्रत्येक प्रदेश से आगे कदम उठाकर चला करे, वहीं इस सरकार का यह भी कर्तव्य हो जाता है कि गांवों में जो जूनियर हाई स्कूल हैं उनमें अनिवार्य शिक्षा देने का भी श्रीगणेश इसी प्रदेश से होना चाहिय। शहरों में म्युनिसिपैलिटियों के स्कूल्स हैं वहां जूनियर स्कूलों में अनिवार्य शिक्षा आरम्भ हो चुकी है लेकिन जो गांवों में जूनियर स्कूल हैं उनमें कोई ऐसी चीज नहीं आयी है जिसकी वजह से लोग गांवों में पढ़ने की दिशा में कम अग्रसर हो पाते हैं। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उसने प्रदेश की शिक्षा के लिये बहुत ही ठोस और क्रांतिकारी कदम उठाये हैं और यही कारण है कि हमारे प्रदेश में आज कितने ही कृषकों, मजदूरों और हरिजन भाइयों को, शिक्षा अनिवार्य होने के कारण फीस में कमी होने के कारण और किताबों की सहूलियत के कारण शिक्षित होने का अवसर मिला है और उनकी योग्यतायें बढ़ती जा रही हैं। यदि अनिवार्य शिक्षा पूर्णरूपेण कर दी जाय तो काफी उत्साह के साथ हमारे प्रदेश में शिक्षा का विस्तार हो सकता है और हम आगे बढ़ सकते हैं।

***श्री नेकराम शर्मा** (जिल अलीगढ़)—चेयरमैन साहब, जहां तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है यह बड़ा सुन्दर है कि हमारे प्रदेश में शिक्षा मुफ्त और आवश्यक हो। इस सम्बन्ध में हमारी सरकार ने, हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस ने और हमारा जो कान्स्टीट्यूशन है उसने इस बात की व्यवस्था की है कि हम दस साल के अन्दर इस देश में और इस प्रदेश में १४ वर्ष तक के लड़कों के लिये फ्री एजूकेशन कर दें लकिन.....

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—प्वाइंट आफ आर्डर सर, मैं यह जानना चाहता हूं कि संशोधन कब लिये जायेंगे? मेरा भी एक संशोधन है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अधिष्ठाता—संशोधन सब आ चुके हैं। आपका संशोधन तो नम्बर एक पर है इसलिये आपका संशोधन भी आ चुका है।

श्री नेकराम शर्मा—चेयरमैन साहब, यह प्रस्ताव जो इस सदन के सामने आया है यह कोई नया प्रस्ताव नहीं है, इस प्रस्ताव की मांग तो बहुत दिनों से है। १९१० ई० में हमारे पूज्य श्री गोखले जी ने मांग की थी और एक प्रस्ताव लेजिस्लेटिव कौंसिल में उस समय रखा था कि १४ वर्ष तक के लड़कों को शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य दी जाय। और उसके बाद सन् १९३७ ई० में महात्मा जी ने एक लेख लिखा था कि यह आवश्यक है कि हमारे देश में १४ वर्ष तक के लड़कों को शिक्षा कम्पलसरी और अनिवार्य दी जाय। उसके बाद ही उन्होंने यह भी कहा था कि यह करने के लिये हमारे पास इतना धन नहीं है। मैं आपकी आज्ञा से उनके शब्द यहां पढ़ देना चाहता हूं :

"We are so backward in education that we cannot fulfil our obligations to the nation, if programme is to depend on money—education should be self-supporting"

"Every School should be self-supporting."

तो जबतक हमारे पास साधन न हों, हमारे पास रुपया न हो, तबतक यह कैसे किया जा सकता है। इस बात के लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया ने जो एक कमेटी बनायी है उसने यह कहा है कि इस योजना को शुरू करने के लिये ४०० करोड़ रुपयों की आवश्यकता है। और उसके अलावा २०० करोड़ रुपया शिक्षा के लिये और २२७ करोड़ रुपया बिल्डिंग वगैरह के लिये आवश्यक होंगे। जब हम दूसरे देशों की तरफ देखते हैं जैसे अमेरीका तो वहां पर सेल्फ सपोर्टिंग स्कूल पाते हैं। वहां के जो टाउन्स हैं वह खुद स्कूलों का भार उठाते हैं और वहां इतना अच्छा प्रबन्ध है कि एक-एक स्कूल में ५०,५० और ६०,६० सब्जेक्ट्स होते हैं और लड़के अपनी इच्छा से जो सब्जेक्ट चाहें उसे ले सकते हैं और उसके बाद उस सब्जेक्ट का उपयोग अपने जीवन में कर सकते हैं।

तो हमारे यहां एक तरफ तो यह बात मान ली गयी है कि शिक्षा अनिवार्य हो लेकिन जिस प्रगति से हम चल रहे हैं उससे मुझे संतोष नहीं है। ६ वर्ष से से १० वर्ष तक के जो लड़के पढ़ रहे हैं उनकी संख्या ४० परसेंट है, ११ वर्ष से १७ वर्ष तक के लड़कों की संख्या १० परसेंट और १७ वर्ष से २३ वर्ष तक के लड़कों की संख्या ९ परसेन्ट है। जो पहले आंकड़े लिये गये थे उनमें उस समय ८ या १० परसेंट संख्या थी और अब शायद ५४ में वह संख्या १२ परसेंट हो गयी है, तो जिस स्पीड से हम जा रहे हैं, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कांस्टीट्यूशन में जो व्यवस्था की गयी है कि १० वर्षों में फ्री एजूकेशन हो जायगी, वह हो सकेगी? मुझे इसमें शक है जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह सरकार दूसरे प्रदेशों की सरकारों के बनिस्बत एक क्रांतिकारी कदम उठाने जा रही है। इसमें शक नहीं कि हमारा ध्यान उस तरफ है लेकिन जिस हालत में वह ध्यान है उसमें आजतक एम नहीं डिफाइन किया गया है। इससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जब तक स्टेट-आन्ड शिक्षा नहीं होती तब तक हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। यह बहुत आवश्यक है और इस पर बहुत से एमीनेन्ट एजूकेशनिस्टों ने राय दी है। आप चाहे जितने डैम्स, नहरें और मकान बनाते जायं मगर उनसे कोई लाभ नहीं होने वाला है क्योंकि यह सब चीजें नागरिकों के लिये हैं और जब तक उन मकानों में बैठने वाले नागरिक ही ठीक नहीं होंगे, शिक्षित नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। आप चाहे जितने धन धान्य से ऊंचा कर दें लेकिन जब तक उसके भोगने वाले व्यक्ति ही ठीक नहीं होंगे तब तक वह सब बेमानी होगा। तो हमारी शिक्षा की जिस तरह से तरक्की हो रही है, जिस स्पीड से हम चल रहे हैं उससे हम अपने मकसद तक निश्चित समय में नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिये इस ओर

[श्री नेकराम शर्मा]

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरे ख्याल में माननीय सदस्य का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ कि जब तक हम अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा न कर दें तब तक जिस स्थान पर हम दस साल में पहुंचना चाहते हैं, उस स्थान तक हम नहीं पहुंच पायेंगे और इसी भावना से प्रेरित होकर यह प्रस्ताव इस सदन में लाया गया है। यदि यही भावना है तो मैं इस प्रस्ताव से सहमत हूं। लेकिन अगर यह भावना है कि सरकार इसके लिये कुछ कर नहीं रही है, तो यह नयी चीज नहीं है। शुरू से इसकी मांग रही है, विधान में यह मांग स्वीकार कर ली गयी है, हां, यह हो सकता है कि हम इसकी ओर तेजी से न चल रहे हों, तो मैं सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि अगर हमको शिक्षा के जरिये राष्ट्र को ऊंचा करना है, तो हमको शिक्षा के सम्बन्ध में तेजी से चलना होगा। मैं यह भी बतला देना चाहता हूं कि जितना रूपया शिक्षा के लिए खर्च हो रहा है वह बहुत नाकाफी है। आज हालत यह है कि प्राइमरी स्कूलों में लड़कों के बैठने तक की व्यवस्था नहीं है और जहां पर लड़के पढ़ते हैं वहां मास्टर नहीं पहुंचते हैं। ऐसी हालत में किस तरह से शिक्षा में तरक्की होगी, किस तरह से हम अपने मकसद तक पहुंचेंगे, यह मेरी समझ में नहीं आया।

मैं, श्रीमन् आप की आज्ञा से एक बार फिर माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि स्टेट को चाहिये कि एजूकेशन को नैशनेलाइज करले, स्टेट-ओन्ड एजूकेशन हो, और अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का चरित्रगठन हो तो उसके लिए यह आवश्यक है कि कम्पलसरी और फ्री शिक्षा शुरू कर दी जाय। यह उसूल तो सभी ने माना है। किसी साहब ने केवल यही कहा है कि प्राइमरी एजूकेशन तक ऐसी व्यवस्था कर दी जाय, किसी ने कुछ कहा है, मगर यह उसूल माना सभी ने है। म्युनिसिपल बोर्ड्स ने कहीं-कहीं पर कम्पलसरी प्राइमरी एजूकेशन कर भी दी है। परन्तु मैं यह चाहूंगा कि कांस्टिट्यूशन में जो दस वर्ष की मियाद मिली है, उसमें अगर हमको अपने मकसद तक पहुंचना है तो हमको तेज क़दम शीघ्र उठा देना चाहिये और अगर ऐसा नहीं किया गया तो हमारे राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकेगा क्योंकि राष्ट्र का निर्माण शिक्षा पर डिपेंड करता है। इन चन्द शब्दों के साथ, जो हाई स्कूल तक के लिये कहा गया है, उसका विरोध करता हूं। क्योंकि पहले प्राइमरी एजूकेशन तक के लिये कम से कम हो जाय, बाद में हाई स्कूल तक के लिये भी हो जायगा।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो प्रस्ताव माननीय रणंजय सिंह जी ने रखा है उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। उन्होंने जिस मंशा से इस प्रस्ताव को रखा है वह बहुत ही देश का कल्याण करने वाली मंशा है इसलिये कि देश में बिला शिक्षा के कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती है। जब से हमारी सरकार ने अपने हाथ में शासन की बागडोर ली है तब से शिक्षा के सम्बन्ध में कोई ऐसी योजना नहीं बनी जिस से देश में अशिक्षा दूर हो सके। पहले अंग्रेजों का यह नियम था वह यह सोच बैठे थे कि इस देश में जितने दिन लोग अशिक्षित रहेंगे, जितने दिन अन्धेरे में रहेंगे, उतने दिनों तक उनकी हुकूमत बनी रहेगी। ठीक वैसा ही रुख हमारी इस सरकार ने भी हुकूमत लेने के बाद रखा है। जब अपने हाथ में देश की बागडोर देश के शासन-कर्ताओं ने ली, उस वक्त हमारे भूतपूर्व शिक्षा मंत्री ने एक कदम उठाया था कि देश में कोई निरक्षर न रह जाय। उन्होंने एक पंचवर्षीय योजना बनायी जिसके अन्दर यह रखा कि सारे प्रदेश में सब लोग साक्षर हो जायं। देश में बड़ी भारी धूम मची और बहुत से स्कूल खोले गये। मैं आपका ध्यान देहात की तरफ दिलाना चाहता हूं। वहां स्कूल जो खोले गये वह धराशायी हो गये हैं, वह चौपट हो रहे हैं। जिन स्कूलों को कुछ रुपया देने का वायदा किया गया था वह स्कूल बनकर तैयार हुए और ऐसे बनाये गये जो अधबने और बने इस तरह से पड़े हैं कि स्कूल जगह-जगह पर टूटते चले जा रहे हैं और कई जगहों पर तो बिचारे लड़के पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं।

शिक्षा प्रसार के लिये जैसा कि यह संकल्प रखा गया है, हमारी सरकार को चाहिये था कि नीचे के क्लासों के लिये अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा कर देती। लेकिन सरकार

ने किसी प्रकार की योजना को नहीं बनाया और न निःशुल्क और न अनिवार्य शिक्षा ही की गयी। देहातों में पहले स्कूलों में फीस कम ली जाती थी। देहात के लड़के जो गरीब घराने के होते थे वह भी शिक्षा प्राप्त कर लेते थे। लेकिन सरकार का ध्यान इधर होते हुये भी फीस के बढ़ जाने से गरीबों के लड़के अधिकतर बिना पढ़े रह जाते ह। उनकी इच्छा रहते हुए भी उनको स्कूलों में भरती हो जाने पर भी, फीस न दे सकने के कारण वह घर पर बैठ जाते हैं और पढ़ने से महरूम रह जाते हैं।

ऐसी हालत में अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका ध्यान देहात की तरफ ले जाना चाहता हूं। जो बड़े-बड़े घराने के लड़के हैं वह तो पढ़ते ही हैं क्योंकि उनकी सिफारिश बड़ी-बड़ी जगहों तक पहुंच जाती है और उनकी फीस माफ हो जाती है उनको स्कालरशिप मिल जाता है और हर तरह की सुविधायें उनको मिल जाती हैं। लेकिन छोटे और गरीब घर के लड़के जो छोटी क्लास से ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं उनके सामने ऐसी आर्थिक कठिनाई आती है कि वह आगे नहीं पढ़ पाते हैं। उनकी फीस में रियायत नहीं की जाती है, उनको स्कालर शिप नहीं मिल पाता है और न उनको किसी भी तरह की कोई सुविधा ही मिल पाती है। इस लिये वह बेचारे चाहते हुये भी शिक्षा से महरूम रह जाते हैं और उन्हें आगे पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। फिर भी हमारी सरकार की नीति रही है कि जो आगे पढ़ने वाले हैं, जो बड़े घर के लड़के हैं उनको ही आगे पढ़ने का मौका मिलता रहे। इसलिये यह संकल्प देश के कल्याण के लिये बहुत जरूरी हो जाता है। कम से कम हाई स्कूल की शिक्षा लड़कों के लिये अनिवार्य और निःशुल्क कर दी जाय जिससे सबको मौका मिले और नीचे के तथा गरीब तबके के लोगों के लड़कों को पढ़ने का मौका मिल सके।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—माननीय चेयरमैन महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि श्रीमन् ने मुझे पवित्र संकल्प पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

मान्यवर, यह प्रश्न शिक्षा का, देश के उत्थान का, देश की भलाई और बुराई और उसके भविष्य पर विचार करने का है। यह विषय आसान नहीं है। कह देना बड़ा सरल है, लेकिन उस पर अमल करना बड़ा मुश्किल है। डू आर डाई एक सेंटेंस हमारे सामने है, जिसका प्रयोग हमारे देश ने सन् १९४२ में प्रत्यक्ष रूप में किया था। मैं आज चाहता हूं कि ईमानदारी के साथ हमारा देश आज पुनः इस जुम्ले को दोहराये। इस क्रांति को लाने के लिए, इस क्रान्ति को शिक्षा में लाने के लिए, डू आर डाई को पुनः लाया जाय। हमारे माननीय राजा रणंजय सिंह जी ने अधूरी मांग की है। उन्होंने हाई स्कूल तक शिक्षा के अनिवार्य और निःशुल्क होने की मांग की है। मैं समझता हूं कि उनका विचार अधूरा है। मैं सरकार से डिमांड करता हूं कि वह प्राइमरी एजूकेशन से लेकर यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक फ्री कर दे। जो बात मांगी जाय, वह ईमानदारी से सबके लिए मांगी जाय। यह न हो कि :

"पक्षा पक्षी के कारने सब जग रहा भुलान।"

यानी जो बात कही जाय, वह सबके लिए कही जाय उसमें किसी के लिए बचाव न रखा जाय। मैं चाहता हूं कि एजूकेशन हमारे मुल्क में सुन्दर हो, फ्री हो और सबके लिए फ्री हो। उसमें कोई जाति-भेद का प्रश्न न उपस्थित किया जाय। यह मैदान सबके लिए फ्री कर दिया जाय और जो उसमें पास हो वह ले लिया जाय। यह ठाकुर का बच्चा है, यह चमार का है, यह पंडित का है, यह कुछ नहीं। सरकार को चाहिए कि जो गरीब हैं उसके खाने का प्रबन्ध कर दिया जाय। मैंने फारेन कंट्रीज में देखा है, सात समुद्र पार मैंने जा कर देखा, यह मैं गेंदा सिंह जी को बता देना चाहता हूं। मैंने उन स्कूलों को देखा है, जहां डाल्टन प्रणाली की शिक्षा होती है। जहां चमार पढ़ते हैं, नीग्रोज पढ़ते हैं, और ब्रिटिशर्स भी पढ़ते हैं, सब साथ पढ़ते थे। वहां कोई भेद-भाव नहीं था। सब में बराबर का भाव था। मैं बहुत इतमीनान से इस पर बोलना चाहता हूं।

[श्री शिवनारायण]

चेयरमैन महोदय, आज देश की बिगड़ी हुई दशा है। यह गाल बजाने का समय नहीं है। जरूरत इस बात की है कि शिक्षा में इन्कलाब लाया जाय और उसकी तरफ हमारी सरकार वाकई अग्रसर है। हमने देखा है कि शिक्षा मन्त्री ने इन्कलाब किया है, आगरा युनिवर्सिटी बिल को ला करके। उसने एक रोटेशन, एक हलचल पैदा कर दी है कि अगला कदम जो सरकार लेने जा रही है, वह ठीक लेने जा रही है। मैं चाहूंगा कि आप मेरी बात को भी ध्यान से सुनें। अपनी तरफ तो नाराज हो जाते हैं, लेकिन मैं कोई ऐसा शब्द नहीं कहना चाहता हूं कि किसी के मान-अपमान का प्रश्न उपस्थित हो। जब आपका टर्न आये, तो आप खुद बोलें। मैं आज प्रतिरोध या प्रतिशोध की भावना लेकर नहीं उपस्थित हुआ हूं। जो आज देश की डिमान्ड है, उसको लेकर उपस्थित हुआ हूं। सरकार से यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां टेक्निकल ट्रेनिंग की बड़ी आवश्यकता है और टेक्निकल ट्रेनिंग स्कूल खोल जायं। बहुत से लोग हैं जो इस काम को नहीं कर सकते लेकिन उनको प्रोत्साहन मिले, उनके बच्चों को खाने-पीने और रहने का प्रबन्ध हो, जैसा कि आज हाल ही में जब बजट पेश था तो रुड़की का जिक्र हुआ था। रुड़की की तरह गोरखपुर में भी एक टेक्निकल इन्स्टीटयूशन खुला है। उसमें भी हमारे बच्चों को सुविधा दी जाय, ताकि वह अपना उत्थान कर सकें। ये आपकी भावी संतान हैं, देश के रक्षक हैं, भक्षक नहीं हैं। देश की जिम्मेदारी उनके कंधों पर भी आने वाली है। मैं इतिहास के पन्नों की तरफ आपका ध्यान भी ले जाना चाहता हूं और वह कान खोल कर सुनें कि एक-एक बच्चा इस देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। हम देश को दूसरे के हाथों नहीं बेचेंगे। हमें अपनी संस्कृति और देश पर नाज है। वह हम ही थे जिन्होंने महाराणा प्रताप के साथ आजादी की लड़ाई लड़ी। भारतवर्ष सदा संसार-गुरु रहा है और रहेगा। आज हम रूस, चीन और लेनिन की दुहाई नहीं देते, राम, कृष्ण और गांधी जी की दुहाई देते हैं। हमारा रामायण और गीता आदर्श है। गीता के आदर्श हमारे पास हैं। हम ऋषियों की सन्तान हैं और उनके आदर्श हमारे पास हैं। हमारे देश के निवासी सोचें कि हम इन्कलाब करेंगे, देश के नक्शे को बदलेंगे। हमारा प्रधान मन्त्री कोई चौराहे का खिलाड़ी नहीं है, वह विद्वान् है, पंडित है। हमारा देश ही नहीं, बल्कि संसार उनके कहने पर अमल करने के लिए तैयार है।

तो मैं आपके जरिये से कहना चाहता हूं कि हमारी भारतीय सरकार ने अपना कदम उठा रखा है। वह रोटेशन करना चाहती है, एजूकेशन में। युनिवर्सिटी एजुकेशन में, सेकेन्डरी एजुकेशन में, प्राइमरी एजुकेशन में, हर जगह चेंजिग कर रही है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जो हमारे अध्यापक हैं उनको कष्ट है। मैं सरकार से ईमानदारी से कह देना चाहता हूं कि वह एजुकेशन को नैशनलाइज कर दें और सरकार उनको अपने कब्जे में कर ले तो दोनों का इसमें फायदा है। वह प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स से निकलने के लिए तैयार हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि शिक्षा मन्त्री आश्वासन दे रहे हैं कि हम जल्द बिल ला रहे हैं। हम उनको धन्यवाद देते हैं कि उनका आज यह विचार मुझे दोहरा देने का मौका मिल गया। मैं अपने बन्धुओं से कहूंगा कि आप नाराज न हों। हमारी सरकार खरगोश की चाल नहीं, कछुए की चाल चल रही है, और छछूंदर को हम धीरे-धीरे उतार रहे हैं। हम छछूंदर को ऐसा नहीं उतार रहे हैं, कि वह हमारा मुंह नोच ले। तो वह लोग जो खरगोश की चाल चलाकर देश को बचाना चाहते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि घुटना टूट जायगा। हम आनेस्टी के साथ नान-वायलेंस के साथ, उस रोशनी के अनुसार जो कि हमारे पूज्य राष्ट्रपिता ने हमें दिखायी थी, उसके अनुसार देश को ले चलना चाहते हैं। नान-वायलेंस के अनुसार हमारा देश चलेगा, हमारा बच्चा-बच्चा चलेगा और इस तरह हम अपने देश को आगे ले चलेंगे। नानवायलेंस के मुताबिक हमने बेसिक एजुकेशन जारी की। बेसिक एजुकेशन में क्या हो रहा है, कि गांवों में तकली चलती है। लेकिन न उसमें मास्टर साहब इन्टरेस्टेड हैं और न लड़के इन्टरेस्टेड हैं। हंसने की बात नहीं है डाक्टर साहब, सही कह रहा हूं। आपको मैं प्रैक्टिकल दिखलाना चाहता हूं, चलिये मेरे साथ, किसी भी प्राइमरी स्कूल में चलकर देख लीजिये।

आज बहुत से लोग हैं, जो परेशान हैं, इस लिए कि उनकी जमींदारी चली गयी। सारे हिन्दुस्तान की जमींदारी जाना चाहती है, इसकी उनको फिक्र नहीं है। पहले इसको सम्हालो और इस तरह से काम करो कि आज हम यहां बैठे हैं, कल आप यहां आकर बैठ सको। लेकिन इसकी फिक्र नहीं है। महाभारत में पांडव कहते हैं कि आपस में हम पांच और १०० हैं लेकिन गैर के मुकाबिले में हम १०५ हैं। तो यह हमारा आदर्श है। इस आदर्श को हमको और आपको अपने सामने रखना चाहिए। अगर यह आदर्श हमारा विरोधी दल भूल गया तो फिर हमारा पता नहीं चल सकता। हमारे देश के जो कम्युनिस्ट हैं, सोशलिस्ट हैं, वह बड़े-बड़े नारे लगाते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि सिर्फ काल्पनिक जगत में विचरण करने से काम नहीं चलेगा।

अधिष्ठाता--मैं माननीय शिवनारायण जी से प्रार्थना करूंगा कि वह प्रस्ताव पर बोलें।

श्री शिवनारायण--प्रस्ताव पर ही मैं बोल रहा हूं, कि उनको चाहिए कि वह मासेज में जायं :--"They should go to the masses and train the masses." मैं उनसे यह रिक्वेस्ट करता हूं कि वह मासेज को ट्रेन करें, उनको पढ़ायें। यहां से छुट्टी पाने के बाद गांव-गांव में जाइये और चार-चार छः-छः आदमियों को एक-एक दिन पढ़ा दीजिये। दस बीस आदमियों को बुला लीजिये और उनकी सेवा कीजिये। फिर वह आपके साथ में हमेशा रहेंगे। लेकिन यह न करके यहां अगर आप यह सोचते रहें, और शिक्षा के राग अलापते रहें, प्रैक्टिकल कुछ भी न करें, तो इस से कुछ काम नहीं होगा। मैं तो कहता हूं कि अगर हम एक झोपड़ी बनवा दें जहां कि उसकी जरूरत है, तो वह हमारे साथ होंगे और हम फिर यहां आयेंगे और यही सरकार फिर आयेगी। अगर हम एक झोपड़ी भी बना देते हैं और बना दिया है हाई स्कूल तक के लिए हो गया है, अगले साल फिर शिक्षा मन्त्री को हम धरेंगे इंटरमीडिएट के लिए। तो हम चाहते हैं कि रणञ्जय सिंह हमारे साथ इस प्रकार हों कि हम सबके लिए शिक्षा खोल दें, और यहां लखनऊ जैसे शहरों में नहीं, अलीगढ़ की गलियों में नहीं, बल्कि गंगा के पवित्र किनारे पर, उन ऋषियों और मुनियों के आश्रमों में जाकर वह निवास करें, सिनेमा हाउसेज को वह छोड़ दें।

रेल काटो, तार काटो और हब-हब कराओ, यह विद्यार्थियों का लक्षण नहीं है। चेयरमैन महोदय, मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इस विषय पर तो लिमिट है नहीं। आज कोई प्रतिबन्ध है नहीं मान्यवर। वैसे आपकी आज्ञा हो तो बन्द कर दूं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--आज के प्रस्ताव पर १५ मिनट से ज्यादा नहीं बोला जाता है।

श्री शिवनारायण--चेयरमैन महोदय, मैं आपकी इजाजत से पुनः हाउस को सिंहावलोकन कराना चाहता हूं कि ईमानदारी यह है कि हमारे देश में शिक्षा झोपड़ी से लेकर महल तक स्वतन्त्र और फ्री होनी चाहिए। अधूरे प्रस्ताव से काम नहीं चलेगा। ईमानदारी की बात यह है। इसलिए रणञ्जय सिंह जी को वापस करके सही रेजोल्यूशन लाना चाहिए कि सब को मुफ्त शिक्षा दी जाय।

इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

***श्री नरदेव शास्त्री** (जिला देहरादून)--सभापति महोदय, यह शिक्षा का विषय इतना गम्भीर और महत्वशाली है कि हंसी और दिल्लगी में डालने का यह प्रश्न नहीं है। आज भारतवर्ष के सामने यही प्रश्न है जैसा कि संसार भर में नहीं है। टु बी आर नाट टु बी इज दि क्वेश्चन। यह भारतवर्ष जीवित रहेगा या नहीं रहेगा। स्वाराज्य हो गया, इसमें सन्देह नहीं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नरदेव शास्त्री]

स्वराज्य का थोड़ा-थोड़ा उपभोग भी कर लिया, इसमें भी सन्देह नहीं। लेकिन हमारे भारतवर्ष का १९४७ में जो उदय हुआ है यह ग्रस्तोदय है कि सूर्य और चन्द्रमा के निकलते समय राहु और केतु की छाया भी साथ में आती है, तो ग्रस्तोदय का अर्थ यह है कि कभी-कभी सूर्य छाया लेकर ही आता है। इसी प्रकार भारतवर्ष का जो उदय हुआ है, यह ग्रस्तोदय है। जिस दिन से स्वाराज्य मिला है, हम बैठ नहीं सके हैं। आज हमारी ऐसी दशा हो रही है कि प्रायः हम यह देखते हैं कि एक विपत्ति समाप्त नहीं हुई कि दूसरा संकट आ गया। इस प्रकार से मालूम होता है कि हम किसी बात का ठीक तरीके से निर्णय नहीं कर सकते हैं।

शिक्षा का विषय बहुत गम्भीर है। प्राचीन मर्यादा के अनुसार शिक्षा एक धर्म का अंग मानी जाती है। आज हम कहते हैं कि निधर्मी राज्य है। धर्म निरपेक्ष राज्य है। इस सब को लेकर धर्म की अवहेलना करते हैं। शिक्षा का प्राचीन ढंग ऐसा था कि शिक्षा निःशुल्क भी रहती थी और अनिवार्य भी रहती थी। मेरे जैसे शास्त्री, पंडित कभी पंडित या शास्त्री नहीं होते, यदि संस्कृति की शिक्षा निःशुल्क न होती।

एक सदस्य--सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री नरदेव शास्त्री--काशी ही में मैं रहा हूं। नदिया में रहा हूं, ग्वालियर में भी संस्कृत पढ़ने के लिए रहा हूं, पूना और मद्रास में भी रहा हूं। जहां-जहां संस्कृत शिक्षा का प्रचार रहा वहां-वहां निःशुल्क शिक्षा रही है। यह तो निश्चित है। इसीलिए एक सहस्र वर्ष यवनों का राज्य रहने पर भी, और डेढ़, पौने दो सौ वर्ष अंग्रेजों का राज्य रहने के बाद भी संस्कृत विद्या अगर जीवित रही है, तो पंडितों, ब्राह्मणों और उन गुरु शिष्य परम्पराओं के कारण ही यह विद्या पनप रही है। ये दो बातें ऐसी हैं जिन पर विचार करने की आवश्यकता है। शिक्षा हो और अनिवार्य हो। तो किस तरह से यह हो सकेगा? हमारे शिक्षा मन्त्री यहां बैठे हुए हैं। उनका एक ही उत्तर होगा कि उसूलन तो ठीक है, तात्विक दृष्टि से ठीक है, लेकिन पैसा कहां से लायेंगे? हर एक बात का उत्तर पैसा है। लेकिन प्राचीन ढंग में ब्राह्मण शिक्षा देने वाले होते थे, और वह स्वतंत्र रहते थे और इसलिए वे सरकार के अधीन नहीं रहते थे। इसलिए जहां कोई ब्राह्मण बैठता था, वह १००-१०० या १५०-१५० विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। ऐसी प्रणाली वह थी। लेकिन आज अंग्रेजों के चले जाने पर भी अंग्रेजों की छाया और माया अभी तक हमारे सर पर बनी हुई है। जब वह छाया जायगी, तब ठीक होगा।

शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए, यह ठीक है, चाहे संस्कृत की हो चाहे अंग्रेजी की हो। कोई भी हो। मैं जहां से आया हूं, वहां ३७० गांव हैं मेरे चुनाव क्षेत्र में और देहरादून शहर में भी हैं। वहां घूमने पर क्या देखता हूं कि १९४७ के पहले जिस प्राइमरी स्कूल की फीस ४ आने थी, वहां आज साढ़े तीन रुपये कर दी गयी है। कैसे आप शिक्षा दे सकते हैं? फिर विषय इतने बढ़ा दिये गये हैं। पहले तो प्राइमरी स्कूलों में ४, ५ विषय पढ़ाये जाते थे, जैसे गणित, साहित्य, इतिहास, और भूगोल, लेकिन अब लड़का एक पांच सेर का बोझा साथ में ले जाता है। पुस्तकों के लिए दाम लगते हैं और फीस भी काफी लगती है। फिर पढ़ाई का तो पूछिये ही नहीं। एक ही मास्टर तीन-तीन श्रेणियों को पढ़ाता है। एक को गणित, एक को भूगोल और एक को इतिहास। इस तरह की शिक्षा प्रणाली हो गयी है। जैसा कि केनकर ने कहा था कि यहां के कालेजेज और युनिवर्सिटीज में ऐसे विद्यार्थी निकलें, जो पल्लवोग्राही पांडित्य के हों। थोड़ा सा संस्कृत में उसे ज्ञान हो, थोड़ा सा भूगोल का, थोड़ा इसका और थोड़ा उसका। बगुला थोड़ा जमीन पर चल लेता है, डुबकी भी नदी में मार लेता है, और ऊपर भी उड़ लेता है। ऐसे पंडित आज के विद्यार्थी बनते हैं। ऐसे नहीं बनते कि समुद्र में डुबकी लगा कर नीचे से रत्न निकाल कर दे सकें, जिससे हम लाभ उठायें। हमारे भूतपूर्व बड़े-बड़े दिग्गज पंडित ऐसे होते थे, जो पुस्तक नहीं उठाते थे और महाभाष्य, दर्शन और वेद पढ़ाते थे। तो वह भी परम्परा थी। हमारे ऊपर अंग्रेजों की छाया पड़ी है और अभी तक हम घर को संभाल नहीं पाये, इस कारण कि हम योजनाओं में लगे हुए हैं। सबसे पहले हमारा कार्य होना यह चाहिए था कि

इस मशीनरी को तोड़ डालते, और दूसरी मशीनरी खड़ी करते। आज भी वही पुस्तकें हैं, वही इतिहास, वही भूगोल, इस प्रकार से वही छाया चल रही है। इस लिए मैं समझता हूं कि अब भी आधा अंग्रेजी हमारा शासन चल रहा है। सारे विभाग में अंग्रेजियत भरी हुई है। उसी तरह से सोचते हैं, उसी तरह से काम करते हैं, उसी तरह से शिक्षा देते हैं, और उसी तरह से आर्थिक सवालों को हल करते हैं। उसी तरह से इतिहास और भूगोल पढ़ते हैं। हमारे लड़के यह बन रहे हैं। इसलिए पहले तो शिक्षा पद्धति के लिए आवश्यक है कि शिक्षा जो पाठ्य ग्रन्थ हैं, उनको ठीक किया जाय और पाठ्य-ग्रन्थों को ठीक करके इतना बोझा न डाला जाय जितना कि बच्चों पर पड़ रहा है।

एक मास्टर मुझसे कह रहे थे कि यह हाल है शिक्षा विभाग का कि पाठ्यक्रम की पुस्तकों को तीन महीने के अन्दर ही बदल दिया जाता है। पहले तो हम देखते थे कि अगर कोई किताब हमारे पुरखा ने पढ़ी है, तो उसको हम भी पढ़ते थे और हमारे आगे ३, ४ पीढ़ियों तक वह चलती थी, और तीन पीढ़ियों तक वह पढ़ते थे। लेकिन अब तो ऐसी दशा है कि वह पुस्तक ३ महीने में ही बदल दी जाती है। इस कारण निःशुल्क और अनिवार्य शब्दों से काम नहीं चलेगा, वह तो निःशुल्क अनिवार्य और यथोचित भी होनी चाहिए। यदि वह निःशुल्क है, और अनिवार्य भी है, तो यथोचित भी होनी चाहिए। जिसको शिक्षा कहा जा सके, वह शिक्षा होनी चाहिए।

शिक्षा क्या है, इसको भी थोड़ा जानने की जरूरत है। सबको फिक्र है कि अमुक बने, किन्तु वास्तव में शिक्षा तो वही है जो मनुष्य बना सके। किस प्रकार मनुष्य बनता है, इसको बतलाने वाली शिक्षा होती थी। आज तो प्रश्न ही दूसरा है और पेट का प्रश्न इतना जटिल हो गया है कि पेट ही सब कुछ हम समझने लगे हैं और धर्म को हम नहीं समझ रहे हैं। शिक्षा ही एक प्रधान अंग था। मेरा अपना विचार है कि हम अपनी सब योजनाओं को बन्द करके यदि १० साल तक सब काम रोक दें, और अपने बालकों को ठीक बनाने का प्रयत्न करें, और उनको मनुष्य बनाने के साधन उपस्थित करें, तो भारतवर्ष का शीघ्र कल्याण हो सकता है, बजाय इसके कि इतनी सारी योजनाओं को इकट्ठा करें। फिर पढ़ायी कैसे ही, यह प्रश्न उपस्थित होता है। शिक्षा के अन्तर्गत यह सब आ जाते हैं। उद्योग भी उसमें आ जाता है और दूसरे अन्य सारे काम भी उसके अन्तर्गत आ जाते हैं। तो हम उसको इस प्रकार से बांटकर रखें कि जिस से देश का कल्याण हो सके। अब तो शिक्षा केवल अक्षर तक ही सीमित रह गयी है।

इस कारण मैंने निवेदन किया कि शिक्षा निःशुल्क हो और अनिवार्य भी हो और साथ ही उचित भी हो। वह अनिवार्य हुई और निःशुल्क भी हुई और यथोचित नहीं हुई तो वह निःशुल्कता और अनिवार्यता तो हुई किन्तु उसका कोई लाभ नहीं रहेगा। शिक्षा यदि उचित हुई और वह सशुल्क भी हुई, तो भी वह ठीक हो सकती है। मैं तो यह समझ रहा हूं कि मैं स्वयं एक गुरुकुल का अधिपति हूं, इस बात का अनुभव कर रहा हूं, कि जब से यह स्वतन्त्रता आयी है, तब से हमारी संस्कृत विद्या का ह्रास हो रहा है। सब लोग इस बात को समझते हैं कि हिन्दी से ही उठकर हम सब कुछ कर सकते हैं। हिन्दी में परीक्षा पास कर लें, और उसी के आधार पर मैट्रिक पास कर लें, और बी० ए०, एम० ए० तक उसी के सहारे पास करते चले जायं। जब इस प्रकार की स्थिति है, तो संस्कृत का प्रभाव कम होने लगा है। यह बात भी ठीक है कि संस्कृत विद्या को, छोड़कर हम रह नहीं सकते। और इसके साथ ही यह भी ठीक है कि हिन्दी यदि हमारी राष्ट्रभाषा बनेगी तो संस्कृत भाषा की अवश्य उन्नति होगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होने के साथ-साथ उचित भी होनी चाहिए जिससे कि वह मनुष्य को मनुष्य बना सकें।

अब हम यह देख रहे हैं कि जिस प्रकार से शिक्षा दी जाती है, और आज कल जिस प्रकार से उसका प्रचार हो रहा है, उसके लिए यह तो ठीक है कि कोई बच्चा अशिक्षित न रहे किन्तु वह उचित भी हो, यह आवश्यक है। किसी समय एक राजा ने कहा था कि मेरे राज्य में

[श्री नरदेव शास्त्री]

कोई अशिक्षित नहीं है, मेरे राज्य में कोई अविद्वान् नहीं है, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, मेरे राज्य में कोई व्यभिचारी नहीं है, और मेरे राज्य में कोई व्यभिचारिणी स्त्री भी नहीं है और मेरे राज्य में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो अग्निहोत्र न करता हो और जो भूखा हो। इस प्रकार से हमारे यहां प्राचीन काल में राजा लोग राज्य किया करते थे और इस प्रकार के राजा हमारे यहां हुआ करते थे। अब हमारे राज्य में ऐसा हो सकता है, इसमें मुझे बड़ा सन्देह मालूम होता है। अगर कसी राज्य में त्रुटि आ जाय तो इसका कारण यही है कि हमने किसी अंग का पालन नहीं किया और किसी का किया। आज स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं कि हमारे पन्त जी भी यहां पर बैठे हुए हैं। वह जरा अपना रूप बदलकर प्रजा में घूमें और वह तो पहिचाने जायेंगे लेकिन दूसरे मन्त्री जल्दी से नहीं पहिचाने जायेंगे। वह प्रजा के अन्दर अपना वेश बदलकर जायं और जगह-जगह जानने का प्रयत्न करें कि प्रजा उनके लिए क्या कहती है और उनके क्या विचार हैं। आप अपनी सी० आई० डी० पर निर्भर न रहें। मेरे विचार से यदि ऐसा किया जाय तो इससे आधी दशा का सुधार हो सकता है। फाइल के पुलिन्दे चलते हैं। उसने उसको लिखा और उसने उसको लिखा। पहले तो न्याय मिनटों में मिल जाया करता था और आसानी से मिल जाता था लेकिन अब उसके लिये एक लम्बी थैली चाहिये। जब तक वह न होगी तब तक हमें न्याय नहीं मिल सकता है। ग़रीब आदमी हाई कोर्ट और चीफ कोर्ट तक कैसे जा सकता है? वह तो नीचे की अदालतों में ही रह जाता है और जिसके पास पैसा है वह चाहे खून भी कर डाले लेकिन ऊपर की अदालतों से छूट जाता है। इसलिये अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा और यथोचित शिक्षा की आवश्यकता है। हमारे जो भी शास्त्रीय लोग हैं, जो भी शिक्षा देने वाले हैं उन सब को एक स्थान पर बैठ कर सोचना चाहिये कि भारत का भावी कल्याण कैसे हो सकता है और उसके लिये कैसी शिक्षा का दिया जाना उचित होगा। अब तो इस राज्य में कुछ ठीक हो गया है लेकिन पहले तो यह पढ़ाया जाता था कि शिवाजी पहाड़ी चूहा था। अब भी यह बताया जाता है कि ऋगवेद को केवल ३२०० वर्ष हुए और यजुर्वेद को केवल २ हजार वर्ष ही हुये। जब ऐसी बातें बतायी जायेंगी तो हमारी संतानें क्या कर सकती हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यह प्रश्न एक बड़ा जटिल प्रश्न है। इस प्रश्न की तरफ सबको ध्यान देना चाहिये। प्रान्तीय सरकार को भी ध्यान देना चाहिये और केन्द्रीय सरकार को भी ध्यान देना चाहिये और शिक्षा को निःशुल्क, अनिवार्य और यथोचित करना चाहिये तभी हमारा कल्याण हो सकता है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, समय देने के लिये मैं आप का बहुत ही आभारी हूं। आज इस सदन के सम्मुख निःशुल्क शिक्षा के विषय में जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यही नहीं कि मैं आज इस सदन के ही सम्मुख विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं बल्कि आज जब कि जनतंत्र के समय में सबसे बड़ा नाजुक समय वह होता है, जब कि शहरों व देहातों में चुनाव होता है और विभिन्न पार्टियों की ओर से निःशुल्क शिक्षा की मांग का जिक्र किया जाता है। उस समय जनता को बहकाने के लिये तो यह आसान होता है लेकिन मैंने उस वक्त भी जनता के सामने निःशुल्क शिक्षा के बारे में अपने विचार दृढ़ता के साथ रक्खे। आज इस सदन में गुरु-कुल की शिक्षा का भी जिक्र किया गया। जिन दिनों में यहां ऋषियों का जमाना था उस समय भी यह शुल्क किसी न किसी रूप में लिया ही जाता था। विद्यार्थी अपने गुरुओं के लिये लकड़ी लाते थे, श्रद्धा से दूसरी चीजें उनको देते थे। मैं अगर इसको शुल्क ही कहूं तो ताज्जुब नहीं होगा। निःशुल्क शिक्षा और शुल्क शिक्षा को यदि मैं इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स कह दूं तो भी कोई ताज्जुब नहीं होगा। अभी-अभी माननीय सदस्यों से निःशुल्क शिक्षा की बात को सुना। सुनने में यह बात बहुत ही अच्छी मालूम होती थी, लेकिन कल ही जब यहां से चलेंगे तो नारा लगायेंगे कि अध्यापकों का वेतन अधिक हो। अध्यापकों का वेतन अधिक हो, यहीं पर वे शान्त न होंगे बल्कि यह भी कहा जायगा कि टैक्सों को न बढ़ाया जाय। जब मैं ऐसी विरुद्ध बातें सुनता हूं तो मुझे बड़ा असमंजस होता है। ऐसे समय में मैं बड़ी दृढ़ता के साथ कहूंगा

कि निःशुल्क शिक्षा और शुल्क शिक्षा का केवल विवाद है और जब कि ऋषियों का समय था उस समय भी किसी न किसी रूप में शुल्क लिया जाता था। यह तो तभी सम्भव हो सकता है जब कि अध्यापक वेतन लेने वाले न हों, या धनी मानी लोग अपनी समस्त सम्पत्ति को मुफ्त शिक्षा के लिये लुटा दें।

इसके सिलसिले में ग़रीब बच्चों की बातें भी कही गयीं। लेकिन हम तो देखते हैं कि सरकार ने ग़रीब बच्चों के लिये फीस मुआफी का परसेंटेज मुकर्रर कर रक्खा है। हरिजन जाति के बच्चों के लिये तो उच्च से उच्च शिक्षा तक निःशुल्क कर दी गयी है। हां, यह तो मैं सरकार से प्रार्थना कर सकता हूं कि ग़रीब व पिछड़ी जाति के बच्चों की फीस माफ के प्रतिशत को वह और बढ़ा दें तथा पिछड़ी जाति के छात्रों को वजीफे की रक़मों को और बढ़ा दें और कुछ वजीफे भी अन्य ग़रीब बच्चों के लिये सरकार की सामर्थ्य के अनुसार बढ़ा दिये जावें। लेकिन जहां तक निःशुल्क शिक्षा की बात है यह डाइरेक्ट टैक्स न लेकर इनडाइरेक्ट टैक्स लेना हो जायगा। अगर ऐसे परोपकारी अध्यापक मिल जायं तब तो यह सम्भव हो भी सकता है, लेकिन जब आज मांग है कि अध्यापकों का वेतन बढ़ाया जाय और फिर सरकार के अलावा आज हमारी काफी शिक्षा संस्थायें ऐसी हैं जिनको ग्रामीण व शहरी जनता चला रही है और वे लोग अगर फीस ऐसी चीज को भी हटा देंगे तो आखिर किस तरीक़े से उन्हें चला सकेंगे? गुरुकुलों के मामले में भी किस क़दर विद्यार्थी या उसके कार्यकर्ता अन्न, आटा मांग कर घर-घर से ले आते थे और उसके लिये भी विद्यार्थियों में एक बड़ी हेय भावना होती थी है। आजकल के पढ़े-लिखे जेन्टिलमैन से तो यह सब सम्भव भी नहीं है। वह तो हड़ताल करने के अलावा कुछ सीखते ही नहीं, आये दिन हड़ताल का ही आन्दोलन करते हैं। आजकल के लड़के-लड़की जो फैशन में बुरी तरह से बरबाद होते दिखाई देते हैं उनके लिये तो फीस नहीं के बराबर है। फीस से ज्यादा खर्चा तो इनका सिनेमा घरों का है। पचासों तरह के तो उनके फैशन हैं लड़कियां लिपिस्टिक लगाती हैं, लड़के पाउडरों की भरमार कर रहे हैं। जिनमें इनका काफी रुपया बरबाद होता है। आजकल इन लड़के लड़कियों में निकृष्ट तरीके का फैशन हो गया है। इनके निठल्लेपन तथा अन्य कार्यों के लिये मैं एक ही उदाहरण देना चाहता हूं कि जिस तरह से तैमूर ने गायों को सामने खड़ी कर के इस देश का शिकार किया था उसी तरह से ये फैशनपरस्त लड़के और लड़कियां कुछ हड़ताली राजनैतिक दलों के चंगुल में फंसकर देश के रास्ते में रोड़ा हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि सरकार को शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिये लेकिन इस तरह का प्रलोभन देना, या इस तरह से फुसलाना व भड़काना ठीक नहीं है। जहां तक देश को बनाने का सम्बन्ध है, हम और आप सब मिल कर ही इस देशको उन्नति कर सकते हैं और हमको कठिन से कठिन कार्य करने के लिये तैयार होना चाहिये। पर आज हमारे समाज में जो सबसे अधिक गिरावट है उसका एक मात्र कारण यह है कि जहां हमारे यहां पहले पाप और पुण्य इन दो शब्दों के ऊपर समाज व राज्य व्यवस्था चलती थी वह आज नहीं है। पहले अगर किसी का एकलौता बेटा भी किसी गाय या बछिया को मार देता था तो उसके मां-बाप अपने बेटे को रोटी तक घर में नहीं देते थे। यही नहीं बल्कि उसे दोषी करार देकर समाज के सामने उसके हाथ में गाय की पूछ दे कर नंगे पैरों, मांग कर भोजन करते हुये गंगा नहाने के लिये भेजते थे। यहीं तक नहीं बल्कि उसे बदनाम करने के लिये कि इसने पाप किया है उसके साथ में दो एक आदमी भी लगा देते थे कि वह समाज को बतलाते चलें कि इसने समाज का अहित किया है, यह दोषी है इसलिये इसे सजा मिलनी चाहिये। ऐसे निष्पक्ष कार्यों का समाज पर प्रभाव पड़ता था। उस समय कोई बहुत ज्यादा सरकारें नहीं थीं, कोई ज्यादा कानून नहीं थे, लेकिन पाप और पुण्य इन दो शब्दों के ऊपर ही समाज की व्यवस्था चलती थी। जैसा मैंने कहा कि चुनाव जैसे नाजुक घड़ियों में भी इस निःशुल्क शिक्षा की बात का प्रयोग होता है। मैं कहता हूं कि आज कल इतनी फैशनपरस्ती है कि इस निःशुल्क शिक्षा की बात करना ही कुछ गलत सा मालूम होता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार इस फैशनपरस्ती पर भी ध्यान दे जो लड़के और लड़कियों के अन्दर बढ़ी हुई है।

[श्री रामचन्द्र विकल]

आजकल की शिक्षा की यह हालत है कि दर्जा एक के बच्चे भी रंग के डिब्बे व बस्तों के बोझ से मरे जाते हैं। उनका बस्ता इतना भारी कर दिया गया है जिसकी कोई हद्द नहीं है। आज कल की जो शिक्षा है वह व्यावहारिक भी नहीं है। शिक्षा जहां तक हो टेक्निकल होनी चाहिये। आजकल की शिक्षा बहुत मंहगी भी है इसलिये सरकार को चाहिये कि वह शिक्षा को सस्ती करे, और शिक्षा को सस्ती के अलावा उपयोगी बनावें यही मैं सरकार से कहता हूं। भले ही हमारी शिक्षा कुछ मंहगी हो जाय कोई चिन्ता की बात नहीं लेकिन टेक्निकल स्कूल वगैरा का निर्माण कर के तथा शिक्षा में सदाचार की भावना और सादगी का प्रचार करके हमें अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है और यही शिक्षा का अर्थ भी हो सकता है, कि वह उपयोगी हो और देश के लिये कल्याण-कारी सिद्ध हो। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से श्री रणंजय सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी मैंने माननीय विकल जी के भाषण को बड़े ध्यान से सुना। जिन भावनाओं का पृष्ठपोषण उन्होंने किया वह नैतिक दृष्टिकोण से तो उच्च हो सकती हैं लेकिन निःशुल्क शिक्षा के पर्याय से उनका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उद्देश्य नैतिक आधार पर ही निभर नहीं होता और न वह आर्थिक आधार पर ही आधारित होता है। शिक्षा का प्रादुर्भाव सर्वांगीण परिवर्तन लाता है मनुष्य के जीवन में, वह मनुष्य को मानव बनाती है, मानव को मानवता की परिधि तक ले जाती है, मानवता विकास पाती है, पशु और मनुष्य के बीच में एक रेखा अंकित करती है। परन्तु एक क्षण में वह परिवर्तन नहीं आता। श्री रणंजय सिंह का प्रस्ताव शिक्षा को अविलम्ब निःशुल्क करने का नहीं है। उन्होंने कहीं यह नहीं कहा है कि आज से शिक्षा निःशुल्क कर दीजिये। वह तो सदन के सामने एक निश्चित उद्देश्य रखते हैं कि हम चाहते हैं कि इस राज्य में हम निःशुल्क शिक्षा दें हाई स्कूल तक। इस तरह से उन्होंने शिक्षा का एक सीमित उद्देश्य रखा है। हमारा संविधान भी कहता है कि निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिये, उन्हीं संविधान के शब्दों को दोहराया जा रहा है। जब हम संविधान को स्वीकार करते हैं और शपथ खा चुके हैं तो सदन का कोई भी आदरणीय सदस्य ऐसा न होना चाहिये कि जो संविधान की उपेक्षा करे। विधान ने तो हमारे सामने एक लक्ष्य रखा है कि सारे देश में निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिये। यह सरकार भी हरिजनों के लिये कुछ कर रही है। प्रस्ताव यह है कि हाई स्कूल तक शिक्षा निःशुल्क कर दी जाय। यह ठीक है कि कोई भी सरकार इस काम को अविलम्ब नहीं कर सकती लेकिन जहां तक सिद्धांत का सवाल है इससे कौन इन्कार कर सकता है। धीरे-धीरे जैसे-जैसे सरकार के लिये सम्भव होगा वह आगे बढ़ा सकती है।

सन् ४६ में जमींदारी विनाश और पूंजीवाद को मिटाने का प्रस्ताव यहां पास हुआ था। उसके बाद कई वर्ष के बाद हम जमींदारी विनाश कर पाये और पूंजीवाद को मिटाने की बात तो दो बार हम दोहरा चुके हैं लेकिन आज तक वह एक लम्बा स्वप्न है। इसलिये इस समय तो इसको एक परिभाषात्मक रूप से स्वीकार करने का सवाल है और मैं समझता हूं कि यह चीज इस सदन की मर्यादा के अन्दर होगी। वह इसे स्वीकार करे। जहां तक निःशुल्क शिक्षा का प्रश्न है मैं विकल जी से पूंछूंगा कि अगर सशुल्क शिक्षा होगी या और शिक्षा मंहगी होगी तो क्या वह समझते हैं कि उससे नैतिकता का सुधार हो जायगा, उसका स्तर उठ जायगा? वह दूसरी बात है कि आप कार्यक्रम बदल दें, केरिकुलम बदल दें, प्रणाली में कुछ परिवर्तन कर दें, टेक्निकल शिक्षा की तरफ अधिक ध्यान देने लगें तो उससे कुछ सुधार हो सकता है। परन्तु इन बातों का शुल्क से कोई संबंध नहीं है। संसार में बहुत से देश ऐसे हैं कि शुल्क की क्या बात वह दवा तक बांटते हैं। आखिर इंग्लैंडमें आज होता है या नहीं और क्या वहां पर सब पर लवी लगाई जाती है? प्रत्येक व्यक्ति को इसका भार उठाना पड़ता है। तो जहां तक टैक्सेशन का सवाल है वह प्रश्न नहीं है। प्रश्न तो यह है कि हमें प्रत्येक नागरिक को शिक्षित करना है, प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का मौका देना है कि वह देश की उन्नति के लिये, मानवता के विकास के लिये अपनी योग्यताओं की सीमा तक पहुंच सकें। मैं समझता हूं कि जितने भी हमारे भारतवर्ष में विद्वान हुये हैं जिन्होंने शिक्षा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के सम्बन्ध में अपने प्रवचन किये हैं उन्होंने समय-समय पर इस बात को कहा है कि शिक्षा केवल शिक्षा के लिये या नौकरी दिलाने के लिये नहीं है बल्कि शिक्षा मानव को परिमार्जित करने के लिये है। मैं समझता हूं कि हमारा उद्देश्य होना चाहिये कि हम जल्द से जल्द जितनी जल्द हो सके, जितनी जल्दी इस प्रदेश की राज्य व्यवस्था और अर्थ व्यवस्था इस योग्य हो सके हमें प्रदेश में केवल हाई स्कूल तक ही नहीं, जैसा माननीय शिव नारायण जी ने कहा कि प्रत्येक शिक्षा के क्षेत्र में हम निःशुल्क शिक्षा अपने यहां के कार्यक्रम में लागू कर सकें। आखिर प्रदेश की आज क्या हालत है।

जहां तक स्कालरशिप का सवाल है। सरकारी स्कालरशिप २६५ विद्यार्थियों को सेकेन्डरी स्टेज में मिलती है। एक तरफ ऐसे भी हमारे यहां इंस्टीट्यूशन्स हैं जहां हाई स्कूल बोर्ड की तरफ से परीक्षा होती है। १६३२ ऐसे सेकेण्डरी इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको बोर्ड ने रिकग्नाइज कर रखा है लेकिन उनमें से केवल ९९० को ग्राण्ट मिलती है और आज भी ६४२ इंस्टीट्यूशन्स ऐसे हैं जो कि बोर्ड के जरिये से रिकगनाइज्ड हैं लेकिन उनको सरकार ग्राण्ट नहीं दे पाती है। तो अगर हम यहां पर आंकड़ों की आलोचना करने लगें तो देखेंगे कि कितनों को ग्राण्ट मिलती है और कितनों को स्कालरशिप मिलती है और जैसा कि माननीय मन्त्री जी स्वयं मानेंगे कि जहां तक निःशुल्क शिक्षा का सवाल है हम बहुत ही पिछड़े हुये हैं।

मैं माननीय मंत्री जी को एक सुझाव दूंगा कि वे यदि अधिक नहीं कर सकते तो कम से कम पे कमेटी रिपोर्ट में जो शब्द थे, जो सन् १९४७ में गवर्नमेंट ने पे कमेटी बिठाई थी, उसकी जो रिपोर्ट थी, उसके जो शब्द थे कि इस प्रदेश के उन सभी सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को जिनकी आमदनी ६० रुपये तक है या ६० रुपया माहवार से कम है उनके बच्चों को हाईस्कूल तक निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिये। मैं आप से निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिये और आज वह इसके लिये घोषणा करें कि सन् १९४७ की पे कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार निःशुल्क शिक्षा का पहला क़दम यह होगा कि ६० रुपये माहवार तक तनख्वाह पाने वाले जो कर्मचारी हैं उनके बच्चों की शिक्षा निःशुल्क होगी। इसके बाद दूसरा क़दम होगा कि सौ रुपये तक के या उसी औसत की आमदनी के आदमियों के या भूमि में ही ले लीजिये कि ढाई एकड़ तक जिनकी भूमि है उनके बच्चों की शिक्षा निःशुल्क हो जायगी। हम इस तरह से एक प्लान बना सकते हैं कि इतने सालों के अन्दर आर्थिक आधार पर हम अपने यहाँ निःशुल्क शिक्षा कर लेंगे। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री और उनकी सरकार और इस देश के शिक्षा वेत्ता जहां एक ओर शिक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन करने की ओर अपने कदम आगे बढ़ायें वहाँ दूसरी ओर यह भी योजना स्पष्ट कर दी जाय कि इतने वर्षों के अन्दर हम यह चाहते हैं कि संविधान के अनुसार इस देश के और इस प्रदेश के अन्दर निःशुल्क शिक्षा कर दें। इस बात की परम आवश्यकता है। हम अब इस को यह कह कर कि विचाराधीन है, योजनान्तर्गत है या संविधान में ही है, टाल नहीं सकते। हमें स्पष्ट कहना होगा कि हम इतने सालों के अन्दर अपने संविधान के संकल्प को लागू करेंगे और इसको कहने के लिये हमारे अन्दर साहस होना चाहिये। हमारे विकल जी ने साहस की बात कही है। ठीक है, ऐसा ही साहस होना चाहिये, लेकिन कहिये साहस के साथ कि इतने वर्षों के अन्दर २० वर्ष के अन्दर या २५ वर्ष के अन्दर हम अपने प्रदेश में निःशुल्क शिक्षा करना चाहते हैं। इसके लिये हिम्मत होनी चाहिये और इस बात के लिये हिम्मत के साथ हमें योजना बनानी चाहिये।

*श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—अध्यक्ष महोदय, मैं विशेषरूप से इस प्रस्ताव का जो माननीय श्री चन्द जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, समर्थन करता हूं। आज संविधान की दृष्टि से मैं यह नहीं समझता कि इस प्रस्ताव का विरोध किया जा सकता है। विरोध तो अवश्य किया जा सकता है, लेकिन केवल कुछ हिस्से का विरोध किया जा सकता है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री वीरेन्द्रपति यादव]

जहाँ तक प्रारम्भिक शिक्षा का संबंध है, मैं नहीं समझता कि कोई भी भारत का व्यक्ति जहाँ तक कि प्रारम्भिक शिक्षा का निःशुल्क होने का सम्बन्ध है, विरोध कर सकता है। मैं समझता हूं कि जो आर्टिकिल ४५ है उसके शब्द स्पष्ट हैं। उसके हिन्दी के शब्द यही हैं कि प्रत्येक सरकार इस बात का प्रयत्न करेगी कि दस साल के अन्दर वह शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क करे। मैं नहीं समझता कि इन शब्दों के होते हुये किस तरह से, जहाँ तक केवल प्रारम्भिक शिक्षा का संबंध है, उसका विरोध किया जा सकता है। मैं तो कहने के लिये तैयार हूं कि अगर कोई भारत का व्यक्ति इस प्रारम्भिक शिक्षा के निःशुल्क होने का विरोध करता है तो मैं समझता हूं कि वह हमारे संविधान का अनादर करता है और वास्तव में एक ऐसा दोष कमिट करता है, एक ऐसा बड़ा जुर्म कमिट करता है कि वह किसी तरह से क्षम्य नहीं हो सकता। यह तो मैं भी कहता हूं और मैं भी समझता हूं कि हमारे यहाँ परिस्थितियाँ ऐसी हैं, ऐसे आर्थिक संकट हैं जिनके कारण हम प्रारम्भिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क नहीं कर सकते, लेकिन यह होते हुये भी इस बात की आड़ नहीं ली जा सकती। हमारे प्रदेश का स्थान भिन्न-भिन्न योजनाओं के चलाने में प्रथम रहता है लेकिन आज हम देखते हैं कि जहाँ तक शिक्षा का सम्बन्ध है वहाँ हमारा प्रदेश और प्रदेशों से पिछड़ा हुआ चला जा रहा है।

मैं आप के द्वारा चेयरमैन साहब, शिक्षा मंत्री जी का ध्यान बाम्बे सरकार की शिक्षा की योजना की ओर आकर्षित करूंगा। वहाँ के शिक्षा मंत्री ने तीन साल पहले यह घोषणा की थी कि सन् १९५७ ई० तक हम बाम्बे में शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क कर देंगे, लेकिन फिर अभी दो तीन-दिन पहले उन्होंने एक और भाषण दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि हमने जो दो तीन साल पहले घोषणा की थी कि शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क ५७ से कर देंगे उसे हम सन् ५५ से ही करने जा रहे हैं। इसी तरह का क़दम मध्य प्रदेश ने भी उठाया है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारी सरकार ने जो शिक्षा प्रसार की योजना सन् १९४७ ई० में तैयार की थी वह आज बिल्कुल समाप्त हो गयी है। आज हमारी सरकार के सामने शिक्षा प्रसार के लिये कोई योजना नहीं है। मैं नहीं समझता कि जो अनिवार्य या निःशुल्क शिक्षा का स्वप्न हम लोग देख रहे हैं उसे हमारे शिक्षा मंत्री जी हम लोगों के इस जीवन में पूरा कर सकेंगे।

आज हम देखते हैं कि हमारे बीच में जनतंत्र फैला हुआ है और साक्षरता की आवश्यकता है। साक्षरता का अनुमान २० प्रतिशत का लगाया गया है और शायद पंचवर्षीय योजना के बाद यह २५ प्रतिशत हो जायगा। आपने बालिग मताधिकार हमारे किसान भाइयों को दे दिया है और आप ने यहाँ पर सरकार बनाई है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जो कानून आप यहाँ बनाते हैं, जिन किसानों के प्रतिनिधि हो कर, क्या वह किसान, आपके बनाये हुये कानूनों को समझ पाते हैं। आप को उन किसानों को और उनके बच्चों को इस योग्य बनाना है जिससे आपने जो यहाँ पर जनतन्त्र स्थापित किया है उसे वह समझ सकें और उसकी पूर्ति कर सकें। वरना मैं तो समझता हूं कि जो जनतंत्र या डिमोक्रेसी आज हमारे बीच में कही जा रही है वह असल में जनतंत्र न हो कर केवल काग़ज पर ही इसको जनतन्त्र कहा जा सकता है और वास्तव में जो जनतन्त्र होना चाहिये वह जनतंत्र नहीं है। आज मुझे कहना पड़ता है कि जहाँ तक प्रारम्भिक शिक्षा का सवाल है, जो छोटे-छोटे सूबे हैं जैसे राजस्थान को ले लें, मैं समझता हूं कि जिस तरह से वहाँ पर शिक्षा का प्रसार हो रहा है, वहाँ पर जिस तरह से हरिजनों में और पिछड़े भाइयों में उसका प्रचार किया जा रहा है, वह आप के प्रदेश की अपेक्षा कहीं अच्छा है। जब हमारे पड़ोस का ब्रह्मा जैसा देश यूनिवर्सिटी शिक्षा को फ़्री कर सकता है, हमारे देश का काशमीर प्रदेश यूनिवर्सिटी की शिक्षा फ़्री कर सकता है, तो मैं नहीं समझता कि हमारा प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा को निःशुल्क क्यों नहीं कर सकता और खास तौर से ऐसी परिस्थितियों में जब की हमारे प्रदेश का एक सूबा, बम्बई प्रदेश, सन् ५५ से अपने प्रदेश में अनिवार्य शिक्षा करने जा रहा है। यह भी मालूम होना चाहिये कि प्रारम्भिक शिक्षा पर आप आज जो कुछ भी रुपया खर्च कर रहे हैं उसका तीन-चौथाई भाग बेकार जा रहा है और वह बिलकुल पानी की तरह बहाया जा रहा है, पानी में

फेका जा रहा है । इसके लिये एक लम्बा चौड़ा प्रमाण है जिसके सम्बन्ध में दो रायें नहीं हो सकतीं। मैंने एक दफा इसी सदन में कहा था कि प्राइमरी शिक्षा के सम्बन्ध में महात्मा गांधी ने सन् ३७ में वार्धा एजूकेशन कांफ्रेन्स में ये शब्द कहे थे :

"Expenditure on primary education is waste of public money in as much whatever little is taught is soon forgotten.

उनका यही विचार था कि बच्चे पढ़ते जाते हैं लेकिन दूसरे तीसरे और चौथे क्लास में उनकी संख्या घटती जाती है । इस तरह से जब चौथी कक्षा आती है तो वहां सौ में से लड़कों की संख्या केवल २७ रह जाती है । महात्मा गांधी के इस वक्तव्य को देखते हुए हमारे शिक्षा मंत्री जी को सबक सीखना चाहिये और उन्हें इस बात का प्रण करना चाहिये कि हमारे प्रदेश में शीघ्र से शीघ्र प्राइमरी शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क कर दिया जाय । हम इस बात को देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी एजूकेशन में घाटा हो, लेकिन हम यह नहीं देख सकते कि हमारे बच्चों को शिक्षा देर से मिले और विधान और कानून की दृष्टि से जो शिक्षा की सुविधाएं हमारे बच्चों को मिलनी चाहिये उनसे वे वंचित रहें । इस सम्बन्ध में मैं आपसे अधिक नहीं कहना चाहता । केवल यही कहना चाहता हूं कि हमारे शिक्षा मंत्री गांव के निवासी हैं, वे एक किसान हैं और उन्हें किसानों की समस्याओं को अच्छी तरह से समझना चाहिये । किसानों की कोई भलाई और कोई उन्नति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि हमारे माननीय मंत्री जी इस बात का प्रण न करें कि हमें शीघ्र से शीघ्र शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क कर देना है । जो आज संकल्प प्रस्तुत किया गया है उसको वे चाहे मानें चाहे न मानें, लेकिन अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा उनसे यह प्रार्थना करूंगा कि यदि वे श्रीचन्द जी के संशोधन को स्वीकार कर लें तो अच्छा है क्योंकि इससे देश का कल्याण होगा वरना मैं समझता हूं कि हमारे देश का भला नहीं होने वाला है । कम्युनिटी प्रोजेक्ट प्रोहिबीशन और अन्य योजनाओं के सम्बन्ध में हमारा प्रदेश नाम कमाता रहा है और दूसरे प्रदेशों से आगे रहा है लेकिन प्राइमरी एजूकेशन में हमारी सरकार पीछे हटती जा रही है । इसके साथ साथ हम सरकार की थोड़े से हल्के शब्दों में सराहना भी कर देना चाहते हैं और वह यह है शहरों के मुताल्लिक, लेकिन वहीं आलोचना भी आ जाती है कि आज अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की आवश्यकता हमारे गांवों में है लेकिन हम बिलकुल उल्टा देखते हैं कि हमारे नगरों और शहरों में अनिवार्य शिक्षा जारी की जा रही है । शहरों में इसको चालू करना अच्छा है लेकिन मैं समझता हूं कि जहां जरूरत वहां इस चीज को आप नहीं चलाते हैं और जहां जरूरत नहीं है वहां इस चीज को आप चलाते हैं । इसी तरह से आप की और भी योजनाएं हैं । जैसे आप शिक्षा सप्ताह मनाते हैं लेकिन वह वहां पर मनाया जाता है जहां पर जागृति है, जहां पर प्रकाश है । आप शिक्षा सप्ताह शहरों और नगरों में मनाते हैं यद्यपि आपको उसे गावों में मनाना चाहिये जहां उसकी आवश्यकता है । इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि अगर इस प्रस्ताव को श्रीचन्द जी के संशोधन के सहित स्वीकार कर लिया जाता है, तो अच्छा होगा ।

*श्री सीताराम शुक्ल --श्रीमान् अधिष्ठाता महोदय, इस पर मैं चन्द शब्द अर्ज करना चाहता हूं । सब से पहले मैं प्रस्तावक माननीय रणंजय सिंह जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने इस प्रस्ताव को इस मौके पर पेश किया । आप उन चन्द आदमियों में से हैं कि बड़े आदमी यानी पैसे वाले होने पर भी आप शिक्षा में काम करते आये हैं न सिर्फ आपने अपना पैसा खर्च किया है बल्कि विभिन्न मुकामों में आपने शिक्षा का प्रसार किया है । आप भाग्यवान भी हैं और आप का नाम अक्सर निकलता रहता है । आपका नाम रणंजय सिंह है यानी रण में जीतने वाले तो अभी एक लड़ाई जीती गई अंग्रेज गये गुलामी गई । लेकिन आज हमें अशिक्षा को जीतना है, खुदगर्जी को जीतना है, स्वार्थपरता को जीतना है और बहुत सी लड़ाइयां लड़नी हैं । आपने अपनी निगाह दौड़ाई तो वह अशिक्षा पर रुकी । इसलिये आपने सोचा कि पहले अशिक्षा को ही दूर किया जाय । सही बात है कि बिला शिक्षा के बुद्धि का कोई काम नहीं हो सकता है । आप सामान रख दीजिये, पैसा रख दीजिये लेकिन बुद्धि नहीं होगी तो आप का काम नहीं चल सकता है और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सीताराम शुक्ल]

आती है शिक्षा से । इसलिये सब से पहले आपने इस चीज को शुरू किया । इसलिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

अभी हमारे भाई श्री रामचन्द्र विकल ने इसको अयोज किया । उनके कहने का ढंग निहायत ही अच्छा था और मुझे बहुत पसन्द आया । वह डर रहे थे कि पैसा नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा । मेरा भी एक संशोधन था कि इसको पूरा किया जाय यदि पैसा मिले लेकिन मैंने उसको इसलिये नहीं रखा कि कहीं पैसे के डर के मारे यह प्रस्ताव ही खत्म न कर दिया जाय । मैं कहता हूं कि अगर इच्छा होगी तो पैसा कहीं न कहीं से जरूर निकल आयगा । इसलिये इच्छा होना जरूरी है । मेरी प्रार्थना यह है कि सब ने निश्चय किया था कि यह काम हो और वायदा भी है और यह कहा भी गया है और जाहिर सी बात है कि बिला योग्यता के पाँडित्य नहीं आता है, काम नहीं चला करता है ।

हुजूरवाला, मैं अर्ज करता हूं कि बहुत से बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं । यहां एक साहब ने बतलाया था कि हरिजनों की तो फीस माफ है लेकिन उन गरीब भाइयों के बच्चे पढ़ते नहीं है । वह सोचते हैं कि पढ़ कर भी क्या करेंगे । अगर पढ़ेंगे तो काम करने की आदत छूट जायगी और फीस भी ज्यादा जायगी । इसलिये वह पढ़ते नहीं है और वह बच्चे अगर पढ़ते तो न जाने क्या होते । उनकी प्रतिभा विकसित नहीं हो पाती है । अगर फीस माफ कर दी जाय तो सबके लिये दरवाजा खुल जाता है कि हर एक बच्चा पढ़ सके । न मालूम किस बच्चे में कितनी योग्यता है, कहां से कहां जा सकता है । लेकिन लोग इससे भी डरते हैं जैसा कि मेरे लायक दोस्त ने बतलाया । यह यूनिवर्सिटी है यहां पर जा कर बच्चे फैशनेबिल बन जायंगे और सिनेमा वगैरा देखेंगे और बेकारी फैलेगी । बेकारी तो अंग्रेजी तालीम से होती है जहां सिखाया जाता है कि "ईट ड्रिंक एंड बी मैरी" खाओ, पीओ और खुश रहो । लेकिन जहां यह सिखाया जाता हो कि---

यावज्जीवेत् सुखं जीवेत्, ऋण कृत्वा घृतं पिवेत् :
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम् कुतः ।

जब तक जीओ सुख से जीओ, और कर्जा लेकर घी पीओ । इस भस्मीभूत देह का आना फिर हो या न हो । लेकिन उनको भारतीयता की शिक्षा दी जाय तो बेकारी नहीं आती है । वहां तो सेवा भाव पैदा होता है । यह सिखाया जाता है कि:---

उत्तम् ते पुरुषाः परार्थ घटका : स्वार्थ परित्यज्ये ।
तेपि मानुष राक्षस : परहितं स्वार्थय निघनन्तये ।
ये निघनन्त निरर्थकं परहितं ते केन जानी महे ।

सब से उत्तम पुरुष वह है जो अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों का लाभ करते हैं, मध्यम पुरुष वे हैं जो दूसरों का फायदा देखते हैं और अपना भी देखते हैं, राक्षस वे हैं, जो अपने फायदे के लिये दूसरों का नुक्सान करते हैं और जो बिना अपना किसी फायदे के दूसरों का नुक्सान करते हैं, वे क्या हैं हम नहीं कहना चाहते इसको हम जानते नहीं है ।

जहां यह सिखाया जाता है कि :---

हतो व प्रापस्यसि स्वर्ग जित्वा व भोक्ष्यसे ।
महीमे तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धायकृत निश्चयः ।

यह संस्कृत की चीज है । इसको पढ़कर आपके नौजवान फांसी के तख्ते पर झूलेंगे क्योंकि मरने के बाद जन्म होता है । अगर ऐसी शिक्षा दी जाय तो आपके यहां बेकारी नहीं आयगी और मैं अर्ज करता हूं कि शिक्षा मंत्री जी जरा दिलचस्पी ले लीजिये । मैं एक स्कीम दे सकता हूं कि हर गांव में १० बीघा जमीन दे दीजिये । मैं इतना वादा करता हूं कि उस १० बीघा जमीन से इतना खर्चा निकल आयगा कि हर गांव का स्कूल आसानी से चल जायगा । मेहरबानी करके

आप उत्साहित कीजिये कि जो रिटायर अफसर हों वे अध्यापक बन जायं बजाय इसके कि धनी बनने की, पैसा कमाने की कोशिश करें। आपने यह फरमाया कि जमींदार अपनी छावनी दे दे । आपके रिश्तेदार रुदौली के ठाकुर साहब ने जैसा किया और आप को सुन कर खुशी होगी कि मेरे जिले के पं० श्री कृष्ण जी पांडेय ने अपना एक मौजा लगा दिया है, जबकि जमींदारी टूट गयी है। उनकी बीबी ने कहा कि बहुत अच्छा मौजा है, बड़ी अच्छी जमीन है। उन्होंने कहा कि मैं अपने जिले को अपना बच्चा मानता हूं । हमारे जिले के अब्दुल खैर साहब हैं जिन्होंने जबकि पाकिस्तान बन जाने के बाद लोग इधर उधर की सोच रहे थे, एक कालिज खोल रखा है। शिक्षा ही उनका वर्क है । तो मेरी गुजारिश है कि जरा आशीर्वाद दें, पीठ ठोंकें । जरा हाथ मिला लीजिये, पान खिला दीजिये। इज्जत के लिये आदमी मर सकता है, पब्लिक की सेवा के लिए फांसी पर चढ़ सकता है, तो आनरेरी अध्यापक भी आपको मिल सकते हैं। आप कोशिश करें कि उसी की कथा होगी, वही पुरोहित होगा जो आनरेरी कथा पढ़ेगा । तो काफी पढ़ने वाले मिल जायंगे । जब हमारा देश गुलाम था और पढ़ने के साधन नहीं थे तब तो हमारे यहां गांधी ऐसे आदमी पैदा हुये, जवाहरलाल ऐसे आदमी पैदा हुए, चन्द्रशेखर आजाद ऐसे पैदा हुए और जिस वक्ट शिक्षा दे देंगे, पढ़ायें अपने देश को तब न मालूम यहां क्या होगा । कौन-कौन सी स्त्री पैदा होंगी । लक्ष्मीबाई ऐसी स्त्रियां पैदा होंगी । राम कृष्ण ऐसे बच्चे पैदा होंगे । कम्पलीट इंडिपेंडेंस का प्रस्ताव यहीं से पास हुआ और आजादी प्राप्त हुई, स्वराज्य हुआ । ऐसे ही सबसे पहले आप निःशुल्क शिक्षा का प्रस्ताव कीजिये ताकि देश और सब सूबे आपकी नकल करें, बल्कि सारे संसार को आप लीड करेंगे और वही जमाना फिर लौट आयेगा कि शंकाराचार्य मंडन मिश्र का मकान ढूंढ़ते हुए निकले तो एक पनिहारी ने कहा :

"जहां पर सुख का वर्णन है, कि संसार सत्य है या असत्य है। जिनके दरवाजे पर विद्यार्थी वेद पाठ कर रहे हैं आप समझ लीजिये कि मंडन मिश्र का मकान वही है "।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर) ——मान्यवर, मैं इस वाद-विवाद में जरा पहले ही इसलिये भाग लेना चाहता था कि मुझे माननीय रणंजय सिंह जी के प्रस्ताव के सम्बन्ध में ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ गलतफहमी सी हो गयी है । मूल प्रस्ताव हाई स्कूल तक की शिक्षा को निश्शुल्क कर देना चाहता है । मैं नहीं समझ सका कि हाई स्कूल से तात्पर्य क्या है । विगत मंत्रिमंडल में माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने हमारी हाई स्कूल शिक्षा का एक दूसरा रूप कर दिया था और वह रूप यह था कि नाइंथ से लेकर ट्वेल्थ तक की कक्षाओं को मिला कर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बना कर हायर सेकेंडरी शिक्षा का नामकरण किया था और एट्थ क्लास तक के लिये जूनियर हाई स्कूल कर दिया था। इस सम्बन्ध में वर्तमान शिक्षा मंत्री के शासन काल में थोड़ा बहुत परिवर्तन जो हुआ उसकी बहुत कुछ जिम्मेदारी मेरे ऊपर है । हमने माध्यमिक शिक्षा परिषद में इस चीज को महसूस किया कि पुराना जो तरीका था, जिस तरीके से कि नाइन्थ क्लास की मान्यता दे देने के बाद दो साल के बाद शिक्षा विभाग स्वतः डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स खुद अपने जिले में उस स्कूल को इजाजत दे देता था ग्यारहवीं कक्षा खोल देने की और इस प्रकार से नौ से लेकर १२ तक कक्षायें खोलकर वह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हो जाते थे, श्रीमन, इसमें मैंने कुछ त्रुटियां देखीं और इसलिये जो सिफारिश हमने की, जिसको इंटरमीडिएट बोर्ड ने पास किया और जो शिक्षा विभाग से भी स्वीकार हुई वह यह कि नवीं और दसवीं के बाद ग्यारहवीं और बारहवीं की मान्यता हम अब स्वयं देते हैं, यानी जो रिकगनीशन कमेटी है वही सोच समझ करके और यह देखकर के स्वीकृति देती है कि यह इसके चलाने के योग्य भी है या नहीं, यह नहीं है कि सिर्फ इसलिये कि दो साल तक स्कूल चल गया इसलिए ११ वीं कक्षा खोलने की भी अनुमति दे दी जाय बल्कि हम यह देखते हैं कि वह स्कूल ११ वीं कक्षा खोलने के योग्य भी है या नहीं और आज श्रीमन्, जब हम निःशुल्क शिक्षा के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि जरा इन बातों पर भी गौर कर लिया जाय कि वास्तव में क्या यह आवश्यक है कि स्कूलों और पाठशालाओं की संख्या बढ़ायी जाय क्योंकि शिकायत तो हो सकती है कि पिछले शिक्षा मन्त्री महोदय ने बहुत से स्कूल खोलने चाहे थे और वर्तमान शिक्षा मन्त्री के समय में शायद स्कूल उतने ज्यादा नहीं खुल रहे हैं।

[श्री पूर्णानन्द वर्मा]

इसकी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी तो मेरी भी है इसलिये कि उन स्कूलों कि मान्यता के सम्बन्ध में बहुत कुछ छानबीन हम कर रहे हैं । अभी माननीय नारायण दत्त जी ने यह कहा कि ये जो एक हजार ३२ हायर सेकेंडरी स्कूल हैं उनमें कितने स्कूल ऐसे हैं जिनको सरकारी सहायता मिलती है, तो इसके विषय में एक साफ बात है । जो उन स्कूलों से आते हैं और चाहते हैं कि स्वीकृति प्राप्त हो उनसे हम पूछना चाहते हैं और पूछते हैं कि आया उनके पास इतना साधन है भी या नहीं कि वह अपने मास्टरों की तनख्वाह दे सकें और अब तो वह जमाना चला गया कि बिना १५ हजार रुपये का निश्चित रूप से साधन हुए बिना इस बात की पूरी छानबीन किये कि पहली तारीख को मास्टरों की तनख्वाह मिलेगी या नहीं हम तो किसी को भी इजाजत नहीं देते हैं । स्कूलों को खोलने वाले जब दौड़ धूप करते हैं तो हमको बहुत-बहुत से अनुभव भी होते हैं जैसे मैं एक उदाहरण बताऊं कि एक बहुत अच्छा स्कूल कहा जाता था । उस स्कूल के बारे में बड़ी शिकायत थी कि उसको उच्च कक्षा खोलने की स्वीकृति प्राप्त नहीं होती । मैं स्वतः इस बात की छानबीन करने के लिये वहां गया । एकाएक पहुंच गया । क्लास चल रहा था, साढ़े दस बजे का समय था । प्रधानाध्यापक महोदय अपने क्लास में नवीं कक्षा जिसे कि बिना मान्यता के चला रहे थे, उस क्लास में बैठे हुए अपनी हजामत बना रहे थे । आधी दाढ़ी बना चुके थे और आधे हिस्से में साबुन लगा हुआ था और मुझे देखकर जब पोंछना भी चाहा तो यह तो सम्भव नहीं था कि इतनी जल्दी में आधी दाढ़ी बना लेते । मैंने जब पूछा तो मालूम हुआ कि साहब वक्त नहीं मिलता । तो ऐसे स्कूल हैं जो कि चाहते हैं कि सरकारी सहायता प्राप्त हो उनको, लेकिन उन स्कूलों में मैं गया हूं और मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहता हूं जहां पर कि प्रिंसिपल साहब की तनख्वाह थी ३० रुपये, वहां पर सेक्रेटरी की तनख्वाह थी ३० रुपये, हेडक्लर्क की तनख्वाह भी ३० रुपये और मैनेजर की तनख्वाह भी ३० रुपये मासिक थी । तो मुझे आश्चर्य हुआ कि आखिर यह ३० रुपये का कैसे, समां बंधा हुआ है । देखने पर मालूम हुआ कि एक ही आदमी प्रिंसिपल है, वही सेक्रेटरी है , वही क्लर्क है और वही मैनेजर है और इस प्रकार से ३०, ३० रुपये चार मदों से लेकर वह १२० रुपये लेता है । तो यह तो स्कूलों के विस्तार की परिस्थिति है । इनको कैसे पनपने दिया जाय और कैसे इनको आगे कक्षायें खोलने दिया जाय । यह मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं ताकि शिक्षा के सम्बन्ध में हम इन दो चार बातों को ध्यान में रख सकें । एक बात और मैं निवेदन करूं । यह तो हम बहुत आसानी से कहते हैं कि हमको निःशुल्क शिक्षा करनी चाहिए और मैं समझता हूं कि अवश्य करनी चाहिए। निःशुल्क जिसमें कि हर एक आदमी को बिना किसी मूल्य, बिना किसी फीस के शिक्षित किया जा सके । श्रीमन् इस भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि सारे संसार में जब से समाजवादी विचारधाराओं ने पनपना शुरू किया वास्तव में उसी समय से शिक्षा के ऊपर यह एक सिद्धान्त प्रतिपादित हुआ है । बड़ा सुन्दर सिद्धान्त है और इसको मानना भी चाहिए । लेकिन इसमें बड़ी कठिनाई है । आज से नहीं पांच सौ साल से इस बात की बहुत काफी बहस छिड़ी हुई है कि सचमुच शिक्षा देना क्या राज्य का धर्म है या नहीं अथवा स्वतः नागरिकों का कार्य है कि वह शिक्षा दें । शिक्षा क्या स्टेट मानोपली है या नागरिकों का स्वतः अधिकार है । मैं अपने माननीय मित्र से निवेदन करूंगा कि जिस समय कम्पल्सरी एजूकेशन नाम की चीज जब कि क्रेज, या भावना पनपी, इसके पनपाने का श्रेय यूरोप को है और उनको है जो प्रोटेस्टेन्ट विचारधारा के ईसाई थे और जो चाहते थे कि बायबिल पढ़ना अनिवार्य हो । उन्होंने यह स्लोगन उठाया कि कम्पल्सरी एजूकेशन हो । इस सम्बन्ध में एक बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन १५५९ में हुआ । और उसमें कहा गया कि शिक्षा कम्पल्सरी होनी चाहिए । उसमें एक धार्मिक विचारधारा के मानने वालों ने यह बात उठायी कि खबरदार राज्य का यह कर्तव्य नहीं है । यह निजी कार्य है । राज्य को इसमें दखल नहीं देना चाहिए । मैं इसके विषय में कुछ यह जानता हूं जो ईसाइयों का निर्णय है । एक पोप पायस ग्यारहवें हो गये हैं, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण फतवा १९३० में दिया था । जिसमें उन्होंने लिखा है कि राज्य चाहे शिक्षा दे लेकिन शिक्षा का काम धार्मिक है, इसमें राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। किन्तु श्रीमन्, जैसा कि मैंने निवेदन किया समाजवादी

विचार धारा ने इस विषय को बहुत काफी प्रभावित किया कि राज्य को अब इस कार्य को अपने हाथ में लेना चाहिए। परन्तु वह रूप अब विकृत हो गया। वह किस प्रकार से हुआ उसके मैं दो उदाहरण दे सकता हूं। एक तो फासिस्ट इटली का दूसरा कम्यूनिस्ट रूस का। रूस और इटली दोनों की विचारधाराओं में साम्य है। उन्होंने लोअर ग्रेड की शिक्षा का पाठ्यक्रम को स्वतन्त्रता प्रदान कर दी कि अपना पाठ्यक्रम स्वतः निर्णय कर लें। लेकिन जो उनका पोलिटिकल थाट है, उनकी पार्टी की राजनीति है, उसके विपरीत एक शब्द भी शिक्षा दी जायगी तो वे स्वीकार नहीं करेंगे। रूस और इटली की शिक्षा में इस राजनीतिक विचारधारा के कारण, स्टेट मानोपली के कारण इंग्लैंड के समाजवादी दल पर यह असर पड़ा कि वर्षों तक उन्होंने इसका विरोध किया कि शिक्षा के काम की मानोपली गवर्नमेंट को नहीं देनी चाहिए। यहां पर इतने इतने बड़े विद्वान मित्रगण बैठे हुए हैं। उनको पता होगा कि कम्पल्सरी एजूकेशन की बात फ्रेंच रेवोल्युशन में सबसे ज्यादा पैदा हुई। और आज कल की बीसवीं सदी में १९११ से यह सिद्धांत माना गया कि राज्य को शिक्षा देनी होगी। तो आज हमारे सामने इस शिक्षा के सम्बन्ध में जो हमारे सम्भ्रांत सदस्य मांग करते हैं उनको बहुत बातों पर विचार करना होगा। इंटर-मीडिएट बोर्ड के विषय में शिकायत होती है कि बहुत से विषय लाकर रख दिये गये हैं। हमारे जिन मित्रों को यह शिकायत है उनको इस बात की भी जानकारी है कि इस में इंटरमीडिएट बोर्ड भी क्या करे? गवर्नमेंट ने अपनी एक पालिसी निश्चित की। उसी पर उसको चलना है। लेकिन अमेरिका ऐसे देश में प्रारम्भिक स्टेज में २६ विषय होते हैं। २६ विषय विद्यार्थी को पढ़ने पड़ते हैं। हमारे यहां २६ के स्थान पर सात आठ विषय ही हैं। यह सोचना कि हिन्दुस्तान का बच्चा अमेरिका के बच्चे के मुकाबले में बोदा होता है यह मेरी समझ में नहीं आता। इस प्रश्न को व्यावाहारिक रूप में देखना होगा। वह इस तरह से हम देख सकते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में जहां तक मैं समझता हूं ५ वर्ष से लेकर शायद २० वर्ष की उम्र के बच्चों का यह सवाल है कि उन को शिक्षा अनिवार्य दी जाय। तो ५ वर्ष से २० वर्ष तक के बच्चों की संख्या जहां तक मैं समझता हूं हमारे प्रदेश में १९११ में शायद १ करोड़ ५५ लाख थी और आज १९५१ की जनगणना २ करोड़ १२ लाख थी। तो अब आप इस बीच में देखें कि यह संख्या कितनी बढ़ गयी। इस एज ग्रुप में दूसरी तरफ अगर शिक्षण संस्थाओं को देखा जाय तो आप देखेंगे कि पिछले ५० वर्षों में यानी १९०२-३ में हमारे उत्तर प्रदेश में १३० शिक्षणीय संस्थायें थीं और आज १९५१ में उनकी संख्या ३९ हजार हो गयी। तो ये हमारी शिक्षणीय संस्थायें तिगुनी बढ़ीं। लेकिन जन संख्या का औसत देखें तो ऐसा प्रतीत होगा कि अगर आज उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट निश्चय करे भी कि हम उनको शिक्षा दें तो किस ग्रुप को लेकर चलेगी और कैसी शिक्षा निश्चय कर पायेगी। इसमें जो कठिनाई पड़ेगी उसे मैं बतलाना चाहता हूं। जूनियर हाई स्कूल को पहले लीजिये। पहले तो जूनियर हाई स्कूल नाम की कोई चीज थी नहीं लेकिन जब उस नाम की चीज हुयी तो पहले जहां उनमें विद्यार्थियों की संख्या ६० हजार थी जिसमें १० हजार लड़कियां थीं वही ५०-५१ में उनकी संख्या इतनी अधिक बढ़ गयी कि लड़कों की संख्या २ लाख ७८ हजार लड़कियों की संख्या ६९ हजार हो गयी। जूनियर हाई स्कूल की पोजीशन यह है। दस साल पहले हाई स्कूल ६७४ लड़कों के स्कूल और १२७ लड़कियों के थे। हाइयर सेकेंडरी हमारे यहां १९५१ में ८३३ लड़कों के और १५४ लड़कियों के स्कूल हो गये हैं और इस प्रदेश में लड़कों की संख्या सवा चार लाख हो गयी है। इंटरमीडिएट बोर्ड ने इस बार परीक्षा के लिये साढ़े चार लाख पर्चे छपवाये। जब विद्यार्थियों की संख्या इतनी अधिक बढ़ गयी हो, जब विद्यार्थियों का औसत इतना हो तो किसी ऐसी स्थिति में भी एज ग्रुप का हम दूसरे से इसलिये तुलना नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में ११ से लेकर १४ वर्ष तक और १४ वर्ष से लेकर १९ वर्ष तक दो एज ग्रुप हैं। उत्तर प्रदेश में ११ वर्ष से ले कर १४ वर्ष तक के ऐज ग्रूप आबादी में प्रतिशत करीब १२.७ है जब कि उसके मुकाबिले में संयुक्त राज्य अमेरिका का ७.५ प्रतिशत है। इसी तरह से १४ वर्ष से लेकर १९ वर्ष तक के एज ग्रूप का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में ८.३ है और उसके मुकाबिले में संयुक्त राज्य अमेरिका में ७.३ प्रतिशत ही है। फिर अमेरिका

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

में गिरजाघरों द्वारा २५ लाख शिक्षणीय संस्थायें चलायी जाती हैं। संयुक्त राज्य ऐसे देश में जहां शिक्षा का इतना साधन है वहां उसके मुकाबिले में उत्तर प्रदेश में साधन का अभाव और विद्यार्थियों की संख्या अधिक हो और जहां पाठ्यक्रम के विषय में कुछ निश्चय न हो पाया हो वहां कैसे सबके लिए निःशुल्क शिक्षा हो सकती है। मैं चाहता हूं सदन मेरे इस निवेदन को दृष्टि में रखते हुए इस प्रश्न पर थोड़ा सा विचार अवश्य करेगा।

श्री राज नारायण—माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज माननीय रणंजय सिंह जी ने जो प्रस्ताव रक्खा है, वह निःशुल्क शिक्षा का प्रस्ताव है और इसमें कुछ संशोधन भी आये हैं और इस सदन को मालूम होगा कि माननीय रणंजय सिंह जी ने जूनियर हाई स्कूल का जो संशोधन था उसे मान भी लिया है। अब उनका प्रस्ताव इस तरह से हो गया है कि जूनियर हाई स्कूल तक, जिसके मुताबिक आठवां क्लास आता है, शिक्षा निःशुल्क दी जाय। यह पद्धति से चाहे भूतपूर्व शिक्षा मंत्री की रही हो या वर्तमान शिक्षा मंत्री की रही हो या इन दोनों शिक्षा मंत्रियों के बीच में माननीय परिपूर्णानन्द वर्मा की जो देन है उसका लबो लुबाब हो। मगर सबका यही अर्थ निकलता है कि शिक्षा पद्धति में कोई विशेष तब्दीली नहीं हुयी है सिवा इसके कि नामकरण की बात है। माननीय परिपूर्णानन्द जी ने आठवें तक जूनियर हाई स्कूल कर दिया है ९ और १० हाई स्कूल और हाइयर सेकेंडरी में ले लिया ११वां और १२ वां क्लास इससे यहां कोई मतलब नहीं। शिक्षा में स्टेट का कितना दखल है इसका उन्होंने हवाला दिया, लेकिन इसको इतना कन्फ्यूज कर दिया कि हम कुछ समझ नहीं पाये कि क्या विषय है और कहां वह बोल गये। असल में हमको देखना यह है कि वस्तुस्थिति क्या है। उन्होंने अपने तर्क के प्रतिपादन में आबादी का जिक्र कर दिया कि अमेरिका की कितनी आबादी बढ़ रही है और उत्तर प्रदेश की कितनी आबादी बढ़ रही है और शिक्षा के क्रम को सरकार ने इतना बढ़ाया है और सरकार उसके लिये इतना करने जा रही है। सरकार जो कुछ करे किन्तु सवाल यहां पर केवल इतना है कि सरकार अपने मुल्क की जनता को शिक्षित करना चाहती है या नहीं। यह सीधा सादा सवाल यहां पर आता है कि हमारे सूबे की जनता शिक्षित है या नहीं। हम यह जानना चाहते हैं कि सरकार की नीति इस सम्बन्ध में कैसी हो? क्योंकि माननीय परिपूर्णानन्द जी आज जिस शिक्षा व्यवस्था को बहुत बड़ी देन सरकार की कहते हैं हम उसको इस प्रकार से नहीं मानते हैं। राज्यों में सबसे बड़ा हमारा यह प्रान्त जिसमें इस, वर्तमान प्रणाली को, जिसकी बुराई खुद माननीय परिपूर्णानन्द जी ने की है, उस प्रणाली को हम चाहते हैं कि उसके विषय में माननीय परिपूर्णानन्द जी इस तरीके से सरकार को प्रेरित करें कि जिससे यहां की यह शिक्षा निःशुल्क हो। यह जूनियर हाई स्कूल तक की जो शिक्षा है यह तो निश्चय ही निःशुल्क होनी चाहिये।

(इस समय ४ बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

जब शिक्षा मंत्री जी ने म्युनिसिपल बोर्डों से कह दिया कि सरकार शिक्षा में मदद नहीं देगी, जूनियर बोर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल न चलायें तो इसके क्या माने। शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट यह घोषित किया था कि उनका (बोर्डों का) काम यह नहीं है कि वे शिक्षा को चलावें। सरकार का काम है कि वह शिक्षा को चलावे। जब यहां पर इस प्रकार का असंगत विचार हो तो उस सरकार को माननीय परिपूर्णानन्दन जी स्वयं समझें कि किस प्रकार से उनका मेल खा सकता है। हमारे सामने तो यह बात है कि श्री रणंजय सिंह जी का प्रस्ताव जो सदन के सामने प्रस्तुत है वह यह कहता है कि जू० हाई स्कूल तक शिक्षा को निःशुल्क होना चाहिये। इसमें हम यह समझते हैं कि इस सदन के माननीय सदस्यों की दो राय नहीं होनी चाहिये। हमारे उत्तर, प्रदेश में शिक्षा की फीस बहुत ज्यादा बढ़ायी गयी है। सन् १९४६ ई० में यहां पर उस फीस इन्हान्समेंट (फीस बढ़ोत्तरी) के विरुद्ध छात्रों का प्रान्त व्यापी आन्दोलन भी चला था। हर दृष्टिकोण से चाहे किसी मुल्क की बात उन्होंने (परिपूर्णानन्द जी) कहीं हो वह इस

बात को मान गये कि अपना मुल्क जो पिछड़ा हुआ है उसकी तुलना विदेशों से नहीं करनी चाहिये। श्रीमन्, इससे हमारी परेशानी और बढ़ी जब कि माननीय परिपूर्णानन्द जी ने श्री रणंजय सिंह जी के प्रस्ताव का विरोध किया और कुछ उसके विरोध में उद्गार भी प्रकट किये। उन्होंने साफ-साफ कारण तो नहीं बताये क्योंकि वह तो इस बात को मानते हैं और दूसरे देशों से बहुत बड़ी रकम लेने की बात वह करते रहते हैं। तो शिक्षा व्यवस्था के लिये अगर बहुत बड़ी रकम लेकर खर्च करें तो उनके लिये कोई परेशानी नहीं होनी चाहिये। हमारा तो यह कहना है कि अपने राज्य की जितनी आमदनी है, इस राज्य की आमदनी को आप देखें कि हम शिक्षा पर कितना खर्च करते हैं। क्या आज जो आमदनी है सरकार के पास, इसी आमदनी से शिक्षा के लिये सुविधा करके और ज्यादा रुपया आमदनी से निकाल सकते हैं या नहीं। हम ऐसा समझते हैं कि अगर शिक्षा के लिये अच्छे तरीके से यदि प्लानिंग की जाय तो इसी ८३ करोड़ बजट के अन्दर से हमारा यह मत है कि जूनियर हाई स्कूल तक की शिक्षा के लिए मुफ्त शिक्षा हो सकती है। हमने बजट पर सामान्य वादविवाद करते हुए यह बताया था कि गतवर्ष १५ लाख रुपया बचाया गया शिक्षा के मद से। आज भी अगर वह बजट के आंकड़ों को देखें और माननीय परिपूर्णानन्द जी समझने का प्रयत्न करें, मगर वह तो इस ओर ध्यान ही नहीं देते कि इस समय बजट में ९ करोड़ ४५ लाख रुपया इस साल शिक्षा के अनुदान के लिए मांगा गया है और पारसाल १५ लाख की बचत हुयी थी। जहां पर ८३ करोड़ का बजट हो वहां केवल ९ करोड़ ४५ लाख रुपया शिक्षा पर खर्च हो, यह बड़े दुख की बात है। केन्द्रीय सरकार ने शिक्षा के सम्बन्ध में जो फाइनेंस कमेटी बनायी थी उसमें एक स्वर से कहा गया था कि प्रांतीय सरकार अपने बजट का २० प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर जरूर खर्च करे। अगर केन्द्रीय सरकार की कमेटी के अनुसार यह प्रान्तीय सरकार काम करे तो इस शिक्षा बजट की रकम को बढ़ा कर दूना किया जा सकता है। उस अवस्था में ९ करोड़ रुपया के अलावा ७ करोड़ रुपया और रख दिया जाय तो जूनियर हाई स्कूल तक की शिक्षा निःशुल्क बहुत अच्छी तरह से चल सकती है। जहां तक परिपूर्णानन्द जी तथा ट्रेजरी बेंचेज के जितने भी सदस्यों ने इस विवाद में भाग लिया, उससे कोई ऐसी बात मालूम नहीं होती है कि वे सब के सब एक मत पर अटल हों। अपने-अपने विचारों के मुताबिक सब लोगों ने अपने-अपने विचार जाहिर किये। इसलिये हमारा माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि वे माननीय रणंजय सिंह जी के प्रस्ताव पर विचार करें और एक सम्यक दृष्टि डाल कर देखें। अगर वे पुराने विचारों में उलझे रह जायेंगे तो काम बनने वाला नहीं है। इस समय तो हमें यही देखना चाहिये कि हमारी शिक्षा निःशुल्क होगी या नहीं। माननीय परिपूर्णानन्द जी ने समाजवाद की स्थापना की बात कही। जब तक देश में अशिक्षा है तब तक समाजवाद की स्थापना कैसे हो सकती है। समाजवाद की स्थापना के लिये हमें सब लोगों को शिक्षित बनाना होगा। हम इधर-उधर की बातें क्यों करते हैं, हमारी वस्तुस्थिति क्या है इसको क्यों नहीं देखते हैं, जो सीधी-सादी बात है उसीको क्यों नहीं देखते। हमें विचार करना है कि क्या हम मुल्क को शिक्षित बनाना चाहते हैं या नहीं। हमें देखना है कि क्या आजकल हर पढ़ने लायक विद्यार्थी अपनी आमदनी से पढ़ पा रहा है। आज फीस की दरें इतनी ऊंची हैं जिनके कारण विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई छोड़ देनी होती है। आज हमारे यहां का जो सामाजिक ढांचा है उसमें से ४० प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो इन फीस की ऊंची दरों के कारण अपने बच्चों को पढ़ने के लिये नहीं भेज पाते हैं। इसके लिये वे क्या करें? उनके लिये माननीय परिपूर्णानन्द जी अथवा माननीय शिक्षा मंत्री जी को कुछ न कुछ प्रबंध करना चाहिये। यहां बात तो केवल इतनी सी है लेकिन उसके सिलसिले में यह कहना कि प्रोटेस्टेन्ट्स ने क्या किया, बाइबिल पढ़ने के लिये क्या किया बिलकुल निरर्थक है। हां, अगर यह प्रश्न होता कि सरकार शिक्षा में हस्तक्षेप करे या न करे तो मैं समझता हूं कि माननीय परिपूर्णानन्द जी का यह कहना ठीक होता लेकिन यहां तो सरकार शिक्षा पर हावी है।

[श्री राजनारायण]

आज तो हमें विचार यह करना है कि उत्तर प्रदेश के पास आज जो आमदनी का जरिया है, उस आमदनी के जरिये से शिक्षा निःशुल्क होगी या नहीं। मेरा एक बार नहीं कई बार से यह दावा रहा है और मैं समझता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी भी इस बात को मानते हैं कि यदि बजट की प्लानिंग समुचित तरीके से की जाय, इस दृष्टिकोण को सामने रखते हुए कि हमें देश को शिक्षित करना है, शिक्षा को अनिवार्य करना है, बिना शिक्षा के देश तरक्की नहीं कर सकता, न उसमें कोई सुधार हो सकता है, सूबे के बालक और बालिकाओं के लिये शिक्षा की व्यवस्था सबसे पहले होगी तो इसी बजट में से शिक्षा के लिये रुपया निकल सकता है। लेकिन यहां तो दृष्टिकोण ही उल्टा है उसको ठीक तरीके से रखने के लिये--"कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुनबा जोड़ा" किया जाता है। माननीय नारायणदत्त जी ने आंकड़ों की बात कही। मैं तो केवल एक ही बात बता देना चाहता हूं। माननीय परिपूर्णानन्द जी ने कहा कि जूनियर हाई स्कूल शिक्षा को २ लाख कई हजार विद्यार्थियों ने प्राप्त किया.....

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा--यह मैंने कभी नहीं कहा।

श्री अध्यक्ष--बीच में आप विवाद न कीजिये। उनको बोलने दीजिये, जो कुछ आपको कहना हो मेरे द्वारा कहिये।

श्री राजनारायण--तो श्रीमन्, इसीलिये मैं कहता हूं कि ये आंकड़े ठीक नहीं हैं। अगर आपने नहीं कहा तो मैं अपनी गलती मानने के लिये तैयार हूं। आपने नहीं कहा तो ठीक है, आपको नहीं कहना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष--इस प्रकार जवाब सवाल नहीं होना चाहिये। मेरी मार्फत ही बात होनी चाहिये।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, माननीय परिपूर्णानन्द जी ने कहा कि मैं पहले ही इस विषय पर बोलना चाहता था ताकि उसे सुन कर हो उस पर विवाद हो और उन्होंने यह भी बतलाया था कि वर्तमान शिक्षा की जो व्यवस्था है उसकी बहुत कुछ जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर भी है। इसलिए मैं उनका नाम लेता हूं वरना मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहता जो कि यहां इस समय सदन में मौजूद हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के किसी आंकड़े को समझा आपने, कि इस उत्तर प्रदेश में विद्यार्थियों के ऊपर कितना खर्चा होता है।

श्री अध्यक्ष--मैं माननीय राजनारायण जी से कहना चाहता हूं कि वे उनको देख कर न बोलें।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं सरकार से ही कहना चाहता हूं कि कम से कम ट्रावनकोर-कोचीन स्टेट में जहां माननीय राज्यपाल का भी भाषण हुआ और माननीय चीफ मिनिस्टर का भी भाषण हुआ तो उन्होंने बतलाया कि वे १४ वर्ष तक की अवस्था के विद्यार्थियों की शिक्षा मुफ्त करना चाहते हैं। तो जहां ट्रावनकोर कोचीन में ६ से ११ वर्ष तक की अवस्था वाले विद्यार्थी ९८.८, बम्बई में ६४.०, मैसूर में ५७.०, मद्रास में ५२.० हैं वहां उत्तर प्रदेश में ३४ प्रतिशत हैं। और जो एक विद्यार्थी पर खर्च होता है वह ट्रावनकोर में ३.७, बम्बई में ३.६, मैसूर में ३.७, मद्रास में २.१, और उत्तर प्रदेश में १.३ रुपया है। तो इतनी कम आमदनी जहां की शिक्षा पर खर्च होती है वहां शिक्षा कैसे आगे बढ़ सकती है। मैं यह कहने के लिए तैयार हूं कि अगर कोई स्वस्थ और मजबूत सरकार हो तो उसका कर्त्तव्य है कि वह कम से कम जूनियर हाई स्कूल तक के विद्यार्थियों की शिक्षा को मुफ्त व्यवस्था करे। और मैं इसी चीज को कहता हूं कि जूनियर हाई स्कूल के विद्यार्थियों की शिक्षा मुफ्त होनी चाहिये। और अगर माननीय परिपूर्णानन्द जी एक दो घंटा समय दें तो बिना किसी नये टैक्सेशन के इसी बजट के अन्दर से उसके लिये रुपया निकल सकता है। अतः मेरी राय है कि जूनियर हाई स्कूल तक विद्यार्थियों की शिक्षा-फीस अवश्य माफ हो।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस संसार में व्यक्तिगत सम्पत्ति की पवित्रता की रक्षा करते हुए किसी देश में कोई निःशुल्क शिक्षा देना इस वर्तमान समय में कठिन ही नहीं किन्तु असम्भव सा है। हमारे उत्तर प्रदेश में तो और भी असम्भव है। हमारे विचारकों को पहले सोचना तो यह है कि इन नर-कंकालों के बच्चों के सामने पहले दाने देने का प्रबन्ध किया जाय या पहले उनकी शिक्षा की ओर ध्यान दिया जाय। यदि हम इस दृष्टिकोण से विचार करें तो हमें यह पता लगता है कि अभी वह समय देर में आने वाला है जबकि माननीय रणंजय सिंह जी का यह स्वप्न साकार होगा। इस वर्तमान समय में शिक्षा निःशुल्क हो इससे पहले हमारे सामने शिक्षा का कोई स्वरूप ही नहीं है क्योंकि मानव जाति ने अपने जीवन के उद्देश्य को बिलकुल विस्मृत सा कर दिया है। कुछ लोगों के जीवन का लक्ष्य तो आध्यात्मिक है और कुछ लोगों के जीवन का लक्ष्य भौतिक है। तो जब उसका एक स्वरूप नहीं है तो फिर निःशुल्क और सशुल्क शिक्षा की बात बाद की हो जाती है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी अपने रामायण में कहा है, "हरहिं शिष्य धन शोक न हरहीं, ते नर घोर नरक महं परहीं" उनके समय में भी निःशुल्क शिक्षा नहीं थी। वैदिक काल में भी किसी न किसी रूप में शुल्क दिया जाता था, लेकिन वह सच्चे हृदय से दिया जाता था। वह मस्तिष्क का परिवर्तन करने के लिये, जीवन को साध्य बनाने के लिये, वह देना उसका एक अंग था। इस समय निःशुल्क शिक्षा की मांग करना तो राज्य के सामने एक सुन्दर वाक्योच्चारण मात्र है परन्तु इसके इतिहास में वह भाव नहीं है जिससे प्रेरित होकर श्री रणंजय सिंह ने इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया है। मैं श्री रणंजय सिंह जी को व्यक्तिगतरूप से जानता हूं वह एक बहुत सुन्दर भावनाओं वाले व्यक्ति हैं, और बेचारे गरीबों की शुल्क न देने की असमर्थता ने उनको प्रेरित किया है, मांग तो उनकी उचित ही है परन्तु सम्भव है कि इस समय राज्य के लिये ऐसा करना सुकर न हो। क्या ही सुन्दर समय होगा यदि हम ऐसा अपने प्रदेश में वास्तव में कर सकें, लेकिन आज की जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें इस समय निःशुल्क शिक्षा देना असम्भव है। आज पाठशालाओं में जो अक्षर ज्ञान कराया जाता है वह तो शिक्षा का बहुत ही संकुचित अर्थ है। शिक्षा का सम्बन्ध शासन से भी है और शासन भी निःशुल्क होना चाहिये। परन्तु आज यह सम्भव नहीं है। इन दृष्टिकोणों से विचार कर के हम इस परिणाम पर आते हैं कि यह वर्तमान समय में एक शुभकामना मात्र है, एक आदर्श है जो हम अपने सामने रख सकते हैं, परन्तु व्यावहारिक रूप में यह सम्भव नहीं है कि हम इसे कार्यान्वित कर सकें। आज आप कितनी ही प्लान्ड एकनामी की बात करें या कोई भी, किसी भी व्यवस्था की बात करें लेकिन हर चीज का समय होता है। यदि ऐसा समय आया कि संसार में कोई विश्वव्यापी युद्ध न हुआ तो हमारा देश और कांग्रेस सरकार जिस पथ पर चल रही है उससे हमें पूर्ण विश्वास है कि वह समय आयेगा कि हम निःशुल्क शिक्षा इस देश में और अपने प्रदेश में दे सकेंगे। बलपूर्वक हम वह समय नहीं ला सकते, हम नैतिकता के आधार पर ही, उस क्षेत्र में ऊंचे उठ कर ही और सब विषयों से खर्च कम कर के ही इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षा तो एक बहुत व्यापक शब्द है। शब्द शास्त्र के दृष्टिकोण से बहुत अर्थ हो सकते हैं परन्तु व्यावहारिक रूप में निःशुल्क शिक्षा देने के लिये आर्थिक कठिनाई हमारे सामने है, उसके आदर्श से कोई मतभेद नहीं है। मैं दोहराना नहीं चाहता यह बिलकुल निःशुल्क शिक्षा का आदर्श बहुत ही सुन्दर है परन्तु आज की दशा में बिना कर बढ़ाये हुये यह सम्भव नहीं है कि हम शिक्षा निःशुल्क कर सकें। इसको आदर्शरूप में हमें अपने सामने रखना चाहिये और अपने नैतिक बल को बढ़ाना चाहिये।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न पूछना चाहता हूं। अभी सदन में श्री राजनारायणजी भाषण दे रहे थे उसमें उन्होंने कहा था कि परिपूर्णानन्द जी ने जो आंकड़े दिये हैं वे बिल्कुल गलत हैं। तो इस तरह की बात अगर कही जाय कि सारे आंकड़े गलत हैं, तो जिसके विरुद्ध ऐसा कहा जाय उसके लिये क्या तरीक़ा है कि वह साबित करे या कर सके कि वह चीज़ ग़लत नहीं है।

श्री अध्यक्ष—उन्होंने ग़लत शब्द कहा, और ग़लत शब्द कहने में भी कोई ऐसी बात नहीं है, जो पार्लियामेंटरी न हो। अगर वह झूठे शब्द का प्रयोग करते तो अनपार्लियामेंटरी हो सकता था। अभी जो माननीय सदस्य और बोलने वाले हों उनको आप अपना जवाब बतला दें तो वे आपकी ओर से जवाब दे सकते हैं और अगर आपभी बोलने वाले हों तो आपही कह सकते हैं।

शिक्षा मन्त्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—श्रीमन्, शिक्षा का शुल्क से कोई सम्बन्ध नहीं है, शुल्क शिक्षा का आवश्यकीय अंग हो, ऐसी बात भी नहीं है और यदि यह किसी प्रकार से भी सम्भव हो सके कि शिक्षा निःशुल्क हो तो मैं समझता हूं कि देश का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको इसमें कोई आपत्ति हो और कम से कम मैं अपनी ओर से और अपनी सरकार की ओर से माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे लिए इससे सुखद दिन और कोई न होगा जब हम ऐसी व्यवस्था कर सकें कि आरम्भ से लेकर अन्त तक और उसके ऊपर भी यदि सम्भव हो तो बिलकुल ही निःशुल्क शिक्षा दी जा सके। लेकिन प्रश्न तो यह है कि यह हो कैसे? नारायणदत्त जी के तोड़-मरोड़ को मैंने सुना। उन्होंने यह कहा कि माननीय रणंजय सिंह जी के प्रस्ताव में यह तो नहीं है कि अभी कर दिया जाय और इसलिए एक सैद्धांतिक रूप में सरकार को इसे मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैंने उस प्रस्ताव को फिर पढ़ा, लेकिन मुझे दुख है कि मैं उनसे इस मामले में सहमत न हो सका। प्रस्ताव बहुत सीधा सा है: "इस विधान सभा का यह निश्चित मत है कि समस्त राज्य में जूनियर हाई स्कूल तक की शिक्षा निःशुल्क कर दी जाय"। अगर इसका अर्थ यह है कि किसी भविष्य में यह कर दिया जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि यह तो संविधान के डाइरेक्टिव प्रिंसिपिल्स में ही है कि संविधान के आने के दस वर्ष के अन्दर १४ वर्ष तक के लड़कों की फ्री और कम्पलसरी एजुकेशन की व्यवस्था होगी और १४ वर्ष तक जूनियर हाई स्कूल तक वे आ जाते हैं। अगर आप यह चाहते हैं कि वही हो संविधान में जो चीज एक बार निश्चित हो चुकी है, कि १० वर्ष के अन्दर यह व्यवस्था करनी चाहिए कि १४ वर्ष तक के लड़कों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा हो तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं और यदि यह बात नहीं है और यह बात है कि आज ही इसको कर दिया जाय और सदन की यह राय है तो उसमें मुझे आपत्ति है विरोध नहीं और आपत्ति केवल इस कारण है कि यह शायद सम्भव नहीं होगा।

हमारे माननीय विरोधी दल के नेता आंकड़ों के बड़े माहिर मालूम होते हैं। लेकिन ने एक बार कहा था कि आंकड़े ऐसे हैं जिनसे हर चीज साबित हो सकती है, केवल दो चीजों को छोड़कर मर्द को औरत और औरत को मर्द नहीं बनाया जा सकता। तो मुझे पता नहीं कि उन्होंने कहां से आंकड़े दिये। मैंने बजट स्पीच में कहा था और आज फिर दोहराता हूं कि यह कहना कि उत्तर प्रदेश में बजट का केवल १२ प्रतिशत हम शिक्षा पर खर्च करते हैं यह गलत है। मैंने पहले भी कहा था और आज भी दोहराये देता हूं कि करीब-करीब जितने प्रान्त हैं अपने देश में हमने सब जगहों का बजट मंगवाया। और यह देखा कि उनके एजुकेशन बजट में इंजीनियरिंग भी शामिल है, ऐग्रीकलचर भी शामिल है, टेक्निकल भी शामिल है और मेडिकल भी शामिल है और यह सब लेकर ये आंकड़े बने हैं। और हमारे यहां आप जानते हैं कि इन्जीनियरिंग से एजुकेशन बजट का कोई सम्बन्ध नहीं है, ऐग्रीकलचर से एजुकेशन बजट का कोई सम्बन्ध नहीं है, टेक्निकल से एजुकेशन बजट का कोई सम्बन्ध नहीं है और मेडिकल से भी एजुकेशन बजट का कोई सम्बन्ध नहीं है। तो इतनी चीजों को आप निकाल दें और उसके बाद आपका १२ फी सदी हो तो मैं समझता हूं यह हमारे लिए कोई लज्जा की बात नहीं है। भले ही विरोधी दल के नेता के लिए लज्जा की बात हो, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर देखा जाय तो हमारा भी करीब २० प्रतिशत पहुंचेगा जोकि हम बजट में खर्च करते हैं। लेकिन खैर, यह तो उन्होंने चूंकि कहा क्योंकि विरोधी दल के नेता जब खड़े होते हैं तो

आंकड़ों से ही हर बात साबित करने की कोशिश करते हैं, इसी लिए मैंने भी कुछ निवेदन कर दिया। मुझे तो श्रीमन्, ऐसा मालूम होता है कि वे ऐसा समझते हैं कि दुनिया में कोई यदि ठीक पुतला पैदा किया गया है तो वह विरोधी दल के नेता ही हैं और इधर जितने लोग बैठे हुए हैं, वह सब दोषी हैं क्योंकि वह इस बात का प्रयत्न किया करते हैं कि एक ऐसी बात कह करके जो मुझे कम से कम ठीक नहीं मालूम होती। श्रीमन्, थोड़ा विषयान्तर तो अवश्य हो गया उनके कारण और उसका दोष भी उन्हींके ऊपर है।

तो मैंने देखा कि विरोधी दल के नेता और जो माननीय सदस्य इधर से बोल रहे थे, वे शायद दो चीजों के अन्तर में कोई भेद नहीं समझते थे। एक तो शिक्षा और दूसरे साक्षरता। वे तो यह कह रहे थे कि सबको साक्षर बनाना चाहिए। ठीक है, साक्षर बनाना चाहिए लेकिन शिक्षा और साक्षरता यह दो चीजें हैं। किसी को लिटरेट बनाना और किसी को एजुकेटेड बनाना दो चीजें हैं। इस प्रस्ताव का सम्बन्ध लिट्रेसी से नहीं है, साक्षर बनाने से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। इसका सम्बन्ध केवल शिक्षा से है, चाहे वह जूनियर हाई स्कूल तक की शिक्षा हो और चाहे वह हाई स्कूल तक की शिक्षा हो। अब प्रश्न यह है कि क्या वह रुपया बजट से निकल सकता है जिससे कि यह शिक्षा निःशुल्क हो जाय। मैं उनकी बजट की काबिलियत तो नहीं जानता हूं, पारसाल के बजट में यह देखा था कि वह एक करोड़ को एक लाख ही पढ़ा करते थे। तो शायद उसी की वजह से यह कर सकते हों, लेकिन बजट इस भवन के सामने था और वे बता सकते थे कि कहां से वह रुपया काटा जाय और वह रुपया और कामों में न खर्च करके शिक्षा में लगाया जाय।

खैर, मैं समझता हूं कि वास्तव में इस समय हमारे लिए बड़ी कठिनाइयां हैं। मैं यह भी जानता हूं कि यह हमारे लिए उचित है, यह भी समझता हूं कि यह हमारे लिए कल्याणकारी होगा और हमारे लिए बड़े गौरव की बात होगी अगर हम शिक्षा निःशुल्क कर दें। उस ओर हम चल भी रहे हैं क्योंकि मैं आपको बताऊं कि करीब-करीब २५ जिले हमारे यहां ऐसे हैं जहां कि अब प्राइमरी स्कूलों के खोलने की आवश्यकता नहीं रही। वे सेचुरेटेड जिले हैं। सेचुरेटेड इस माने में हैं कि जो, पहले एक योजना बनायी गयी थी कि एक मील या डेढ़ मील के अन्दर प्राइमरी स्कूल होना चाहिए वह योजना हमारे यहां २५ जिले ऐसे हैं जिनमें सैचुरेट हो चुकी है और वहां पर प्राइमरी पाठशालाओं की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जितनी म्युनिसिपैलिटीज हैं उनमें ८६ ऐसी हैं जहां इस समय भी हम कम्पलसरी प्राइमरी शिक्षा दे रहे हैं, जहां वह शिक्षा निःशुल्क है और हर एक के लिए अनिवार्य है। वहां कहीं-कहीं तो बच्चों और बच्चियों दोनों के लिए है और कहीं-कहीं अभी केवल बच्चों के लिए है, बच्चियों के लिए नहीं है। तो हर साल हम उस ओर बढ़ रहे हैं। इसी तरह से हमारे जिलों में भी बहुत से स्थान ऐसे हैं जहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। तो उस ओर हम बढ़ तो रहे हैं लेकिन यह कह देना कि आज हमारे लिए यह संभव है, मैं समझता हूं कि नहीं है और अगर संभव होता तो वह कौन सा ऐसा व्यक्ति होता, कौन सा ऐसा शिक्षा मन्त्री होता जो इसी बजट के अन्दर यह सम्भव होते हुए यह महान कार्य न कर लेता कि हर एक को निःशुल्क शिक्षा दे ले। प्राइमरी शिक्षा तक या जूनियर हाई स्कूल तक और मैं आज दावत देता हूं अपने विरोधी दल के नेता को.....

श्री राजनारायण—बेकार है।

श्री हरगोविन्द सिंह—मैं जानता हूं कि बेकार है, वैसे यह बात दूसरी है कि अपने को हर एक आदमी बड़ा काबिल समझता है। यह तो हर एक आदमी की कमजोरी होती है और मैं भी अपने को बड़ा काबिल समझता हूं। यह मैं जानता हूं कि उसमें से कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर हमारे बजट में से छान-बीन करके वह ऐसी व्यवस्था हमें बता सकें, जिससे टीचरों को हम उतनी तनख्वाह भी देलें जितनी आप चाहते हैं।

श्री राजनारायण---छै मिनिस्टरों को निकाल देंगे।

श्री हरगोविन्द सिंह---इसीलिए तो वह दिन नहीं आने वाला है।

श्री राजनारायण---छै से काम भी ले लेंगे।

श्री हरगोविन्द सिंह---अगर सबको निकाल देने की बात है तो शिक्षा हो चुकी और मैं आपकी शिक्षाकी परिभाषा समझ गया कि सबको निकाल देना ही आपकी शिक्षा है। अच्छा, मेरी तनख्वाह बारह सौ है उसको आप निकाल दीजिये, यह आपको अधिकार है, लेकिन उसमें से आंकड़े निकाल करके बतलाइये कि किस प्रकार मेरे बारह सौ रुपये छोड़ देने से निःशुल्क शिक्षा हो जाती है। तो बारह सौ मेरे और दो सौ आपके और आपने एक बिल पेश किया है जिसमें ज्यादा मांगा है, वह सब मिला करके करीब दो हजार हो जायगा और हमारा आपका मामला ठीक हो जायगा, और उससे अगर निःशुल्क शिक्षा हो जाय, तो आइये हम और आप अभी तय करलें। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें इसका अफसोस है, हम अधिक नहीं कर पाते इसकी लज्जा भी है, और हम अपने अध्यापकों को अधिक वेतन नहीं दे पा रहे हैं यद्यपि हम देना चाहते हैं, मगर जिला परिषदों की यह हालत है कि वे किसी प्रकार अपने बजट को संतुलित नहीं कर पा रही हैं और उसके अलवा मैं यहां से यह कह दूं कि अब प्राइमरी से लेकर जूनियर हाई स्कूल तक कोई फीस नहीं मिल सकती तो यह मेरे लिए तभी सम्भव है जब हम उस कमी को अपने यहां के कोष से पूरा करें, उनको उतना रुपया दें। यह तो आप जानते हैं कि यह उन्हीं का क्षेत्र है। इस प्रकार हम जिला परिषदों को रुपया भी न दें और यहां से प्रस्ताव भी पास कर दें, या उन से कहें कि कोई तुम आमदनी का जरिया निकालो तो सत्याग्रह भी होगा और जो कुछ और दुनिया भर का होगा, वह हम और आप सभी जानते हैं। तो कौन सी तरकीब होगी, मैं नहीं जानता। लेकिन यह जो ९ करोड़ का बजट है इसमें से मेरा अपना ख्याल यह है कि पांच छै करोड़ रुपये के दरमियान केवल प्राइमरी एजुकेशन पर जाता है और चार साढ़े चार करोड़ रुपये के अन्दर जितना और एजुकेशन का विस्तार है उसमें जाता है। जैसा आपने कहा कि युनिवर्सिटी बन्द कर देंगे, मिनिस्टर निकाल देंगे, यह अगर हो जाय तो चार साढ़े चार करोड़ रुपये से निःशुल्क शिक्षा जूनियर हाई स्कूल तक हो जायगी, वरना मैं यह समझता हूं यह एक बड़ा भारी अन्याय होगा कि हम अपनी जिला परिषदों को इस बात के लिए मजबूर करें कि वे इन कक्षाओं की कोई फीस न लें और हम उनकी कमियों को पूरा न कर सकें। चूंकि उन्होंने मान लिया है और जूनियर हाई स्कूल ही तक उनका प्रस्ताव है, इसलिए हमने भी अपने को उसी तक सीमित रखा है। इसलिए इसी तक हमने सीमित रखा है क्योंकि यह तो हम समझते हैं कि हमारे प्रान्त की इस समय आर्थिक दशा ऐसी नहीं है कि इतना बड़ा अनुदान जिला परिषदों को दे सकें, जिससे सम्भव हो सके कि वह अपने यहां की प्राइमरी पाठशालाओं में कोई फीस न लें। यह हमारे लिए सम्भव नहीं है। इसलिए मैं रणंजय सिंह जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस बातको देखते हुए, वैसे उनकी भावना का तो हर एक व्यक्ति आदर कर सकता है, इसमें जो पवित्र भाव है वह हमारे लिए गौरव की बात होगी, यदि हम इसको कार्यान्वित कर सकें, इसमें दो राय नहीं हैं लेकिन हमारी विवशता है जो मैंने आपके सामने रख दी है, यदि आप ठीक समझें तो इसको वापस ले लें। अगर ठीक न समझें तो मुझे मजबूरी होगी कि मैं इसका विरोध करूं।

*श्री चन्द्र सिंह रावत (जिला गढ़वाल)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्यों के भाषणों को ध्यानपूर्वक सुना। मैंने देखा कि इस सदन में इस संकल्प पर जो भाषण हुए हैं, वह दोनों एक्स्ट्रीम पर मुझे नजर आये। पहले भाषण जो इस संकल्प पर हुए हैं वे वस्तुस्थिति से बहुत दूर एक आदर्श को लेकर समय से आगे मुल्क की परिस्थिति से आगे भागने की कोशिश करते हैं। दूसरे प्रकार के भाषण जो गई, गुजरी सड़ी गली व्यवस्था

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज भी समाज के ऊपर धूल की तरह चिपटी हुई है, उसको जितनी जल्दी से जल्दी निकाल देना है उतनी जल्दी उसको बिदयागी देने की आवाज लगाते हैं। गोया इच्छा जरूर रखते हैं।

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को इस बातको देखना चाहिए कि हमारी स्टेट की आर्थिक व्यवस्था इस काबिल है और बजट को देख कर यह बताना चाहिए कि शिक्षा में किस प्रकार प्रगति करना चाहते हैं तो आज परिस्थिति को देखते हुए कहां तक हम आगे जाने के लिए तैयार हो सकते हैं। जहां तक निष्पक्ष भाव से और अपनी आर्थिक हालत को देखकर, लेकिन बजट को देखते हुए यह तो स्पष्ट ही है कि जूनियर हाई स्कूल की शिक्षा को निःशुल्क करना ना मुमकिन सा प्रतीत होता है। भले ही हम आदर्श ऊंचे रखते हों। हम भारतवर्ष के हर एक नागरिक को केवल जूनियर हाई स्कूल की शिक्षा ही नहीं, बल्कि "युनिवर्सिटी और ऊंची से ऊंची शिक्षा देने की कामना करते हैं। लेकिन महज कामना करने से ही हमारे राष्ट्र और हमारे सिटीजन्स का भला नहीं हो सकता है।

मैं समझता हूं कि सक्रिय कदम उठाने से और ठोस कार्य करने से ही हम शिक्षा में आगे प्रगति कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि जो बजट को समझते हैं और जिसने पब्लिक एक्सचेकर के रुपये को देखा है, वह भली-भांति जान सकता है कि इस स्टेट के हर एक नागरिक को जूनियर हाई स्कूल तक की शिक्षा बिना फीस के नहीं मिल सकती है, जैसी कि आज परिस्थिति है, परन्तु हमें शिक्षा निःशुल्क और कम्पलसरी कर देना चाहिए। इसके लिए जो कीमत अदा करना है, मैं समझता हूं कि उसके लिए हर एक व्यक्ति को पूरा-पूरा प्रयास करना होगा और रुपया जुटाने का प्रयत्न हमें करना चाहिए। मैं समझता हूं कि इसमें कोई कदम सरकार को उठा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पंचायत राज्य का उसूल है कि निःशुल्क, अनिवार्य शिक्षा और फ्री मेडिकल एड जिस डेमोक्रेसी के अन्दर नहीं है उसको डेमोक्रेसी कहना महान भूल है। परन्तु यह हो सकता है कि अगर राष्ट्र और स्टेट के फायनेंसेज पूअर (असंतोषजनक आर्थिक दशा) हो तो हम जल्दी से जल्दी उनको बढ़ाने की कोशिश करें और इस उसूल को व्यवहार में परिवर्तित करने में कोई कमी नहीं करनी चाहिये। अब मैं यह बता देना चाहता हूं कि जो लोग यह समझते हैं कि हम इतनी जल्दी शिक्षा में प्रगति करके हाई स्कूल तक शिक्षा निःशुल्क करा सकते हैं, उनको केवल इस सदन में अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर देने से कोई काम नहीं निकलेगा। उनको साथ ही साथ रेसोर्सेज को भी बतलाना पड़ेगा और माननीय सदन के सदस्यों को यह कन्विंस करना पड़ेगा कि हमारे पास रेसोर्सेज जुट सकते हैं और प्रयास करने से बहुत जल्दी हम अपने फाइनेंसेज को मेक-अप करके इस प्रकार की व्यवस्था कर सकते हैं। दूसरी ओर जिन लोगों को अपनी व्यवस्था को आगे बढ़ाने में बड़ी-बड़ी अड़चनें, नजर आती हैं वह लोग तो निठल्ले कहे जा सकते हैं। उनके अन्दर उत्साह नहीं, वह आशावादी नहीं, कमियों को ठोकर मार कर आगे अपने मार्ग का प्रदर्शन करने का और राष्ट्र को उन्नति के पथ पर अग्रसर करने का अदम्य साहस उनमें दिखायी नहीं देता है।

इसलिए मैं समझता हूं कि जिस प्रकार कि आज हमारे उत्तर प्रदेश की स्टेट है, उसके फाइनेंसेज हैं, उनको देखते हुए हाई स्कूल में निःशुल्क शिक्षा करना असम्भव दिखायी देता है। और जब हम प्राइमरी शिक्षा की बात करते हैं तो माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने फरमाया कि २०-२५ जिलों के अन्दर हमारी प्राइमरी एजुकेशन सैचुरेशन प्वाइन्ट पर आलरेडी पहुंच चुकी है। तो मैं समझता हूं कि इस ओर अगर फिर कदम उठाने का प्रयास किया जा सकता है तो हम चन्द वर्षों में इस दिशा में होंगे कि हमारी इस स्टेट में प्राइमरी एजुकेशन निःशुल्क की जा सकती है और कम्पलसरी की जा सकती है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अपने दो साल के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैनशिप के अन्दर, उस जिले के अन्दर फाइनेंसेज न होते हुए भी जहां तक कोशिश की जा सकती थी, हमने उसके फाइनेंसेज को डेवेलप करने की कोशिश की और उसके फलस्वरूप हमने डेढ़ लाख रुपये की उसके फाइनेंसेज में तरक्की की और वहां के करीब ७६०स्कूलों में से १००स्कूलों के अन्दर मैंने फ्री एजुकेशन दिलाने की कोशिश की और मैं समझता

[श्री चन्द्र सिंह रावत]

हूं कि अगर सरकार ने हमको करीब डेढ़ लाख रुपया हमारे फाइनेंसेज के लिए दे दिया होता, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे जिले के अन्दर प्राइमरी एजुकेशन निःशुल्क हो गयी होती।

अब जहां तक टीचर्स की तनख्वाह का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि वह कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि हम जिन्दगी के पहलुओं का वैलुएशन किस प्रकार से करते हैं और शिक्षा को किस कदर महत्व देना चाहिए, जिन्दगी का विकास उस पर मुन्हसिर है। बहुत से लोग अपने शहरों के अन्दर, अपने जिलों को महत्व देते हुए उनके अन्दर उस ऐडवांस्ड स्टेट को पैदा करना चाहते हैं जोकि कतई जिन्दगी के खराब पहलुओं के वैलुएशन को डेवेलप करने में सहायक नहीं होता। अगर हम शिक्षा को सही महत्व देते तो मैं समझता हूं कि जिन्दगी के वह पहलू जिनको हम प्राथमिकता देते हैं और जो कतई इस काबिल नहीं कि हमारे राष्ट्र की इस गयी गुजरी हालत में हमारी प्रायर्टी को क्लेम कर सकते हैं। अगर हम उनको सही प्रायर्टी देने की कोशिश करें तो मैं समझता हूं कि शिक्षा के महत्व से कोई इन्कार नहीं कर सकता और जब तक शिक्षा नहीं होती हमारे घरों के अन्धकार को दूर नहीं किया जा सकता है। हर एक व्यक्ति इसको महसूस करेगा और कांस्टीटयूशन आफ इन्डिया को फैसाइल तरीके से समझने की कोशिश करके ही, मैं समझता हूं कि डेमोक्रैसी का उसूल इस बात का कायल है कि कोई भी स्टेट डेमोक्रैटिक इंस्टीटयूशन आगे प्रगतिशील दुनिया में नहीं बढ़ सकता जब तक कि उस स्टेट के सिटीजन्स लिटरेट और एजुकेटेड न हों। मैं लिटरेसी पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहता। हमारी सरकार उस पर जोर देती है और काफी लाखों की तादाद में रुपया उस पर खर्च करती है। मैं तो समझता हूं कि हमारे इस स्टेट का जो कोई भी बच्चा आज पैदा होता है, उसका यह हक है, फन्डामेंटल राइट है कि उसको प्राइमरी एजुकेशन सरकार की ओर से निःशुल्क और अनिवार्यतः मिलनी चाहिए। अगर हम इस तथ्य को कबूल कर लेते हैं और व्यवहार में उसको अपनाते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि २० साल के अन्दर हमारे उत्तर प्रदेश की स्टेट में कोई भी व्यक्ति हमको मूर्ख नहीं मिल सकता, इल्लिटरेट और अनएजुकेटेड नहीं मिल सकता। पर जिस प्रकार की व्यवस्था आज हमारे स्टेट के अन्दर है उसी तरह से हम अगर बढ़ते चले जायेंगे तो मुझे कम से कम ५० साल से पहले यह नहीं दिखायी देता कि हम इस इल्लिटरेसी को, इस अन्धकार को दूर कर सकेंगे। इसलिए मैं निहायत अदब के साथ यह प्रार्थना करूंगा माननीय सदस्यों से कि हेल्थी माइंड की तरह से उनको इस पर गौर करना चाहिए। हमें इस शिक्षा को टाप प्रायर्टी देनी होगी और कम से कम पांच साल के अन्दर यह करके दिखाना होगा कि हमारे स्टेट के हर बच्चे को कम से कम प्राइमरी एजुकेशन निःशुल्क प्राप्त हो जाती है। अगर हम इस उद्देश्य में फेल हो जाते हैं तो मैं समझता हूं कि हम लोगों का इस सदन में इकट्ठा होना और यह कहना कि हम डेमोक्रैटिक प्रिंसिपल के कायल हैं और उसके ऊपर हम ऐक्ट करते हैं, बिलकुल गलत है। इसमें कोई तथ्य नहीं दिखायी देता।

मैं भावों के आवेश में आकर इस सदन में कभी बात नहीं करता। बहुत से माननीय सदस्य समझते हैं कि मैं जोर से बोलता हूं तो मैं भावों के आवेश में बह कर ऐसा करता हूं, लेकिन मैं हमेशा अपने विचारों को साइन्टिफिकली ऐनालाइज करके कहता हूं और उसी चीज को कहता हूं जो कि फीजिबुल है, जिसको कि कंसालिडेट किया जा सकता है। वरना उस तरह से तो टाक करने से कोई फायदा नहीं है। उससे न हमारा कोई भला हो सकता है और न राष्ट्र ही तरक्की कर सकता है। बहुत ऊंचे-ऊंचे आदर्शों की बातें इस सदन में प्रीच करने से जिनको कि सुनते-सुनते हमारे कान पक गये, कोई लाभ होने वाला नहीं है। मैं समझता हूं कि इतनी ऊंची-ऊंची बात न करके---जैसे कि यह कहा गया है कि एक्जाम्पिल इज बेटर दैन प्रिसेप्ट (उदाहरण देने से कार्यरूप में लाना अच्छा है)। अगर हम एक कदम आगे बढ़ते हैं तो हम अपने राष्ट्र की बड़ी सेवा करते हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से फिर यह एक बार निहायत अदब के साथ प्रार्थना करूंगा कि उनके हाथ में सब ताकत है और सारी जनता यू० पी०

की उनके पीछे है, अगर वह तनिक भी संकल्प इस बातका करते हैं तो कोई भी नागरिक यहां का ऐसा नहीं जो उनका साथ न दे। प्रत्येक व्यक्ति मन से, वचन से और कर्म से उनके साथ चलने के लिए तैयार है।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में जितने भाषण इस संकल्प के ऊपर हुए हैं, मैंने उन्हें ध्यान से सुनने की कोशिश की है। मैं माननीय रणंजय सिंह जी के संकल्प का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, माननीय रामचन्द्र जी विकल ने जो भावनायें इस सदन में प्रगट की हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं। लेकिन मैं उनसे कुछ सवाल करना चाहता हूं। लिपस्टिक बुरी है, भारतीय आदर्श, सिद्धान्त और संस्कृति के विरुद्ध है। लेकिन यह लिपस्टिक बाहर से कौन मंगाता है? क्या सरकार उनके ऊपर प्रतिबन्ध नहीं लगा सकती? केवल कोरा उपदेश देना कि ऐसा काम तुम करो, ऐसा काम मत करो और उस काम के किये जाने की परिस्थितियां पैदा किये जाना यह परस्पर विरोधी बातें हैं। तमाम लक्जरी गुड्स जो हमारे देश में आती हैं और हमारे प्रदेश में भी आती हैं, जिनका इस्तेमाल हमारे देश और प्रदेश के नवयुवक और नवयुवतियां करती हैं, जिनको हम बुरा कहते हैं, उन पर सरकार की ओर से रुकावट होनी चाहिए और वह हमारे देश में नहीं आना चाहिए। सिनेमा देखना---सिनेमा का साइंस तो बुरा नहीं है---स्वयं अपने में बुरा नहीं है। सिनेमा के जरिये हम बड़े अच्छे चित्र जनता को दिखा सकते हैं। उससे शिक्षाप्रद चीजें दिखा सकते हैं। लेकिन जो सिनेमा आजकल प्रचलित है और जिनकी निन्दा विकल जी ने की है और उनसे हम सहमत हैं ऐसे सिनेमा इस सरकार के मातहत आखिर क्यों सेन्सर बोर्ड से दिखाये जाने के लिए पास होते हैं। तो केवल उपदेश देना कि सिनेमा बड़ी बुरी चीज है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जब तक इस देश में यह चीजें आयेंगी, और सस्ते तरीके से लोगों को मिलेंगी, उनका इस्तेमाल करना लोगों के लिए स्वाभाविक बात है। इसलिए मैं चाहूंगा कि यह चीजें, जो बुरी हैं, उनको रोका जाय, सरकार की ओर से। उन से हमारे देश का कोई उत्थान होने वाला नहीं है। उन चीजों को रोकना चाहिए। उन चीजों को देश में आने देना और साथ ही जबानी यह कहना कि न करो, यह बिलकुल परस्पर विरोधी और अव्यावहारिक है।

माननीय परिपूर्णानन्द जी ने कुछ बातें शिक्षा के सम्बन्ध में कही हैं। उन्होंने कहा है कि सोवियट यूनियन में शिक्षा एक विशेष प्रकार की दी जाती है। शिक्षा अनिवार्य है। लेकिन उनकी पार्टी का जो सिद्धान्त है, उसके मुताबिक वह शिक्षा देते हैं। बात बिलकुल सही है। कारण? परिपूर्णानन्द जी वर्मा और वह जिस सरकार के समर्थक हैं उनके पास कोई लक्ष्य नहीं है, कोई गंतव्य स्थान नहीं है, जहां पर वह पूरे समाज को ले जाना चाहते हैं। जिसके अनुसार वह शिक्षा दें और देश में प्रचलित करें। खुद माननीय शिक्षा मन्त्री ने १९५२ में अपने भाषण में कहा था कि हमारा कोई निश्चित लक्ष्य शिक्षा के सम्बन्ध में नहीं है कि वहां हम अपने समाज को ले जायं। मैं साफ कहना चाहता हूं कि यह सरकार शिक्षा के क्षेत्र में अन्धकार में टटोल रही है जैसे कि और क्षेत्रों में वह अंधकार में टटोल रही है। एक चीज को वह तय करती है, थोड़े दिन चलाती है। फिर उसको छोड़ कर दूसरी चीज को पकड़ती है। पिछले वर्षों शिक्षा के सम्बन्ध में लगातार एक के बाद दूसरी तब्दीली हुई उसी क्रम में अब एक नयी स्कीम चली है कृषि शिक्षकों की और अध्यक्ष महोदय मैं आपके द्वारा एक भविष्य वाणी करना चाहता हूं कि यह स्कीम भी फेल होगी।

श्री अध्यक्ष---मैं इसके लिये तैयार नहीं हूं कि आपको भविष्यवाणी सदन को बताऊं।

श्री झारखंडे राय---जहांतक राज्य के फंकशंस (Functions) का प्रश्न है राज्य के फंकशंस बदलते रहते हैं और कम्युनिज्म जिसका एक अंतिम लक्ष्य है वह पूरी एक फिलासोफी आफ लाइफ है---जीवन दर्शन है, कार्य-दर्शन है। वह दर्शन भी हमें बताता है, मैं समझता हूं कि राज्य के फंक्शंस बदलते रहेंगे यह नहीं है कि राज्य जितने काम आज करता है वही सर्वदा करता रहेगा। किसी जमाने में शिक्षा, राज्य के अलावा और संस्थाएं भी देती थीं।

[श्री झारखंडे राय]

आज सरकार भी चलाती है और कुछ और भी संस्थाएं चलाती हैं । कोई युग ऐसा आ सकता है कि राज्य के बहुत से कार्य खत्म हो जायंगे और शिक्षा का कार्य राज्य के हाथ में नहीं रहेगा, प्राइवेट संस्थाएं चलाया करेंगी ।

माननीय परिपूर्णानन्द जी ने कहा कि सोवियट यूनियन में कम्युनिस्ट पार्टी अपने उसूल के मुताबिक शिक्षा देना चाहती है । उसके बारे में मैंने कहा कि चूंकि उनके जीवन का एक लक्ष्य है । वह इंसान को सही मानी में कम्युनिस्ट सोसाइटी का इंसान बनाना चाहते हैं । उनका जीवन दर्शन कम्युनिज्म के आधार पर संचालित होता है । वह महसूस करते हैं कि शिक्षा में रूप का अन्तर उनके अलग-अलग राज्यों में हो । लेकिन आन्तरिक तत्व हर जगह इस प्रकार का होना चाहिये ताकि उनका जो लक्ष्य है वह पूरा हो सके । मैं समझता हूं कि शिक्षा का उद्देश्य पूरे जन जीवन को सुसंस्कृत और उन्नत करना है, हरएक जनसाधारण शिक्षित हो सके, मैं समझता हूं यही शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए, इसमें कोई मतभेद नहीं हो सकता । लेकिन ऊंची शिक्षा के नाम पर जनता की शिक्षा को रोकना यह उचित नहीं है । मैं खुद महसूस करता हूं कि पिछले कई वर्षों से कुछ काम इस सरकार ने ऐसे किये जिनसे मालूम होता है कि कुछ ठोस काम हुए । एक दिन माननीय शिव नारायण जी ने कहा था कि बस्ती में वे जब इलेट्रिक पोल्स को और उनके तारों को देखते हैं, ट्यूबवेल्स को देखते है, तो मालूम होता है कि कुछ काम हो रहा है । हम भी सोचते हैं कि कुछ काम हो रहा है लेकिन जो हो रहा है वह घोड़े के आगे गाड़ी खड़ी करने के समान है । अगर भूमि समस्या का बुनियादी हल इस सरकार ने कर दिया होता, जमीन के पुनः बटवारे के सिद्धान्त के अनुसार, उसके बाद उसके सिंचाई का काम किया होता तो सही क़दम होता, लेकिन दूसरे कदम पर जोर देना और पहली स्कीम को लंगड़ी ही या बिल्कुल छोड़ देना यह चीज गलत हो जाती है । देहातों में जो स्कूलों की संख्या बढ़ी है वह ठोस कदम हुआ है । इस साल जब वित्त मंत्री जी ने कहा कि वेलफेयर स्टेट के लिये शिक्षा प्राण है, वह सही कथन था लेकिन शिक्षा विभाग ने उस प्राण के हरण की कुचेष्टा शुरू कर दी है । अब शिक्षा प्रसार की नीति को छोड़ दिया गया है और क्वालिटी पर जोर दिया जायगा । शिक्षा प्रसार की नीति जो बढ़िया नीति थी और उसी बुर्जुवा सिस्टम के अन्दर उसका प्रसार हो रहा था उसको छोड़ कर अब यह नीति अख्तियार की गई कि हम क्वालिटी पर जोर देंगे । मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि यह कुछ बेकारों की संख्या से भयभीत होकर किया गया है । शिक्षित बेकार हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं उसके कारण जो भयावह स्थिति पैदा होती जा रही है, सरकार उससे भाग निकलना चाहती है । देशकी जनता कितनी अधिक से अधिक साक्षर और शिक्षित होती है, नीचे से जनसाधारण का कितना स्टैंडर्ड उठता है हम इसीको देश की समृद्धि और उन्नति मानते हैं । आचार्य नरेन्द्र देव जी ने श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित के नेतृत्व में चीन गये थे । वहां से लौटने पर उन्होंने एक वक्तव्य प्रकाशित किया था कि चीन में यूनीवर्सिटी स्टैंडर्ड बहुत लो है । चीन में जो और लोग गये थे उनसे पूछने पर मालूम हुआ कि यह बात सही है कि च्यांग काई शेक के चीन के पतन के बाद, वहां का स्टैंडर्ड जरूर अन्य देशों के विश्व-विद्यालयों की अपेक्षा कम हो गया है । लेकिन वहां की सरकार का ध्यान उधर नहीं है । उनका ध्यान इस तरफ है कि पूरी ५० करोड़ जनता साक्षर हो जाय, उनका कितना सांस्कृतिक उत्थान होता है वे इस पर जोर देते हैं । इसलिये फ़िलहाल उनका स्तर नीचा है । लेकिन श्रीमन् यहां इस प्रदेश में माननीय शिक्षा मंत्री शिक्षा की जिस मुर्दा लाश को ढोना चाहते हैं वह अंग्रेजों की देन है और वह देश की जलवायु के अनुकूल नहीं है । यहां की संस्कृति, यहां का मानसिक गठन, यहां की ऐतिहा-सिक परम्परा और यहां के चरित्र निर्माण उसके अनुकूल यह शिक्षा प्रणाली नहीं है जो हमारे यहां चल रही है । इसलिये हम चाहेंगे जैसा कि वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में वायदा किया था कि पूरी शिक्षा प्रणाली में ओवरहालिंग की जरूरत है उसको पूरा करने की चेष्टा की जाय । सरकार को चाहिये कि वह शुरू से इसका सुधार करके ऐसी शिक्षा प्रणाली को

चलाये जो सस्ती हो, सुलभ हो और जन जीवन की उन्नति कर सके और यूनिवर्सिटियों का भारी भरकम खर्च कम किया जा सके। मैंने एक बार कहा था, फिर उसको दोहराना चाहता हूं क्योंकि मैं इसको महसूस करता हूं खासकर कुंभ मेला इंक्वायरी कमेटी की जांच के सिलसिले में प्रकाशित गवाहियों के निकलने पर जिससे मेरा विचार और पक्का हो गया है हमारे देश में जो मठ और मठाधीशों की सम्पत्तियाँ हैं, वे काफी मात्रा में हैं---माननीय परिपूर्णानन्द जी आंकड़ों के पंडित हैं वे शायद इस सम्बन्ध म आंकड़े भी दे सकें---लेकिन मैं जहां तक जानता हूं उसके आधार पर इन मठों की संपत्तियां करोड़ों और अरबों की हैं---उनको सरकार ले सकती है और शिक्षा के काम में सरकार उसे खर्च कर सकती है। आज इन मठों और मठाधीशों के पास बहुत धन है जिसको वे शिक्षा में नहीं लगाते हैं, जो कि उनको लगाना चाहिये। हम चाहते हैं कि उस धन को इस काम के लिये लिया जाय।

श्रीमन् आखिर में मैं यह कह कर खत्म करूंगा कि शिक्षा के विषय में माननीय मंत्री जी और यह सरकार एक बुनियादी तौर पर एक देशीय नीति पर चले। और यह कह कर मैं माननीय रणंजय सिंह जी के प्रस्ताव का, कि शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय और उसको जूनियर हाई स्कूल तक निःशुल्क कर दिया जाय, इसका समर्थन करता हूं। और आशा करता हूं कि उस मांग में कोई दिक्कत न होने के कारण उसको मान लिया जाय।

(इसके बाद सदन ५ बजे, अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,

सचिव, विधान सभा

उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,

१ अप्रैल, १९५४।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४२ पर)

जौनपुर जिले में पहिले श्रमदान पक्ष (२६-१-५३ से १-२-५३) में जो कार्य प्रत्येक तहसील में हुआ है, उसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है--

कार्य का विवरण	जौनपुर	मरिहाऊ	शाहगंज	मछलीशहर	किराकात	योग
सड़कों का निर्माण ..	४ मी० ६ फ० ४५ ग०	३ मी० ३ फ० २०० ग०	२ मी०	१ मी० ४ फ०	१ मी० १ फ०	१२ मी० ७ फ० २५ गज
सड़कों की मरम्मत ..	९ मी०	१५ मी० ६ फ०	७ मी० ११० ग०	१७ मी० ३ फ०	९ मी० ४ फ०	५८ मी० ५ फ० ११० ग०
खाद के गड्ढों का निर्माण ..	६५	२१९	९०	६०	७२	५०६ (८' ५' ४')
गांधी चबूतरों का निर्माण ..	३	९	९	–	१	२२ (२०' २०')
पुलियों का निर्माण ..	१	–	–	१	–	२
नहरों और तालाबों की खुदाई (मिट्टी का कार्य) ..	४९९०० घन फुट	७३१२८ घन फुट	२०३८२ घन फुट	४६१६५ घन फुट	७५९०० घन फुट	२६५४७५ घन फुट
पंचायत घरों की नींव ..	२	२	१	–	१	६
कुओं की मरम्मत ..	–	१	–	–	–	१
खायीं वाले शौचालय ..	–	३७	–	–	–	३७

जौनपुर जिला में दूसरे श्रमदान (१ मई, से १५ मई तक) पक्ष में जो कार्य प्रत्येक तहसील में हुआ है, उसका विवरण निम्न प्रकार है :--

	तहसील जौनपुर	तहसील मरिहाऊं	तहसील शाहगंज	तहसील मछलीशहर	तहसील किराकात	योग
तालाब गहरे किये गये ..	६२	७२	६८	२७	२२	२५१
बन्दी मरम्मत तथा निर्माण ..	५	–	३	३	२	१३
इरिगेशन चैनल ..	–	–	–	२	–	२
नहर के गूलों की सफाई ..	–	–	–	–	२	२
वृक्षारोपण के लिए गड्ढे ..	१,०१२	२६७	४२७	५३६	६६४	२,९०६
नर्सरी के लिए क्यारियां	१३	–	५	२०	२	४०
कच्चे कुओं का निर्माण ..	–	–	९	–	–	९
कुओं की सफाई ..	–	–	२२	–	–	२२
कच्ची सड़क की मरम्मत ..	१२ फ०	६५० ग० ३ फु०	–	–	–	१५ फ० ६५० ग०

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४३ पर।)

क्रमांक	नाम ग्राम	परगना
१	अबदीपुर	गोधनपुर
२	अब्दुल रहीमपुर	,,
३	आलमपुरा	,,
४	अलामावाला	,,
५	असगरपुर	,,
६	बढ़ी वाला	,,
७	बादशाहपुर	,,
८	बालावाली	,,
९	बालचन्द वाला	,,
१०	भदौला	,,
११	मारूवाला	,,
१२	भुआवली	,,
१३	दादूपुर	,,
१४	दल्लावाला	,,
१५	दयालपुर	,,
१६	धर्मापुर	,,
१७	फरखपुर	,,
१८	गिधावली	,,
१९	गौधनपुर	,,
२०	हुसैनपुर	,,
२१	इबराहीमपुर	,,
२२	इदरीसपुर	,,
२३	झीवर हेडी	,,
२४	जागावाला	,,
२५	कलासमा	,,
२६	कानेवाली राम सिंह	,,
२७	कानेवाली बक्सीराम	,,
२८	करनपुर	,,
२९	खानपुर	,,
३०	खेड़की	,,
३१	लालचन्द वाला	,,
३२	भदारपुर	,,
३३	समहरा	,,
३४	माजरी	,,
३५	मसूरपुर उर्फक्यूरण	,,
३६	मोडा बेला	,,
३७	मथना	,,
३८	मिरजापुर मोहनवाला	,,
३९	शाआदतपुर	,,
४०	नमाकतपुर	गौधनपुर
४१	प्रह्लादपुर	,,
४२	पोडों वालो	,,
४३	रुहालकी	,,
४४	सईपुर	,,
४५	शाहपुर	,,
४६	सिकन्दरपुर	,,
४७	टान्डाजलालपुर	,,
४८	तुगलपुर	,,
४९	भाइयापुर	,,
५०	चन्दापुरी बांगर	,,
५१	मोहम्मदपुर	,,
५२	शेपुर बेला	,,
५३	हिम्मतपुर बेला	,,
५४	कुन्दनपुर	,,
५५	शाहजहांपुर उर्फ रडावाली	पुरछपार
५६	मिरजापुर शालजाहपुर	,,
५७	झावरपुर	,,
५८	शेरपुर	,,
५९	शमसनुगर	,,
६०	भान्दुनवाला	,,
६१	सुहेली	,,
६२	शंकरपुर	,,
६३	मेधा	,,
६४	भूराहेडी	,,
६५	धमात	,,
६६	सुवाहेडी	,,
६७	गौधाना	,,
६८	तुगलकपुर	,,
६९	कमहडा	,,
७०	खाई खेडी	,,
७१	अबदुलपुर	,,
७२	मोजाहेडी	,,
७३	सलेमपुर	,,
७४	हरेटी	,,
७५	लखनौती	,,
७६	मसौनी	,,
७७	कलमानपुर	,,

क्रमांक	नाम ग्राम	परगना	क्रमांक	नाम ग्राम	परगना
७८	फलोद	पुरछपार	९०	सीकरी	भौकरहंडी
७९	मोडला	,,	९१	भोकरहंडी	,,
८०	तेलहेडा	,,	९२	सुकताल	,,
८१	बसेडा	,,	९३	छछरौली	,,
८२	रमपुर झोजा	,,	९४	वजीराबाद	,,
८३	घुमाउटी	,,	९५	गढ़वाला	,,
८४	भैंसरहेडी	,,	९६	रहमातपुर	,,
८५	नगलापाहरदाद	,,	९७	सिकन्दरपुर	,,
८६	दुहेली	,,	९८	मजलसपुर	,,
८७	कुतबपुर	,,	९९	मंसूरपुर	,,
८८	कुतबपुर	,,	१००	फिरोजपुर	,,
८९	बरला	,,			

विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५४ पर)

स्थानों की सूची जहां १९५३–५४ में नये केन्द्र खोले गये

१—मऊरानीपुर जिला झांसी
२—गुरसराय जिला झांसी
३—कपकोट जिला अल्मोड़ा
४—जैसिंहपुर जिला सुल्तानपुर
५—कूड़ेभार जिला सुल्तानपुर
६—थराली जिला गढ़वाल
७—अलीगंज, जिला एटा
८—मुहम्मदाबाद जिला फर्रुखाबाद
९—रौलेमपुर जिला देवरिया
१०—फूलपुर जिला, इलाहाबाद
११—उसांवा जिला बदायूं, शाहजहांपुर
१२—दूधी जिला मिर्जापुर
१३—नगर जिला बस्ती
१४—चकराता जिला देहरादून
१५—अकोला जिला आगरा
१६—देवबंद जिला सहारनपुर
१७—भिलंगना जिला टेहरी गढ़वाल

श्रमधन एकत्रित करने तथा जन-सेवा-भावना उत्पन्न करने तथा प्रोत्साहन देने के कार्यक्रम का विवरण

१—सामुदायिक योजना के केन्द्र पर योजना सलाहकार कमेटी यानी Project Advisory Committee कार्यक्रमों की प्राथमिकता निश्चित करती, उसके लिये साधन एकत्रित करती और कार्य संचालन में सहायता देती है। इस समिति के मेम्बरों में जिला नियोजन समिति के स्थानीय सदस्य, सहकारी समितियों के प्रतिनिधि, सरपंच, ब्लाक के प्रतिनिधि, वहां के एम० एल० ए० और एम० पी, ५ स्थानीय उत्साही कार्यकर्ता, जिला स्तर के कर्मचारी तथा क्षेत्र के सभी कर्मचारी जो ग्रामस्तर के कर्मचारी के पद के ऊपर हैं, होते हैं।

२—गांव के स्तर पर पंचायतों, सहकारी समितियों के सदस्यों तथा प्रान्तीय रक्षक दल के कार्यकर्ताओं के सामने योजना के विभिन्न कार्यों पर विचार किया जाता है और उनकी सलाह तथा सहयोग प्राप्त किया जाता है।

३—समाज शिक्षा के माध्यमों द्वारा जनता को विकास की समस्याओं के प्रति जागरूक किया जाता है और शिक्षण शिविरों में साथ रह कर, भजन कीर्तन, नाटक, समूह चर्चा और व्याख्यान द्वारा उनमें नया उत्साह भरा जाता है। शिक्षा पर फिल्में दिखलाई जाती हैं और उनकी खेल–कूद और मनोरंजन की प्रतियोगिता होती हैं जिनसे चारों ओर खुशी और उत्साह का वातावरण बने। कार्यकर्ताओं ग्राम–सेवकों और सहायक विकास अधिकारियों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है और उनमें सच्ची सेवा की भावना भरी जाती है जिससे उनके चारों चरफ सेवा का वातावरण बन सके। प्रायः सभी गांधी आश्रमों पर प्रसार कार्य के लिये शिक्षण शिविर खोल दिये गये हैं जिससे रचनात्मक कार्यकर्ताओं के जीवन और आश्रमों के वातावरण से सेवा भावना विकसित हो सके। श्रमदान में उत्साहित करने के लिए जिले की श्रेष्ठ गांव सभा के लिये प्रश्नेष्ठ इनाम रक्खा गया है।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६० पर)

श्री मथुरा प्रसाद पांडेय जी द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६९ के उत्तर में उल्लिखित सूची

बस्ती जिले की बांसी तहसील में स्थित ग्रामों की अकृष्ट भूमि जो वन विभाग को दी गई है उसकी सूची--

ग्राम का नाम			क्षेत्र फल एकड़ में
१--भीमापार	..	..	१६३
२--रोमापार	..	..	१२५
३--चिलेदरा ग्रान्ट	..	..	१६६
४--बिर्दपुर संख्या ५	..	..	८०१
५--बिर्दपुर संख्या १४	..	..	८६६
६--बौन्दिहर	..	..	२६७

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६१ पर।)

रतनपुरा (बलिया) के विकास केन्द्र पर पाइलट प्रोजेक्ट योजना (फरवरी १९५१ से ३१ अगस्त, १९५३ तक) के लिए स्वीकृत धनराशि तथा खर्च का विवरण—

	स्वीकृत धनराशि १९५१–५२			खर्च			स्वीकृत धनराशि १९५२–५३			खर्च (६ मास का)		
	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
क—योजना का प्रधान कार्यालय—												
वेतन ..	८,०७५	५	०	८,०७५	५	०	२,८४३	४	०	२,८४३	४	०
टी० ए० ..	५,११९	०	०	४,१६८	२	०	२,०००	०	०	१,६६३	११	०
आकस्मिक व्यय ..	६,५००	०	०	३,९६६	१५	९	५,०००	०	०	६७९	३	०
ख—कृषि और पशु पालन—												
आकस्मिक व्यय ..	६,२००	०	०	६,२२७	६	०	५,५००	०	०	२,०६९	८	६
ग—सामाजिक शिक्षा—												
आकस्मिक व्यय ..	१०,३००	०	०	८,८४९	४	९	१८,१६०	०	०	२,५०२	१	६
योग ..	३६,१९४	५	०	३१,२८७	१	६	३३,५०३	४	०	९,७५७	१२	०

बची हुई स्वीकृत धनराशि समर्पित कर दी गई।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सामुदायिक योजना (१-९-१९५२ से ३१-१०-१९५३) तक के लिए स्वीकृत धनराशि तथा खर्च का विवरण

क्रम-संख्या	मद	स्वीकृत धनराशि १९५२-५३			खर्च			स्वीकृत धनराशि १९५३-५४			खर्च		
१	२	३			४			५			६		
		रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
१--सामान्य--													
१--स्थापना (establishment)	..	९,५२३	२	०	९,५२३	२	०	१९,१५९	९	०	१९,१५९	९	०
२--भत्ते और मानदेय	..	१८,७००	०	०	५,४९२	७	०	२४,४००	०	०	९,३५६	१	०
३--आकस्मिक व्यय	..	५३,७५०	०	०	२७,११५	३	०	३९,५५०	०	०	४,२४०	७	०
४--निर्माण कार्य	..	..			..			१०,०००	०	०	१,२००	०	०
२--कृषि--													
१--आकस्मिक व्यय	..	४०,४४०	०	०	२०,३३२	१५	९	३०,२००	०	०	१२,०३२	१५	६
२--सहायतार्थ अनुदान	..	७,०००	०	०	७,०००	०	०	१२,०००	०	०	..		
३--ऋण	..	..			..			१९,०००	०	०	९००	०	०
३--पशु पालन--								कृषि में सम्मिलित कर लिया गया					
१--आकस्मिक व्यय	..	..			..			५००	०	०	..		
२--सहायतार्थ अनुदान	..	कृषि के मद में सम्मिलित कर लिया गया।						३५,०००	०	०	..		
३--ऋण	..	कृषि में सम्मिलित कर लिया गया						५,०००	०	०	..		
४--निर्माण कार्य	..	..			..								
४--सिंचाई--													
१--ऋण	..	१५,०००	०	०	१४,८००	०	०	२,०३०००	०	०	७,४००	०	०
५--मेडिकल--													
१--आकस्मिक व्यय	..	७,२५०	०	०	२,७९२	५	९	१२,०००	०	०	२७२	१५	०
२--निर्माण कार्य	..	..			..			१०,०००	०	०	१,९३७	९	०
६--जन-स्वास्थ्य--	..												
१--सहायतार्थ अनुदान	..	२०,०००	०	०	२०,०००	०	०	२०,०००'	०	०	..		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

		रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
७—शिक्षा													
१—स्थापना	..	५२५	०	०	५२५	०	०	६३०	०	०	६३०	०	०
२—भत्ते और मानदेय	..	..			३,६००	११	०	११,१००	०	०	४,९०२	१५	०
३—आकस्मिक व्यय	..	२५,०००	०	०	४८,४५८	४	३	२८,०००	०	०	२६५	५	०
४—सहायतार्थ अनुदान	..	५,०००	०	०	५,०००	०	०	८,०००	०	०	..		
८—सामाजिक शिक्षा—													
१—स्थापना	..	..			शिक्षा के मद में सम्मिलित			६००	०	०	६००,	०	०
२—भत्ते और मानदेय	..	..			..			१,५००	०	०	३२४	५	०
३—आकस्मिक व्यय	..	३३,५००	०	०	..			३५,०००	०	०	३,१४०	१०	०
९—यातायात													
१—स्थापना	..	..			..			१,७७०	०	०	१,७७०	०	०
२—भत्ते और मानदेय	..	..			..			२,०००	०	०	३८८	१५	०
३—आकस्मिक व्यय	..	२००	०	०	२००	०	०	१,५००	०	०	१,३९६	४	९
४—सहायतार्थ अनुदान	..	३५,०००	०	०	३५,०००	०	०	१,०३४००	०	०	..		
१०—ग्रामीण कलायें और दस्तकारी													
१—स्थापना	..	..			..			२७०	०	०	२७०	०	०
२—भत्ते और मानदेय	..	..			..			२,८००	०	०	१७०	०	०
३—आकस्मिक व्यय	..	१,०००	०	०	८९२	१३	०	१०,६००	०	०	..		
४—सहायतार्थ अनुदान	..	..			..			२५०	०	०	..		
५—इमारत	..	..			..			२५,०००	०	०	..		
६—ऋण	..	१०,०००	०	०	१०,०००	०	०	१२,५००	०	०	..		
११—प्रशिक्षण													
१—आकस्मिक व्यय	..	५,०००	०	०	..			१०,०००	०	०	१,१०७	११	०
द—नागरिक निर्माण कार्य	..	१,१८,०००	०	०	५५,९५३	१५	०	पहले ही मद के सामने दे दिया गया है ।					
योग	..	४,०४,८८८	२	०	२,६६,६७६	१२	९	६,९४,७२९	९	०	७१,३६७	५	०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे २६१ पृष्ठ पर ।)

श्री गेंदा सिंह एम० एल० द्वारा किये गए तारांकित प्रश्न संख्या ५ और ६ के सम्बन्ध में विशेष सूचना । विकास केन्द्र रतनपुरा में ३१-१-१९५३ तक किये गये कार्यों का विवरण ।

बलिया जिले के रसड़ा तहसील में गाजीपुर तथा आजमगढ़ के जिलों से मिला हुआ एक क्षेत्र अग्रगामी विकास योजना के लिए मार्च, सन् १९५१ को चुना गया। जिसमें कुल गांवों की संख्या १६० थी। दिनांक २ अक्तूबर, १९५२ को सामाजिक विकास योजना का उद्घाटन हुआ और क्षेत्र को बढ़ा कर ३२५ गांवों में कर दिया गया। इस विकास क्षेत्र का केन्द्र रतनपुरा ग्राम है। विशेष उल्लेखनीय कार्यों का विवरण निम्नलिखित है :—

क—(१) कृषि सिंचाई—४ नलकूप तथा २५९ पक्के सिंचाई के कुओं का निर्माण हुआ है। ७१ कुओं में बोरिंग की गई तथा तालाबों से १६,२८,९८० घनफुट मिट्टी निकाली है। इस प्रकार सिंचाई में ३,९७५ एकड़ की वृद्धि हुई है जिससे १९,९७५ मन अधिक बीज अनुमानतः २,३८,७०० रु० का अधिक अन्नोत्पादन किया गया है।

(२) उन्नतिशील बीज—विकास योजना के प्रारम्भ में इस क्षेत्र के अन्तर्गत उन्नतिशील फसलों का क्षेत्र फल बहुत कम था। जिस पर विशेष ध्यान देकर पूरे क्षेत्र को उन्नतिशील फसलों से परिपूर्ण करने का प्रयत्न किया गया। फलस्वरूप रबी में १,६८८ एकड़ गेहूं, १०,९२८ एकड़ बलिया जौ, २३० एकड़ मटर तथा ४१७ एकड़ चना के उन्नतिशील बीज बोए गए हैं जिससे उपज में १३,२६३ मन वृद्धि तथा १,८५,६८२ का लाभ होगा।

(३) खाद— इस वर्ष ५,२८२ एकड़ में अमोनियम सल्फेट डाला गया है जो ३८,००० रु० के मूल्य का है।

(४) भूमि सुधार—१०९ एकड़ भूमि सुधार करके कृषि उपयोगी बनाई गई है।

ख—पशु रक्षा— १९ सांड तथा १३६ मुर्गी इस क्षेत्र में बांटे गये हैं। जिससे इनके नस्लों में विशेष सुधार हुआ है। एक नये पशु चिकित्सालय तथा कृत्रिम पशु गर्भाधान केन्द्र का निर्माण हो रहा है। पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए ४६,०६५ एच० एस० तथा १३,२४५ बी० क्यू० के टीके लगाये गये हैं।

ग—समाज शिक्षा— समाज शिक्षा के कार्य को सुन्दर रूप से संचालित करने के लिए ४९ प्रौढ़ पाठशालाएं संचालित की गई हैं। जन-सम्पर्क द्वारा जनता में जागृति पैदा करने के हेतु नए सामाजिक केन्द्रों की स्थापना की गई है। १,०६८ प्रौढ़ों को शिक्षा दी गई है।

घ—सामाजिक कार्य— तीन-तीन बीज गोदामों का निर्माण किया गया। एवं १३ पुलिया विभिन्न स्थानों पर जन मार्ग के बीच-बीच में बनाई गई हैं। विशेषतया इस विकास योजना के अन्तर्गत ६५ मील ३ फर्लांग २२ गज नई कच्ची सड़कें बनाई गई हैं तथा २१ मील ७ फर्लांग १२४ गज पुरानी कच्ची सड़कों की मरम्मत हुई है जो इस क्षेत्र की जनता के सहयोग एवं श्रमदान का ज्वलन्त उदाहरण है।

ङ---जन-स्वास्थ्य---जनता के लिए पानी पीने वाले ३६ तथा २५ हरिजन कूपों का निर्माण हुआ है। साथ ही स्वास्थ्य हित ३०२ गज लम्बी नालियों का निर्माण किया गया है। गन्दे पानी द्वारा उत्पन्न विभिन्न बीमारियों से बचने के लिए ८८३ सोख्तों का निर्माण हुआ है। यह भी श्रमदान का एक मात्र अंग है।

शीतला निरोधक १८,९५९ टीके लगाये गये हैं। साथ ही १८,७१९ हैजे के टीके भी लगाए गये हैं। ग्राम सेवकों द्वारा २५,५१३ ग्रामवासियों को दवा वितरित की गई है।

छ---सहकारिता---२४ नई सहकारी समितियों का संगठन हुआ है तथा ३ नये भट्ठों को खोल कर ३६,२०,६७२ ईंटें पकाये गये हैं।

ज---गृह उद्योग---इस क्षेत्र में ८९६ चरखे वितरित किये गये हैं। जिससे २,७०० पौंड सूत तैयार हुआ है। १२ आदमियों को ट्रेनिंग देकर बुनाई का काम सिखाया गया।

उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त इस क्षेत्र में जन-सम्पर्क कार्य अधिक सफल रहा है। इसके सहयोग से श्रमदान, ग्राम-सेवक दल संगठन तथा विकास मेला सुअवसरों पर अपार जन-समूह ने इस योजना के कार्य को सफल बनाने में सहर्ष हाथ बटाया है।

विकास केन्द्र रतनपुरा में सरकारी सहायता तथा जनता के चन्दे से किये गये कार्यों का विवरण

क्रम-संख्या	कार्य जो हुए		संख्या कार्य	सरकारी सहायता	जनता का चन्दा	विशेष विवरण
			एकड़	एकड़	रु०	
क---१---सिंचाई का कुआं		..	२५९	१,०४,६००	१,९३,६७५	
			कृषि इंजीनियरिंग विभाग से मिलेगा			
२---पुराने कुओं की मरम्मत		..	२९	..	८,७००	
३---कुओं में बोरिंग		..	७१	..	१०,६५०	
४---तालाब की खुदाई		..	१,६२,८९,७९८ घ० फी०		१९,५४८	
५---बांध का निर्माण व मरम्मत		..	२,६७,०६० घ० फी०		३,२०४	
ख---कृषि						
१---भूमि सुधार		..	१०९	..	९,७७२	
२---खाद के गढ़े जो खोदे गये		..	२,६१७	..	२,६१७	
ग---पशु-पालन						
१---जरखार नाशक फुट निर्माण		..	४	१२०	२४०	
ग---समाज शिक्षा						
१---सामाजिक केन्द्र की स्थापना		..	१९	१२,५००	९,२०८	
२---भूमि जो स्कूल निर्माण हेतु दी गई		..	३२	..	१६,०२०	

क्रम-संख्या	कार्य जो हुये	संख्या कार्य	सरकारी सहायता	जनता का चन्दा तथा दान
च—निर्माण कार्य				
१—बीज गोदाम-निर्माण	..	३	४,७००	१२,०००
२—पंचायत घर-निर्माण	..	१७	..	८,५००
३—सड़क-निर्माण	..	६५ मील ३ फ० २२ गज	..	५३,२२६
४—सड़क-मरम्मत	..	२१ मील० ६ फ० १५० गज	..	४,०००
५—पुलिया-निर्माण	..	१३	..	३,९००
छ—जन-स्वास्थ्य				
१—पानी पीने वाले कुओं का निर्माण	..	३६	..	४३,२००
२—हैंड पम्प जो लगाए गए	..	७	..	७००
३—पक्की नाली का निर्माण	..	३०२ गज	..	१,५१०
४—सोख्ता का निर्माण	..	८८३	..	८८३
५—हरिजन गृह-सुधार	..	८	२०००	४,०००
६—हरिजन कूप-निर्माण	..	२५	२,२६०	२६,४००
७—हरिजन कूप-मरम्मत	..	३२		
८—पानी पीने वालों कुओं की मरम्मत	..	१५२	..	*४५,६००
योग	..		१,२५,४८०	४,७६,८५३

* इस धनराशि में ८३,४७५ रुपये श्रमदान द्वारा कार्य का सम्मिलित है।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०, ७ एल० ए०—१९५४—८५०।